

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67

अंक : 3

पृष्ठ : 56

जनवरी 2021

मूल्य : ₹ 22



ग्रामीण विकास की संभावनाएं



रि-लर्निंग, रि-थिंकिंग, रि-इन्वेंटिंग और रि-इंवेस्टिंग कोविड-19 के बाद की व्यवस्था होगी- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पैन आईआईटी यूएसएस द्वारा आयोजित आईआईटी-2020 ग्लोबल समिट को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार "रिफॉर्म (सुधार), परफॉर्म (प्रदर्शन), ट्रांसफॉर्म (परिवर्तन)" के सिद्धांत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां कोई भी क्षेत्र सुधारों के दायरे से बाहर नहीं रह गया है। उन्होंने सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यापक सुधारों जैसे- 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कानूनों में बदलना, दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स दर, उत्पादन के साथ-साथ निर्माण को बढ़ाने के लिए दस प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के इस चुनौती भरे वक्त में, भारत को रिकॉर्ड निवेश मिला है और इस निवेश का बड़ा हिस्सा तकनीकी के क्षेत्र में आया है।

उन्होंने कहा कि आज का हमारा काम कल की दुनिया को आकार देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि रि-लर्निंग (नए सिरे से सीखना), रि-थिंकिंग (नए सिरे से सोचना), रि-इन्वेंटिंग (नए सिरे से प्रयोग करना) और रि-इंवेस्टिंग (नए सिरे से आविष्कार करना) कोविड-19 के बाद की व्यवस्था होगी। लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की एक सीरीज के साथ यह हमारी दुनिया को नए सिरे से नई ऊर्जा से भर देगी। उन्होंने कहा कि यह 'जीवन की सरलता' सुनिश्चित करेगी और इसके साथ-साथ गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। उन्होंने कहा कि उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के साझेदारी की वजह से महामारी के दौरान बहुत सारे इन्वेंशन सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को नए हालात में ढलने के लिए व्यावहारिक समाधानों की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा, पैन आईआईटी आंदोलन की सामूहिक शक्ति आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को गति दे सकती है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत का ब्रांड एम्बेसेडर बताया, जिनकी आवाज यह सुनिश्चित करने में बेहद खास है कि दुनिया, भारत के दृष्टिकोणों को सही अर्थों में समझ पाए।

वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने पैन आईआईटी आंदोलन से "गिविंग बैक टू इंडिया" (भारत को वापस देना) को लेकर एक ऊंचा मानदंड स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी लोगों से इस बारे में अपने विचारों और सुझावों को देने के लिए कहा कि हम आजादी के 75वें साल को कैसे दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "आप अपने विचार माय गव (MyGov) पर दे सकते हैं या आप इसे सीधे मेरे साथ नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा कर सकते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के समय से भारत में हैकथॉन की एक संस्कृति विकसित हो रही है और इन हैकथॉन्स में युवा सोच राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के जबर्दस्त समाधान पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपना कौशल प्रदर्शित करने और दुनिया के बेहतर व्यवहारों से सीखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में शीर्ष गुणवत्ता की प्रतिभा को आपस में जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन ने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भविष्य में होने वाली साझेदारियों की लय तय कर दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने काम करने के तरीके में एक आमूलचूल परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा, पहले जब आईआईटी एयरो-स्पेस इंजीनियरों को तैयार करता था, तब उन्हें रोजगार देने के लिए घरेलू-स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी-तंत्र नहीं था, लेकिन आज अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के साथ, मानवता के सामने मौजूद यह अंतिम मोर्चा भारतीय प्रतिभा के लिए खुला है। यही वजह है कि भारत में हर दिन नए स्पेस टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दर्शकों में शामिल कुछ लोग पूरे साहस के साथ उस जगह पर जाएंगे, जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। भारत में कई क्षेत्रों में अत्याधुनिक और बिल्कुल ही नए तरीके के काम हो रहे हैं।

आज, आईआईटी के पूर्व छात्र बड़ी संख्या में उद्योग, शिक्षा, कला और सरकारों में वैश्विक नेतृत्व वाले पदों पर मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने पूर्व छात्रों से बहस, चर्चा और तकनीकी की उभरती हुई नई दुनिया में समाधानों के जरिए अपना योगदान करने की अपील की।

प्रधानमंत्री का आईआईटी ग्लोबल समिट को संबोधन



“कोविड-19 के बाद की व्यवस्था रि-लर्निंग, रि-थिंकिंग, रि-इन्वेंटिंग और रि-इंवेस्टिंग की होगी- प्रधानमंत्री”



सरकार "रिफॉर्म (सुधार), परफॉर्म (प्रदर्शन), ट्रांसफॉर्म (परिवर्तन)" के सिद्धांत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध



कोविड-19 के इस चुनौती भरे वक्त में, भारत को रिकॉर्ड निवेश मिला है और विश्व हमें विश्वसनीय पार्टनर के रूप में देखता है



हाल के समय से भारत में हैकथॉन की एक संस्कृति विकसित हो रही है और इन हैकथॉन्स में युवा सोच राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के जबर्दस्त समाधान पेश कर रही है।

प्रधानमंत्री का आईआईटी ग्लोबल समिट को संबोधन (2/2)



“कोविड-19 के बाद की व्यवस्था रि-लर्निंग, रि-थिंकिंग, रि-इन्वेंटिंग और रि-इंवेस्टिंग की होगी- प्रधानमंत्री”




पैन आईआईटी आंदोलन की सामूहिक शक्ति आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को गति दे सकती है।



पैन आईआईटी आंदोलन से "गिविंग बैक टू इंडिया" (भारत को वापस देना) को लेकर एक ऊंचा मानदंड स्थापित करने का आग्रह



पूर्व छात्रों से बहस, चर्चा और तकनीकी की उभरती हुई नई दुनिया में समाधानों के जरिए अपना योगदान करने की प्रधानमंत्री की अपील।



कुरुक्षेत्र



इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 3 ★ पृष्ठ : 56 ★ पौष-माघ 1942 ★ जनवरी 2021

प्रधान संपादक: शुभा गुप्ता

वरिष्ठ संपादक : ललिता श्शुराना

उत्पादन अधिकारी : के. रामालिंगम

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें

एक प्रति : ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,

ट्रिवांशिक : ₹ 430, त्रिवांशिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjuicir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,

कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003



ग्रामीण विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण 5

—आर. रमणन, मंगलेश यादव

संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य 9

—युगल जोशी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : ग्रामीण विकास की ओर सार्थक कदम 14

—चंद्रभूषण शर्मा, पवन शर्मा

किसानों के लिए हितकारी नए कृषि विधेयक 18

—जे. पी. मिश्रा

कृषि-आधारित उद्यमिता विकास से आत्मनिर्भरता 23

—प्रेम नारायण

साक्षात्कार 28

“बच्चों की सोच का दायरा बढ़ाना जरूरी”

—रंजीत सिंह दिसाले

सतत ग्रामीण विकास में अवसंरचना क्षेत्र का महत्व 31

—अरविंद कुमार सिंह

अक्षय ऊर्जा से संवरता ग्रामीण भारत 36

—डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल 43

—पंखुडी दत्त

पंचायत योजना के माध्यम से नए भारत का निर्माण 47

—डॉ. के.के. त्रिपाठी

वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर 50

—संतोष कुमार सिंह, रेणु सिंह

स्वच्छता दूत बने बुजुर्गों ने कायम की मिसाल 53

—हरि विश्नोई



प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैच्युन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू त्रिज कार्पर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

जनवरी 2021

3

आज जब हम नए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ग्रामीण विकास की बात न की जाए, ऐसा रागव नहीं है। बिना ग्रामीण विकास के भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। ग्रामीण भारत में विकास के कई आयाग हैं जिनमें शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, नारी सशक्तीकरण, पोषण, कृषि तथा किसानों की दशा सुधारना तथा बुनियादी ढांचा मजबूत करना आदि शामिल हैं। निरादेह पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण भारत में बेहद तेज़ रफ़्तार से काम हुआ है। बिजली, आवास, पानी, स्वच्छता, रोज़गार, स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता से काम किया है और उसके परिणामों को भी लोगों ने देखा और महसूस किया है।

नए वर्ष के इस पहले अंक में हमने गांवों में विकास की संभावनाओं की बात की है, नए सपनों की बात की है, नई आशाओं और उम्मीदों की बात की है और साथ ही, कुछ नई आशंकाओं पर भी बात की है। आशंकाएं, जो कृषि और किसानों के हित से और नए कृषि विधेयकों से जुड़ी हैं, उन पर खुल कर बात की गई है ताकि इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जा सके और हमारे गांवों और किसानों के नए एवं समृद्ध भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा सके।

जब हम 'ग्रामीण विकास' की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य ग्रामीण भारत के दीर्घावधि और समावेशी विकास से होता है। अब प्रश्न बाढ़े ग्रामीण ढांचागत संरचना के विकास का हो, गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ाने का हो या कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने का या फिर सामाजिक सुरक्षा और पोषण प्रदान कर महिला सशक्तीकरण का; भारत सरकार इन सभी मोर्चों पर डटकर काम कर रही है।

किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलना प्रारंभ भी हो गया है। सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी किसानों को फायदा पहुंचा रही है। सरकार की किसानों का बड़ा डाटा बैंक बनाने की योजना है जिससे मिट्टी की जांच, बाढ़ की चेतावनी, सेटलाइट की तस्वीरों से लेकर ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड जैसी सूचनाएं किसानों को घर बैठे मिल सकें।

हमारे गांव व कृषि क्षेत्र बरसों से इस देश की ताकत रहे हैं, जिन्हें और मजबूत करने पर भारत सरकार पूरा ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। इसका उपयोग गांवों में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। इस फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए ऋण दिया जाएगा।

कुछ साल पहले जहां ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास शौचालय, बिजली, रसोई गैस जैसी सुविधाओं का तो अभाव था ही, 3 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना स्वयं का मकान भी नहीं था। आज घर-घर में ये सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से निर्मित घरों के साथ तो ये मूलभूत सुविधाएं प्रारंभ से ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश में अब तक 1 लाख 78 हजार बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी जा चुकी है जिसके तहत 1 लाख 25 हजार किमी. सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड के संकट को देखते हुए मनरेगा के बजट में 50 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। देश में 63 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़कर उत्पाद बना रही हैं। उनके उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विचार किया जाना जरूरी है।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने तथा रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि एवं किसान को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में कानूनी संशोधन किए हैं। देश में दस हजार नए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है, ताकि छोटे व मझोले किसान भी उन्नत एवं क्लस्टर आधारित कृषि को अपना कर ज़्यादा आय अर्जित कर सकें। एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष सरकार ने स्थापित किया है, ताकि निजी निवेश कृषि अधोसंरचना के क्षेत्र में गांवों तक पहुंचे और इस क्षेत्र में असंतुलन दूर किया जा सके। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पीएम-किसान सम्मान निधि रकम में किसानों को हर वर्ष 6 हजार रुपये की मदद सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ा सुरक्षा कवच है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु भी 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। जब गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव-गांव में खुलने से किसानों को लाभ मिलेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम भी मिल सकेगा।

नई शिक्षा नीति 2020 में ग्रामीण बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम यदि नीति के प्रावधानों को देखें तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं को देखें तो लगेगा कि नीति उस बच्चे को सोच कर बनाई गई है जो वंचित रह गया है।

संक्षेप में, नया वर्ष नए सपने, नई आशा और नई उम्मीद लेकर आ रहा है। आज जब हम 2020 के समापन और 2021 के आगमन की दहलीज पर खड़े हैं तो भविष्य की रूपरेखा तैयार करने और अपनी सफलता का आंकलन करने का यह श्रेष्ठ समय है। तो क्यों न हम भी सफलता की प्रतिध्वनि को सुनें, महसूस करें और नए समर्थ भारत के संकल्प से जुड़ जाएं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2020 को लालकिले की प्राचीर से देश का आह्वान किया था - "वर्ष 2022, हमारी आजादी के 76 वर्ष का पर्व, अब बसा आ ही गया है। हम एक कदम दूर हैं। हमें दिन-रात एक कर देना है। 21वीं सदी का यह तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को रोक पाए। मैं देख सकता हूँ, एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद।..." चलिए, इस नववर्ष की बेला में हम सभी संकल्प लें एक नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपने-अपने स्तर पर योगदान करने का।

आप सभी को नववर्ष 2021 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

ग्रामीण विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण

—आर. रमणन, मंगलेश यादव

हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, स्टार्टअप परिवेश और नवाचार विभिन्न कारकों के कारण ग्रामीण, टियर तीन और टियर चार शहरों तक नहीं पहुंच पाया है। इन कम पहुंच वाले क्षेत्रों का ध्यान, नए उद्यमियों और नौकरी सृजनकर्ताओं को प्रोत्साहित/सक्षम करने के बजाय, रोजगार चाहने वालों का सृजन करने पर केंद्रित है। यह समय है कि हम ऐसे सभी क्षेत्रों में सकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं और अन्वेषकों का आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बुनियादी साधन जैसे स्टार्टअप पूंजी एवं कौशल विकास हेतु संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करें।

भारत के 650,000 से अधिक गांवों, 4000 से अधिक छोटे कस्बों और शहरों, 715 आकांक्षी जिलों और 8 टियर-1 मेट्रो शहरों में 1.3 अरब से अधिक लोग रहते हैं। भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाजों, परंपराओं, क्षमताओं, कौशल और व्यवसायों के संदर्भ में भारत की विविधता का दुनिया भर में कोई भी सानी नहीं है। भारत का वर्णन लोकप्रिय हिंदी कहावत, “कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी” से सही मायनों में किया जा सकता है। यह कहावत हमारे देश की न केवल भौगोलिक बल्कि जनसांख्यिकीय विशालता और विविधता का भी वर्णन करती है। भारत में जहां 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, अन्य देशों के मुकाबले एक जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा मिलता है।

आज भारत अपने तेज़ी से बढ़ते डिजिटल कौशल, तकनीकी क्षमताओं और प्रगतिशील विचारधारा के लिए भी समस्त विश्व में जाना जाता है। 55000 से अधिक स्टार्टअप्स, 400 से अधिक इन्क्यूबेटर्स और 34 से अधिक यूनिर्कॉर्न के साथ भारत को दुनिया

के सबसे तेज़ी से विकसित होते स्टार्टअप राष्ट्रों में से गिना जाता है।

फिर भी भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण कृषि प्रधान भारत में वास करती है। भारत के औपचारिक और अनौपचारिक श्रमबल का 70 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़ा है। आज हम जिस भारत की चर्चा करेंगे, उस भारत में यह ग्रामीण भारत सम्मिलित और समेकित है। यह भारत बेहद महत्वाकांक्षी है और यह भारत तेज़ गति से भविष्य में पदार्पण के लिए तैयार है। इस भारत का मानना है कि यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष दिए गए “आत्मनिर्भर” भारत के आह्वान से प्रेरणा पाकर देश को स्वावलंबी बना सकता है जिसने समूचे देश में अनेक योजनाओं का सूत्रपात किया।

प्राचीनकाल से भारतीय ग्रामीण समाज कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित रहा है जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर बहुत निर्भर



मेघालय का मावलिननॉंग गांव 2003 से लगातार एशिया का सबसे स्वच्छ गांव बना हुआ है।

रहा है। ग्रामीण कार्यबल अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में हमेशा कृषि पर निर्भर रहा है। लेकिन अब हम हाल के कुछ वर्षों में इसमें बदलाव देख रहे हैं क्योंकि ग्रामीण युवा जन विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ने लगे हैं जो सीधे कृषि से जुड़े नहीं हैं। युवा महत्वाकांक्षी बन गए हैं और समाज के ग्रामीण वर्गों में तेजी से बदलाव लाना चाहते हैं और इसलिए उन्हें 21वीं सदी के भविष्योन्मुखी कौशल तंत्र प्रदान करने की दरकार है। यह ठीक ही कहा गया है कि "आज के युवा कल के नेता हैं", लेकिन एक उद्यमी प्रगतिशील युवा बल, जो उचित कौशल से लैस है, और एक मददगार उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सशक्त है, एक नए 'कल' का निर्माण करेगा। यह वह प्रस्तावना है जिस पर हम ग्रामीण विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की रचना यात्रा शुरू करेंगे।

यह सर्वविदित है कि विकास के लिए एक स्थायी योजना का अत्यधिक महत्व है। सदियों से ऐसा होता आया है और कुछ उदाहरणों द्वारा, जैसा हमने विश्व इतिहास के पृष्ठों में देखा है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। 1800 के दशक में प्रशासन में 'शिक्षा के फैक्ट्री मॉडल' का चलन आरंभ हुआ। शिक्षा के फैक्ट्री मॉडल के अनुसार स्कूलों को भावी फैक्ट्री श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया और विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से कुशल फैक्ट्री श्रमिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इससे प्रेरित होकर औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न अपार अवसरों के लिए रोजगार योग्य श्रमिकों का "निर्माण" औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य बना। तब ध्यान श्रमबल की मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मानव संसाधन तैयार करने पर था। इस मॉडल ने औद्योगिक क्रांति के फलने-फूलने में प्रभावशाली भूमिका निभाई और इसे कई वर्षों तक आगे बढ़ाया और इस तरह अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ।

आज, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सतत रूप से नूतन विचार और अवधारणाएं उपज रही हैं और यह अर्थव्यवस्थाओं और देशों, दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेटर्स के आगमन में देखा जा सकता है जो युवाओं के लिए नौकरियां उत्पन्न करने के साथ-साथ उनका कौशल विकास कर रहे हैं। अमेरिका में स्टार्टअप हर वर्ष स्थापित कंपनियों के मुकाबले अधिक रोजगार अवसर पैदा कर रहे हैं। स्टार्टअप ने अकेले अमेरिका में पिछले तीन दशकों में सालाना 1.5 मिलियन रोजगार पैदा किए हैं। इज़राइल में बेरोजगारी की दर, जो 2000 के दशक में 9 प्रतिशत थी, 2010 में 5.5 प्रतिशत आ गई क्योंकि उस अवधि में नव-स्थापित फर्मों की 23 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इसके विपरीत, उद्यम संबंधी गतिविधियों में निष्क्रियता के कारण जापान ने विकसित होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना महत्व खो दिया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, आईओटी और सेंसर प्रौद्योगिकी, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जैसी विकास

को बढ़ावा देने वाली उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की ओर तेजी से अग्रसर है जो उन्नत और साथ ही किफायती, सुलभ और उपयोगी हैं। साधारण कार्यों के स्वचालन से उच्च उत्पादकता और प्रौद्योगिकी संचालित विकास संभव होगा और ये ऐसे प्रमुख प्रवर्तक बनेंगे जो जल्द ही अनिवार्य रूप से हमारे परस्पर संपर्क, संचार, लेन-देन और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के तरीके को बदल देंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को तेजी से बदलते रुझानों और प्रौद्योगिकी की डिजिटल क्षमताओं के साथ तालमेल रखते हुए अपने दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। समय आ गया है कि स्थायी प्रौद्योगिकी संचालित योजनाओं और पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाया जा सके और यह लक्ष्य अधिक रोजगार सृजकों और बेहतर रोजगार चाहने वालों के सृजन की दिशा में सही कदम उठाने के साथ हासिल किया जा सकता है।

हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, स्टार्टअप परिवेश और नवाचार विभिन्न कारकों के कारण ग्रामीण, टियर तीन और टियर चार शहरों तक नहीं पहुंच पाया है। इन कम पहुंच वाले क्षेत्रों का ध्यान नए उद्यमियों और नौकरी सृजनकर्ताओं को प्रोत्साहित/सक्षम करने के बजाय रोजगार चाहने वालों का सृजन करने पर केंद्रित है। यह समय है कि हम ऐसे सभी क्षेत्रों में सकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं और अन्वेषकों का आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बुनियादी साधन जैसे स्टार्टअप पूंजी, कौशल प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध कराएं। कई कारक हैं जिनसे इसे हासिल किया जा सकता है आइए, ऐसे कुछ कारकों की चर्चा करते हैं जो इस समस्या को समग्र रूप से हल करने में एक स्थायी दृष्टिकोण प्रदान करेंगे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

नई शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रौद्योगिकी संचालित व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता बताई गई है। एनईपी हमें अनुभवजन्य अध्ययन के महत्व को समझाने का प्रयास करता है और एक दक्ष दुनिया, जिसमें हम आज जी रहे हैं, के लिए प्रासंगिक कौशल तंत्र विकसित करने के महत्व पर भी जोर देता है। कंप्यूटरों के आगमन के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया और आज हम फिर से उसी स्थिति में हैं। विश्व में आने वाले समय में समस्याओं का समाधान आंकड़ों पर आधारित पद्धतियों पर केंद्रित है। शिक्षा परितंत्र को इन आने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाविष्ट करने और विकसित करने की आवश्यकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे पक्ष में है और हमें स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन के अनुभवजन्य मॉडल की रचना पर ध्यान देना चाहिए।

ऐसा ही एक कार्यक्रम, जिसने देश में नई मिसाल कायम

की, वह नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू की गई अटल टिकरिंग लैब (एटीएल) हैं। अटल टिकरिंग लैब उन स्कूलों में बनाई गई आधुनिकतम प्रयोगशालाएं हैं जहां बच्चों को नूतन प्रौद्योगिकी की उपकरण किटों से परिचित कराया जाता है। इन उपकरण किटों में लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 3 डी प्रिंटर, सेंसर, रोबोटिक्स, अरडयूनो किट आदि शामिल हैं। ये उपकरण किट बच्चों को एक समूची नई दुनिया से रूबरू कराते हैं जो आंकड़ों पर आधारित है और रचनात्मकता को विकसित करते हुए अभिकलनात्मक (कम्प्यूटेशनल) सोच के महत्व पर जोर देता है।

भौतिक अवसंरचना के निर्माण के साथ-साथ एटीएल एक शिक्षणशास्त्र की रचना पर भी बल देता है जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण ज्ञान को सरल और सुलभ बनाता है। यह ज्ञान पब्लिक डोमेन में बनाए और प्रकाशित किए गए मॉड्यूल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। वर्ष भर जारी रहने वाला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है जो स्कूल के शिक्षकों को सही कौशल-तंत्र से लैस करने और नई तकनीकों से परिचित कराने के लिए चलाया जाता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम न केवल गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्रणालियों पर बल देता है बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी इसका प्रचार करता है जो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ने के लिए आयोजित की जाती हैं। ये प्रयोगशालाएं हालांकि अनुमोदित मुख्यधारा के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं लेकिन फिर भी युवा स्कूली छात्रों को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसी तरह, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्कूली बच्चों के बीच आइडिएशन, डिजाइन थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और फिज़िकल थिंकिंग आदि के कौशल को विकसित करने के लिए इस तरह की पहल की जाती हैं।

इन सभी गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के जरिए स्कूली बच्चों के स्थायी भविष्य के निर्माण में योगदान देने के साथ-साथ एक बेहतर समाज की रचना है। इसके अलावा, उन्नत शिक्षा से देश में बेहतर कौशल से लैस उदीयमान उद्यमियों और बेहतर रोजगार चाहने वालों का सृजन होगा जिसके फलस्वरूप देश की प्रगति की राह सुनिश्चित होगी।

उन्नतिशील युवा नवप्रवर्तकों को तैयार करना


इस दशक का फोकस सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 को प्राप्त करना है और इसके लिए जो समाधान तैयार किए जा रहे हैं, उसके केंद्र में देश के युवाओं को रखकर सक्षम बनाए जाने से ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। देश के ग्रामीण, टियर तीन और टियर चार शहरों में स्वरोजगार और स्टार्टअप परितंत्र की पैठ कम है और एसडीजी की जानकारी और समझ तो और भी कम है। फिर भी हमने अभी तक बहुत कुछ नहीं खोया है और दुनिया को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए अभी भी बड़ी गुंजाइश शेष है। भारत एक बड़ा बाजार है और बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। साथ

ही, हमारे देश में निर्मित होने वाले मितव्ययी जुगाड़ नवाचार भी हैं। हम इन मितव्ययी जुगाड़ नवाचारों की प्रशंसा तो करते हैं लेकिन इन विकसित नवाचारों के विकास और व्यावसायीकरण के लिए एक स्थायी दिशा प्रदान करने में स्पष्ट रूप से चूक गए हैं। हमें अब इन युवा नवप्रवर्तकों को एक संस्थागत संरचना प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनके पुनः प्रयोज्य मापनीय नवाचारों के माध्यम से सामुदायिक चुनौतियों को हल करने के उनके प्रयासों में सहायता करनी चाहिए और इसी प्रक्रिया के दौरान वैश्विक बाजारों के लिए संभावित समाधान उत्पन्न किए जा सकते हैं।

देश की विशालता के साथ-साथ जिन चुनौतियों का आज हम स्थानीय क्षेत्रों में सामना करते हैं, उनके समाधान के लिए स्थानीय नवप्रवर्तकों को तलाश कर उन्हें हल करने और यहां तक कि असफल होने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। युवा नवप्रवर्तकों के विकास के लिए गठित संस्थागत संरचनाओं से अपेक्षित है कि वे युवा अन्वेषकों को वर्तमान में शहरी युवाओं को इनक्यूबेटर्स/एक्सेलरेटर के माध्यम से उपलब्ध अवसरों के समान उचित अवसर प्रदान करें और उन्हें स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए तेज़ी से प्रयास करने और असफल होने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह वे परिवर्तन के प्रतिनिधि बन जाएंगे और अर्थव्यवस्था को संचालित करेंगे। एसडीजी के बारे में जागरूकता फैलाने और स्थानीय युवाओं द्वारा समुदाय के नेताओं के समक्ष समाधानों को दर्शाने के लिए एक सकेंद्रित प्रणाली होनी चाहिए जिससे अधिकाधिक लोग प्रेरित हों और अपेक्षित बदलाव ला पाएं।

ऐसा ही एक प्रयास नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश के ऐसे भागों में अटल कम्प्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) स्थापित करके किया जा रहा है जहां या तो सुविधाओं की पहुंच बहुत कम है या बिलकुल नहीं है। ये एसीआईसी एसडीजी के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और युवा इनोवेटर्स को विकसित होने और पहचान बनाने का अवसर प्रदान करने पर बल देंगे।

इसी तरह का एक प्रयास ग्रामीण समुदाय युवा फ़ैलोशिप कार्यक्रम बनाकर किया जा रहा है, जो एक युवा अन्वेषक की प्रतिभा का दोहन करने और स्थानीय एसडीजी चुनौती के एक व्यवहार्य समाधान तैयार करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम को मौजूदा इनक्यूबेटर के विस्तार के रूप में या एक अलग स्थान बनाकर विशेष रूप से एसीआईसी जैसे प्री इनक्यूबेशन के तौर पर लागू किया जा सकता है। इस तरह का एक कार्यक्रम टियर 2/3 शहर, ग्रामीण क्षेत्रों या उन क्षेत्रों में अत्यधिक फायदेमंद होगा जहां पारंपरिक रूप से एक मज़बूत उद्यमशीलता परितंत्र मौजूद नहीं है। स्थानीय उद्यमों को शुरू करने और विकसित करने के लिए युवाओं को स्थान और सहायता देकर फ़ैलोशिप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में उद्यमिता के लिए अत्यावश्यक गति पैदा करेगा।



लेकिन कृषि क्षेत्र में नए सुधारों के आगमन के साथ युवा नवप्रवर्तकों को स्थानीय समाधानों को संस्थागत रूप प्रदान करने का अवसर दिया गया है जो कृषि क्षेत्र की इस चुनौती का हर पल सामना करते हैं।

एआई और ब्लॉकचैन जैसी नई तकनीकों के आने से उद्यमी देश के कृषि संकट का समाधान निकाल सकते हैं। ये प्रौद्योगिकियां न केवल फसलों के रूपाई पैटर्न पर इनपुट प्रदान करेंगी बल्कि किसानों को बाज़ार की घरेलू और वैश्विक मांगों की जानकारी भी प्रदान करेंगी। स्टार्टअप किसानों को कटाई-पूर्व चरण में उत्तम किस्म वाले बीज, प्रौद्योगिकी संचालित सिंचाई और परिशुद्ध कृषि प्रणालियां, जल संरक्षण, और पूर्वानुमान-आधारित बाज़ार अवसरों की मांग प्रदान कर सकते हैं। वे किसानों को त्वरित कटाई के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान और उचित भंडारण

यह भी अनिवार्य है कि इस फ़ैलोशिप कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) नेटवर्क द्वारा भरपूर सहायता मिले। निजी क्षेत्र फ़ैलोशिप प्राप्त करने वालों के समक्ष ट्रिपल बॉटम लाइन लक्ष्यों (लाभ, लोग और पर्यावरण) से व्युत्पन्न प्रासंगिक व्यापार चुनौतियां प्रदान करके फ़ैलोशिप चला सकते हैं और समाधान के विकास और कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस फ़ैलोशिप को उसे प्राप्त करने वालों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग के रूप में भी माना जा सकता है जिसके अंत में उनको संबंधित कंपनी से प्लेसमेंट का प्रस्ताव मिल सकता है या पूरे साल के दौरान उनके द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने वाला प्रमाणपत्र। फ़ैलोशिप का उपयोग राज्य और ज़िला नवाचार इकाइयों के साथ संपर्क स्थापित करने और वर्तमान में अनुपयोगी ज़िला नवाचार निधि का दोहन करने में किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक समग्र प्रणाली तैयार की जा सके।

डिजिटल टेक्नोलॉजी से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन
दशकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और संबद्ध गतिविधियों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। कृषि मशीनीकरण और टिकाऊ मूल्य शृंखलाओं का निर्माण एक ऐसा कठिन मसला रहा है जिसे कई प्रवर्तक हल नहीं कर पाए हैं। खेत से घर तक का मॉडल जटिल है और इसमें ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें स्टार्टअप और ग्रामीण भारत अभी भी समग्र रूप से हल करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

सुविधाएं प्रदान करके उनकी सहायता कर सकते हैं। स्टार्टअप किसानों को बाज़ार से सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान कर सकते हैं या उनके खेत के उत्पादों के खरीदार भी बन सकते हैं। स्टार्टअप और किसान कृषि उत्पाद से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने और बाज़ार में उत्पाद को एक साथ बेचने के लिए समझौता भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी अवसर स्टार्टअप के लिए मौजूद हैं और कृषि अर्थव्यवस्था में एक वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।

यहां स्थानीय नागरिक समाज संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करना उचित है जो स्थानीय किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन में मदद कर रहे हैं। ये एफपीओ भी उपर्युक्त सभी गतिविधियों में स्टार्टअप के साथ काम कर सकते हैं। एफपीओ किसान को एक बड़ा मूल्य संवर्धन नेटवर्क बनाने और एक जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सृजन की दिशा में एकीकृत पद्धति की स्थापना का अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।

ये सभी प्रयास आज न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए लाभदायक होंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत को एक ऐसा स्थायी भविष्य प्रदान करेंगे जो विश्व की मांगों की पूर्ति में भी सक्षम होगा।

(आर. रमणन अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग में मिशन निदेशक और अतिरिक्त सचिव हैं और मंगलेश यादव नीति आयोग में इनोवेशन लीड-एआईएम हैं; लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : r.ramanan@gov.in
manglesh.yadav@nic.in

संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य

—युगल जोशी

भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत सबको स्वच्छता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा, यानी 2030 से 11 साल पहले हासिल कर लिया। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय राजनीतिक नेतृत्व, लोक वित्त, साझेदारी और जन-भागीदारी को दिया जा सकता है। इन अभूतपूर्व उपलब्धियों को आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि ये स्थायी आदत बन जाएं। इसके अलावा, भारत को खुले में शौच की बुराई से मुक्त हुए गांवों को संपूर्ण स्वच्छ ग्राम भी तो बनाना है! इसलिए स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन के कार्य को जारी रखना होगा। स्वच्छ भारत मिशन—द्वितीय चरण का उद्देश्य जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि वे स्वच्छता और आरोग्य संबंधी बेहतर तौर-तरीकों को अपना सकें। इसलिए सूचना, शिक्षा और संचार स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का महत्वपूर्ण आयाम हैं।

यहां तक आ पहुंचे, हमें और आगे जाना।

स्वच्छता संदेश की हमें, जोत से जोत जगाना।


जून 2019 में पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता के बारे में ऐसा गीत बनाने का फैसला किया जो साफ-सफाई को प्रतीक रूप में निरूपित कर सकें। इसकी प्रेरणा 1980 के दशक में राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बने शानदार गीत 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' से प्राप्त हुई। हमने स्वच्छता के संदेश को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए गीतकार स्वानंद किरकरे के साथ कई बैठकें कीं।

जिस दिन हम अपनी गलियों को साफ करना बंद कर देते हैं, वे फिर से गंदी हो जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पहले चरण का लक्ष्य भारत को खुले में शौच करने की बुरी आदत से मुक्ति दिलाना था और इसे प्राप्त करने के बाद प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी था। 'खुले में शौच से मुक्त' होने का दर्जा (ओडीएफ) हासिल करना तो बहुत-सी ऊंची चोटियों में से किसी एक को फतह करने जैसा था। और यह सभी को इसके बारे में जागरूक बनाए बिना या हर किसी को साथ लेकर चले बिना संभव नहीं था। ऐसे में जो पंक्तियां

सामने आयीं, वे थीं : 'हमें और आगे जाना' और 'स्वच्छता संदेश की हमें, जोत से जोत जगाना'।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन अभियान बन गया और पांच साल में भारत ने खुले में शौच की बुराई से मुक्त होने का असंभव-सा लगने वाला लक्ष्य हासिल कर लिया। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस अभियान को एक जनान्दोलन में बदल दिया। देश भर के 130 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया।

इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वच्छता का दायरा, जो 2014 में 39 प्रतिशत था, 2019 में बढ़कर शत-प्रतिशत हो गया। देश भर में 10.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया और सभी जिलों ने अपने प्रयासों से खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल कर लिया। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), डलबर्ग जैसी विश्व स्तर की विभिन्न एजेंसियों ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों के महत्वपूर्ण आर्थिक, शैक्षिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी तथा सामाजिक प्रभावों का आकलन



1. <https://www.youtube.com/watch?v=Bnr1vzb88zo>

जनवरी 2021

किया है। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत सबको स्वच्छता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा, यानी 2030 से 11 साल पहले हासिल कर लिया।

इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अंग्रेजी के 'पी' अक्षर से शुरू होने वाले चार शब्दों पोलिटिकल लीडरशिप (राजनीतिक नेतृत्व), पब्लिक फाइनेंसिंग (लोक वित्त), पार्टनरशिप (साझेदारी) और पब्लिक पार्टिसिपेशन (जन भागीदारी) को दिया जा सकता है।

स्पष्ट है कि इन अभूतपूर्व उपलब्धियों को आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि ये स्थायी आदत बन जाएं। इसके अलावा, भारत को खुले में शौच की बुराई से मुक्त हुए गांवों को संपूर्ण स्वच्छ ग्राम, भी तो बनाना है! इसलिए स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन के कार्य को जारी रखना होगा।

2 अक्टूबर, 2019 को प्रधानमंत्री ने कहा था, "लेकिन अब सवाल यह है कि हमने जो हासिल कर लिया, वो काफी है क्या? इसका जवाब सीधा और स्पष्ट है। हमने आज जो हासिल किया है वह सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव मात्र है, सिर्फ पड़ाव भर है। स्वच्छ भारत के लिए हमारा सफर निरंतर जारी है।"

इस तरह, स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग और अन्य हितधारकों के साथ लंबे विचार-विमर्श का सिलसिला शुरू हुआ। पांच महीने के भीतर ही फरवरी 2020 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। कुल 1,40,881 करोड़ रुपये के खर्च से इस चरण में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और 'खुले में शौच से मुक्त' के दर्जे को कायम रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लगभग इसी समय 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट भी जारी हुई। इसमें भी ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक अनुदान सहायता शर्तों के आधार पर देने की व्यवस्था की गई। इस तरह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण इस तरह से तैयार किया गया है कि यह वित्तपोषण करने वाली विभिन्न संस्थाओं तथा केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल का अनूठा मॉडल बन गया है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग इसे मिशन मोड में 2020-21 से 2024-25 की अवधि में लागू कर रहा है। अभियान के दूसरे चरण में घरेलू शौचालयों और आवश्यकता पर आधारित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी। साथ ही, इससे ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचनाओं जैसे कम्पोस्ट खाद के गड्ढों, सोखता गड्ढों, बायो-गैस संयंत्रों, सामग्री निकालने की सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों के निर्माण आदि को बढ़ावा मिलेगा।

स्वच्छ भारत मिशन-द्वितीय चरण के लक्ष्य

अपने पहले चरण में स्वच्छ भारत मिशन एक मूलमंत्र बन चुका था और खुले में शौच की बुराई से मुक्त (ओडीएफ) होना भारत की एक ऐसी जबर्दस्त कामयाबी थी जिसका स्वच्छ गांव का उद्घोष प्रतिध्वनित होकर चरण-दर-चरण प्रगति का संकेत दे रहा था। इस तरह खुले में शौच से मुक्ति से भी आगे की स्थिति को दर्शाने वाला शब्द ओडीएफ प्लस गढ़ा गया।

'ओडीएफ प्लस गांव' की परिभाषा एक ऐसे 'गांव' के रूप में की जाती है जो अपना खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ का दर्जा बनाए रखने के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और साफ-सुथरा नज़र आता है। देशभर के गांवों को ओडीएफ प्लस गांव बनाना स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का प्रमुख उद्देश्य बन गया।

दूसरे चरण के दिशानिर्देशों के अनुसार 'साफ-सुथरा दिखाई देने' की भी परिभाषा की गई है। ऐसा गांव, जिसमें कम से कम 80 प्रतिशत घरों और सभी सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा कम से कम बिखरा हो, रुका हुआ पानी भी कम से कम हो और गांव में प्लास्टिक कचरे का ढेर न हो तथा घरों से निकलने वाले गंदे पानी और जल-मल के प्रबंधन की व्यवस्था हो, तो उसे साफ-सुथरा दिखाई देने वाला गांव माना जाता है।

दशानिर्देशों में स्वच्छ भारत मिशन-द्वितीय चरण में ओडीएफ दर्जा हासिल करने के लिए जो बातें बतायी गई हैं, वे इस प्रकार हैं: पारिवारिक शौचालय बनाना, जिन घरों में शौचालय नहीं है उनमें इनका निर्माण, जहां जरूरत हो वहां सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण, जैव-अपघटनीय अपशिष्ट प्रबंधन, गोबरधन (यानी कार्बनिक जैव कृषि संसाधन बढ़ाना), प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, घरों से निकलने वाले पानी का प्रबंधन और जलमल का प्रबंधन।

किसी गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित जांच सूची उपलब्ध कराई गई है:

- (1) सभी परिवारों को शौचालयों की सुविधा चालू हालत में मिले।
- (2) सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत घरों में चालू हालत में शौचालय सुविधा उपलब्ध हो और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय हों।
- (3) सार्वजनिक स्थान साफ-सुथरे दिखाई दें।
- (4) कम से कम 80 प्रतिशत घरों और सभी सार्वजनिक घरों और सभी सार्वजनिक संस्थाओं में जैव-अपघटनीय ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो।
- (5) गांव में प्लास्टिक की छंटाई और इसका संग्रह करने की प्रणाली हो।
- (6) पांच प्रमुख विषयों-ओडीएफ दर्जे की निरंतरता, साबुन से हाथ धोने, कम्पोस्ट गड्ढों से जैव अपघटनीय अपशिष्ट प्रबंधन, सोखता गड्ढों से गंदे पानी का प्रबंधन और प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन तथा हर एक गांव में कम से कम पांच ओडीएफ प्लस के बारे में सूचना, शिक्षा और संचार करने वाली वॉल पेंटिंग्स बनाई जानी चाहिए।

स्वच्छ भारत मिशन-द्वितीय चरण पर अमल के लिए दिशा-निर्देशक सिद्धांत

स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इसलिए इसके अमल को सुविधाजनक बनाने और निर्धारित समय-सीमा में वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ दिशानिर्देश बनाए गए हैं। संक्षेप में ये इस प्रकार हैं:

- (1) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी छूटने न पाए : अगर दूसरे चरण में नए परिवारों का पता चलता है, या कोई छूटा हुआ पात्र परिवार सामने आता है तो ऐसे परिवारों की ग्राम/

ज़िला पंचायत द्वारा पहचान हो जाने के बाद शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। आवश्यकता पर आधारित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण का भी प्रावधान है।

(2) स्रोत पर ही अपशिष्ट का बनना कम करके अपशिष्ट की मात्रा घटाना, उसके फिर से इस्तेमाल और पुनर्चक्रण को बढ़ावा।

(3) जहां भी संभव हो, वहां मौजूदा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के ढांचे का उपयोग करने के लिए उसे पुनर्जीवित करना, उपयोग में लाना और उसका उच्चीकरण करना।

(4) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामुदायिक संपत्तियों को प्राथमिकता और उनका वित्तपोषण: यह सुनिश्चित करना कि जहां तक संभव हो, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा गांव के प्रत्येक परिवार की पहुंच के दायरे में हो और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा वित्तपोषण को प्राथमिकता दी जाए।

(5) संचालन और रखरखाव के कार्य को नियोजन का अनिवार्य घटक बनाया जाए।

(6) कम संचालन और अनुरक्षण लागत वाली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा।

(7) राज्यों को उपयुक्त क्रियान्वयन प्रणाली और अपनी परिस्थितियों के अनुसार टेक्नोलॉजी के चयन का फैसला करने की छूट होगी।

(8) अधिकतम आर्थिक दक्षता के लिए गांवों के समूह बनाना: जहां भी जरूरी हो और संभव हो, एक ही परियोजना के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के गांवों के, प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर क्लस्टर या समूह बनाए जा सकेंगे।

(9) अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल : यह कार्यक्रम समन्वित कार्रवाई और परिसंपत्तियों एवं सेवाओं के एक साथ वित्तपोषण के लिए तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए वित्त आयोग परिसंपत्तियों के एक साथ वित्तपोषण के लिए धन उपलब्ध कराता है; जल जीवन मिशन गंदे पानी के प्रबंधन के लिए वित्तपोषण करता है; मनरेगा निधियों और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल कायम करने का कार्य करता है तो कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के कौशल विकास का कार्य देखता है।

(10) आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल/व्यावसायिक मॉडल तैयार करना : इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का फायदा उठाए। राज्यों को ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए जो लाभप्रद मॉडल और लागत साझेदारी, लागत वसूली और राजस्व पैदा करने के सिद्धांत पर आधारित हैं।

(11) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रयासों पर अमल के लिए गंगा और अन्य जल प्रणालियों के तट पर बसे गांवों को प्राथमिकता।

स्वच्छ भारत-ग्रामीण (द्वितीय चरण) के लिए नियोजन

स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता संबंधी प्रयासों के लिए विकेंद्रित नियोजन को बढ़ावा देता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने सभी गांवों के लिए समन्वित तरीके से ग्राम कार्रवाई

योजना तैयार करे। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और जल जीवन मिशन के लिए सहभागितापूर्ण तरीके से, खासतौर पर महिलाओं और उपेक्षित तबकों के लोगों की सहभागिता से योजना बनाई जानी चाहिए ताकि ग्राम कार्रवाई योजना पर अमल से सबको बराबरी के आधार पर फायदा मिले। योजना ग्रामसभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए और ग्रामसभा की मंजूरी प्राप्त कर उसे दर्ज किया जाना चाहिए।

ज़िला-स्तर पर, प्रत्येक ज़िले से अपेक्षा की गई है कि वह ग्राम कार्रवाई योजनाओं को समेकित करने के बाद ज़िला स्वच्छता योजना बनाएगा। ज़िले हर साल राज्य जल और स्वच्छता समिति द्वारा तय की गई तारीख के अनुसार योजना बनाएंगे और इसे राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर एम.आई.एस. (मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम) पर अपलोड करेंगे।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (द्वितीय चरण) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज़िला स्वच्छता योजनाओं को समेकित कर हर साल परियोजना क्रियान्वयन योजना (पी.आई.पी.) और वार्षिक क्रियान्वयन योजना (ए.आई.पी.) तैयार करेंगे। इसके बाद कार्यक्रमों को मंजूरी देने वाली राष्ट्रीय समिति स्वच्छता समिति परियोजना, क्रियान्वयन योजना और वार्षिक क्रियान्वयन योजना पर विचार कर उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर साल पहली मार्च तक इन योजनाओं को बनाकर आईएमआईएस पर अपलोड कर देंगे।

सूचना, शिक्षा और संचार

स्वच्छ भारत मिशन-प्रथम चरण की ख्याति सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी असाधारण गतिविधियों के लिए है। यह मिशन सिर्फ पर्याप्त संख्या में शौचालयों के निर्माण का कार्यक्रम नहीं था बल्कि यह जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाने का अभियान था। इसके बारे में दावा किया गया था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान था और स्वच्छ भारत मिशन की सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के तहत हजारों व्यवहार परिवर्तन अभियान तथा जबर्दस्त जनसंचार अभियान आयोजित किए गए जिनमें करोड़ों विद्यार्थियों, महिलाओं, शिक्षकों, कैडेटों, जानी-मानी हस्तियों, राजनेताओं, धार्मिक नेताओं और जीवन के तमाम क्षेत्रों के लोगों ने भागीदारी निभाई।

स्वच्छ भारत मिशन-द्वितीय चरण का उद्देश्य जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि वे स्वच्छता और आरोग्य संबंधी बेहतर तौर-तरीकों को अपना सकें। इसलिए सूचना, शिक्षा और संचार स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का महत्वपूर्ण आयाम हैं। कुल परियोजना खर्च का 5 प्रतिशत स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण में सूचना, शिक्षा और संचार तथा क्षमता निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया है। प्रथम चरण में इसके लिए 8 प्रतिशत धनराशि दी गई थी। उपलब्ध कराए गए धन का 2 प्रतिशत केंद्रीय स्तर पर खर्च किया जाएगा और बाकी 3 प्रतिशत का उपयोग ज़िला और राज्य-स्तर पर किया जाएगा। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच खर्च की साझेदारी 60:40 के अनुपात में होगी, लेकिन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/विशेष श्रेणी

के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का होगा।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अपेक्षा की गई है कि वे सूचना, शिक्षा और संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार संबंधी गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए वे गतिविधियों की योजनाएं बनाएंगे, प्रचार अभियान तैयार करेंगे, उनकी निगरानी तथा मूल्यांकन करेंगे, राज्य/केंद्र के अभियानों में सभी हितधारकों को शामिल करेंगे और सभी स्तरों पर जानकारी साझा करने में मदद करेंगे।

ज़िला-स्तर पर ज़िलों से भी अपेक्षा की गई है कि वे अपनी सूचना, शिक्षा और संचार योजना बनाएंगे, धन का आबंटन करेंगे, कुशल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और सूचनाओं के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन-द्वितीय चरण के ऊपर बताए गए घटकों के अलावा ओडीएफ प्लस के सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण संदेश हैं : स्रोत पर ही कचरे की छंटाई, माहवारी से संबंधित कूड़े-कचरे का प्रबंधन और आरोग्य संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देना, मॉस्क का उपयोग और कोविड-19 के प्रकोप के दौरान एक-दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना।

क्षमता निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में मानव संसाधनों की क्षमता के निर्माण और उनका नेतृत्व करने तथा विभिन्न गतिविधियां जारी रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाना, स्वच्छता के बारे में रिफ्रेशर प्रशिक्षण देना, जागरूकता फैलाना और तकनीकी जानकारी प्रदान करना बहुत जरूरी होगा। राज्य, ज़िला, ब्लॉक और ग्राम-स्तर के सामान्य हितधारक की योजना बनाने, उसे लागू करने और ओडीएफ प्लस संबंधी निगरानी करने की उसकी क्षमताओं का निर्माण करना होगा। इन हितधारकों में ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियों, ब्लॉक जल तथा स्वच्छता समितियों, ज़िला जल तथा स्वच्छता मिशन, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसहायता समूहों, सिविल सोसायटी संगठनों/एनजीओ आदि शामिल हैं।

ओडीएफ प्लस में प्रारंभिक जानकारी और उसके बाद प्रशिक्षण इसके बहुत से पहलुओं के बारे में हो सकता है जिनमें अंतर्व्यक्तिक संवाद से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, घर-घर दौरा करना, चिनाई का काम, नलसाजी, कम्पोस्ट गड्डे बनाना, सोकपिट बनाना, शेड बनाना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में 'स्वच्छाग्रही' सेना के थल सैनिकों की तरह हैं और शौचालयों के उपयोग संबंधी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट प्रेरक साबित हुए हैं। दूसरे चरण में भी इन स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पहले चरण की तरह ही अपनी भूमिका निभा सकें, इसके लिए उनके साथ लगातार जुड़ना होगा, उनकी क्षमताओं को और सुदृढ़ तथा असरदार बनाना होगा और लगातार कार्य करने के लिए उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करने होंगे।

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इन प्रेरकों/स्वच्छाग्रहियों की गतिविधियों के अनुसार विभिन्न दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(विस्तृत विवरण के लिए देखें : https://swachhbharatmission.gov.in/SBMCMS/writereadaddots/portal/images/pdf/sbm_ph-II-guidelines.pdf)

संस्थागत व्यवस्थाएं

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कार्यक्रमों को स्वीकृति देने वाली राष्ट्रीय समिति (एनएसएससी) है जो परियोजना क्रियान्वयन योजना (पी.आई.पी) और वार्षिक क्रियान्वयन योजनाओं (ए.आई.पी.) को स्वीकृति और उनमें संशोधन करती है। राज्य-स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन कार्य कर रहे हैं। आमतौर पर हर राज्य में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए राज्यों के मिशन भी कार्य कर रहे हैं। विभाग संचालन मंडल प्रभारी के नाते इसकी अध्यक्षता करता है। राज्य का मिशन स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता है और ए.आई.पी. तथा पी.आई.पी तैयार करता है, अनुदान सहायता प्राप्त करता है और निचले संगठनों के लिए धनराशि का संवितरण करता है।

ज़िला-स्तर पर ज़िला कलेक्टर या ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में ज़िला जल और स्वच्छता मिशन कार्य कर रहे हैं। इसी तरह ब्लॉकों में ब्लॉक जल और स्वच्छता समितियां गठित की गई हैं और पंचायत-स्तर पर सरपंचों की अध्यक्षता में ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियां हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण को लागू करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वितीय चरण में पंचायती राज संस्थाएं और भी बड़ी तथा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, खासतौर पर तब जब 15वें वित्त आयोग ने स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए प्रावधान कर दिए हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वह हर वित्त वर्ष में ग्राम स्वच्छता योजना बनाएगी और इसे ग्राम पंचायत विकास परियोजना के सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट योजना साफ्टवेयर में स्वच्छ भारत ग्रामीण एम.आई.एस. पर अपलोड करेगी। राज्यों की व्यवस्था के अनुरूप धनराशि प्राप्त करना और खुद के संसाधनों से सामुदायिक शौचालयों का वित्तपोषण तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण कार्य है। ग्राम पंचायत के ढांचे के अंतर्गत काम करने वाली सभी संस्थाओं और समितियों को अपने कार्यक्रम में स्वच्छता को प्राथमिकता देनी होगी।

यह उम्मीद की जाती है कि ज़िले से मिली सहायता से ग्राम पंचायतें कारोबार, कॉरपोरेट, सामाजिक संगठनों और वित्तीय संस्थाओं से संपर्क करके परिसंपत्तियों के निर्माण और उनके संचालन तथा अनुरक्षण में मदद लेंगी। ग्राम पंचायत इन परिसंपत्तियों, जैसे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, जल-मल निकासी और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की संरक्षक भी होगी।

द्वितीय चरण की गतिविधियों की निगरानी का कार्य ब्लॉक-स्तर और ज़िला-स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है।

ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन का सोशल ऑडिट आयोजित करने और उसको सहायता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वित्तीय नियोजन और कार्यक्रम वित्तपोषण

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में धन की साझेदारी 90:10 के अनुपात में होती है। बाकी केंद्रशासित प्रदेशों के लिए शत-प्रतिशत धनराशि केंद्र द्वारा दी जाती है जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 60:40 के अनुपात में होती है जहां भारत सरकार की तरफ से समतुल्य वित्तपोषण उपलब्ध रहता है; लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/ज़िले वित्तीय नियोजन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज़िलों और ग्राम पंचायतों की सभी विश्वसनीय योजनाओं का वित्तपोषण हो रहा है और कार्यक्रम के तमाम घटकों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के द्वितीय चरण के लिए धनराशि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी कार्यनिष्पादन और कार्यक्रमों के परिणाम प्राप्त करने की उनकी क्षमता के आधार पर जारी की जाती है। पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को धन देता है। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से धन का अंतरण होने के 15 दिन के भीतर राज्य सरकारों द्वारा राज्य की ओर से उतनी ही राशि के हिस्से के साथ राज्य स्वच्छ भारत मिशन को धन जारी करना जरूरी है। अगर राज्य का हिस्सा अग्रिम रूप से जमा करा दिया जाता है तो इसे बाद के वर्षों में केंद्र के हिस्से के साथ समायोजित कर दिया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों को धनराशि तभी दी जाएगी जब संबंधित सरकार इस आशय का वचनपत्र उपलब्ध कराएगी कि स्वच्छता गतिविधियों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि को ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित किया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास

स्वच्छ भारत मिशन-द्वितीय चरण पारिवारिक शौचालय बनाने के मुकाबले कहीं अधिक जटिल है। इसलिए स्वच्छता टेक्नोलॉजी की समीक्षा, उपयुक्त टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, विकेंद्रित संचालन और रखरखाव को मज़बूत करना और कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिन पर पेयजल और स्वच्छता विभाग ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्यों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की गई है जो इस क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और नवाचार के बारे में परामर्श देती है।

विभाग के संयुक्त/अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अनुसंधान और विकास सलाहकार समिति कार्य करेगी जो स्वच्छता

संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। राज्य सरकारों को भी पर्याप्त श्रमशक्ति और बुनियादी ढांचे वाले अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रकोष्ठों से अपेक्षा की गई है कि वे राज्य की प्रमुख तकनीकी और अनुसंधान संस्थाओं के साथ संपर्क में रहेंगे।

निगरानी और मूल्यांकन

पेयजल और स्वच्छता विभाग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ज़िलों के साथ समन्वय स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन-द्वितीय चरण के कार्य की निगरानी और मूल्यांकन करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। निगरानी और मूल्यांकन के दो पहलू हैं: पहला, गांवों का ओडीएफ प्लस बने रहना सुनिश्चित करना; और दूसरा सृजित परिसंपत्तियां और किया गया खर्च।

निगरानी ढांचे को इस बात की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां संचालित की गई हों, गांवों का ओडीएफ दर्जा बरकरार हो, पर्याप्त ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया गया हो और गांव साफ-सुथरा दिखाई देता हो।

निगरानी गतिविधियों का उद्देश्य कार्यक्रम के नतीजे प्रभावी तरीके से और दक्षतापूर्वक प्राप्त करना होना चाहिए। इसमें स्वतंत्र मूल्यांकन, आवधिक समीक्षा, क्षेत्रीय दौरे और विषय विशेष पर आधारित परामर्श के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति सुनिश्चित करने जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। अभियान के संचालनात्मक दिशानिर्देशों में गुणात्मक (परिणामों) और संख्यात्मक (प्रगति) दोनों को शामिल किया गया है।

आगे का रास्ता

8 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आगे का मार्ग दिखाते हुए कहा था : "स्वच्छता का अभियान एक सफर है, जो निरंतर चलता रहेगा। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ओडीएफ के बाद अब ओडीएफ प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें चाहे शहर हो या गांव, कचरे के मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। हमें कचरे से कंचन बनाने के काम को तेज़ करना है।"

प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित होकर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस अभियान को जनांदोलन में बदलकर संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने की वचनबद्धता प्रकट की गई है। इसके लिए अभियान में प्रथम चरण से भी जबर्दस्त रफ्तार लानी होगी, जो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पहले चरण की तरह इस मिशन के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की सद्भावनाएं और उनका समर्थन है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में इसे सफल बनाने की इच्छाशक्ति, क्षमता, समर्पण, अनुभव और ऊर्जा भी इसमें है।

(लेखक स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय में निदेशक आईईसी और क्षमता निर्माण हैं।)
(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : hiyugal@gmail.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : ग्रामीण विकास की ओर सार्थक कदम

—चंद्रभूषण शर्मा, पवन शर्मा

गांव के बच्चे जो संपूर्ण बच्चों की आबादी के लगभग साठ प्रतिशत हैं, उन्हें उचित एवं बराबरी का बर्ताव नहीं मिला। उनका अधिगम धीमा हुआ चूंकि शिक्षण का माध्यम उनकी भाषा में नहीं था, विषयों का चुनाव उनकी रुचि एवं जीवन से जुड़ा हुआ नहीं था; शिक्षक या तो उपलब्ध नहीं थे या उपलब्ध थे तो पढ़ाने में इनकी रुचि नहीं थी क्योंकि वे बच्चों के समाज से अपने को जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। अब शिक्षक संवेदनशील होकर बच्चों से जुड़कर जीवन उपयोगी शिक्षा देंगे। ये सही मायने में अन्त्योदय की शिक्षा नीति है।

यदि आज़ादी के 73 साल बाद भी भारत को पिछड़े देशों की सूची में रखा जा रहा है तो इसका एकमात्र कारण गांवों का पिछड़ापन है। आज भी 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है और गांव के विकास की ओर भारत एवं राज्य सरकारों का कम ही ध्यान गया। गांव के जो लोग जागरूक बन पाए और स्वयं या अपने परिवार को विकसित करने का प्रयास किया, उन्हें गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा। यही कारण रहा कि गांव से शहर की तरफ पलायन बढ़ता रहा और हमारे गांव जर्जर होते गए। गांव के विद्यालय जहां अच्छे भवन, अच्छी सुविधाएं व अच्छे शिक्षक होने चाहिए थे, वहीं विद्यालयी भवनों की खराब स्थिति, पढ़ने-लिखने की सामग्री की कमी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक भी उपलब्ध नहीं थे। जिन शिक्षकों की नियुक्ति गांवों में पढ़ाने के लिए होती थी, वे भी गांव में नहीं रहते और कभी-कभी विद्यालय चले जाते हैं। शिक्षकों का गांव में रहना ज़रूरी था क्योंकि वे न सिर्फ बच्चों के पढ़ने-पढ़ाने का काम करते परंतु दूसरी ज़रूरी

जानकारी जैसे खेती के नए तौर-तरीके, बीमारियां व उनके इलाज एवं अन्य सूचनाएं जो गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं होती, ये शिक्षक ही उपलब्ध कराते हैं। यह कारण रहा कि गांव के शिक्षक मात्र पढ़ाने-लिखाने का नहीं परंतु गांव के लोगों का मार्गदर्शन भी करते थे। शिक्षक 'गुरु' की भूमिका में था। यही भारत की परंपरा रही है और यह एक आयाम था हमारे गांवों के खुशहाल होने का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गांव के विद्यालयों का आमूलचूल परिवर्तन का खाका खींचती है और यह विश्वास किया जा सकता है कि 2025 से 2030 तक हमारे गांवों के विद्यालयों का संपूर्ण कायाकल्प हो जाएगा।

भारतीय शिक्षा में ज्ञान एवं हुनर का समावेश

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारत में साक्षरता दर लगभग बारह प्रतिशत थी परंतु भारत की सकल व्यापार में हिस्सेदारी मात्र तीन प्रतिशत के करीब थी। अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने ना सिर्फ शिक्षा के तंत्र को तहस-नहस किया परंतु



कुटीर उद्योग संपूर्ण व्यापार और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा थे, उसे भी ध्वस्त कर दिया। कुटीर उद्योग और उत्पादन हमारी ज्ञान संपदा का ही हिस्सा थे। हमारे संस्थानों में एक तरफ तो वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी तो दूसरी तरफ, हाथ से काम करना और मेहनत कर जीवनयापन के लिए साधन जुटाना भी सिखाया जाता था। भारतीय विद्या परंपरा की अवधारणा विद्या को 'सा विद्या या विमुक्तये' का माध्यम माना गया था। विद्या या ज्ञान को मात्र अर्थोपार्जन का माध्यम नहीं माना गया था ना शिक्षा पद्धति का आधार था। पर 1835 के बाद जब मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति एवं अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी ज्ञान के प्रसार की परंपरा डाली तो कामगार की इज्जत घटने लगी, और कामगार समाज में उपेक्षित एवं विप्र हो गया।

भारतीय समाज में विद्या की परंपरा से अलग काश्तकारी की ज्ञान-परंपरा नहीं थी। यही कारण था कि संपूर्ण भारतीय समाज ज्ञान (अर्थात् विद्या एवं काश्तकारी) का सम्मान एवं पोषण करता था। परंतु जैसे-जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, भारत में काश्तकार एवं कामगार उपेक्षित होता गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस विषमता को दूर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यही कारण है कि पिप्पलाद के छह शिष्य जो पिप्पलाद के आश्रम में एक साल तक उनके साथ रह कर जीवन दर्शन का ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर उनसे प्रश्न करते हैं जिन प्रश्नों की सारगर्भिता के आधार पर उन्हें 'ज्ञानी' माना गया। दूसरी तरफ, गौतम के शिष्य सत्यकाम को दिया गया कार्य कि वो चार सौ गायों को जंगल में ले जाए और जब वो एक हजार हो जाएं तो लौट कर आए। उनके लौटने पर गुरु गौतम ने उन्हें 'शिक्षित' घोषित किया। भारतीय शिक्षा पद्धति में हर विद्यार्थी के लिए अलग शिक्षण शास्त्र और शिक्षा पद्धति होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की नई विधियों का समावेश कर हर विद्यार्थी को उसकी रुचि विषय के चयन करने का तथा उसके मन-मुताबिक मूल्यांकन कराने की स्वतंत्रता देती है। हमारी शिक्षा को बहुत कठोर बना दिया गया था, जो लचीला बनेगा और उसका अधिक लाभ गांव के बच्चों और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिलेगा।

भारतीय परंपरा में पुस्तक एवं दर्शन के ज्ञान को उतना ही महत्व दिया गया है जितना पर्यावरण, जीव-जंतु एवं समाज को। इसी ज्ञान की परंपरा ने हमें दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाया था। मुगल और अंग्रेजी शासन ने हमारी इसी परंपरा को नष्ट किया और हम पिछड़े या विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस विरूपता को बदलेगी और हमारी परंपराओं को प्रतिस्थापित करेगी।

शिक्षा के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन

शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था में बच्चा छह वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। ये परंपरा भारत में हजारों सालों से चली आ रही है। रामायण, महाभारत में भी छात्रों के आश्रम जाने की बात छह वर्ष की आयु में ही है परंतु तब समाज सुशिक्षित था और छह वर्ष की आयु तक बच्चा मां से ही बहुत कुछ सीख लेता था। आधुनिक भारतीय समाज में, जहां एक बड़ी संख्या में माता-पिता अशिक्षित हैं, बच्चा घर के परिवेश में कुछ सीख नहीं पाता। परंतु जो बच्चे शिक्षित परिवारों से आते हैं, वे छह वर्ष की आयु तक बहुत कुछ सीख लेते हैं। अशिक्षित माता-पिता के बच्चे शिक्षित माता-पिता के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते और विद्यालय ही छोड़ देते हैं। इन बच्चों के विद्यालय छोड़ने का मुख्य कारण होता है उनकी भाषा में शिक्षा ना प्राप्त होना और

दूसरा मुख्य कारण होता है उन ज्ञान या हुनर को विद्यालय में स्थान नहीं पाना जो उनके परिवारों में उपलब्ध हैं जैसे कृषि का ज्ञान, कपड़ा बनाने का हुनर, चमड़े का सामान बनाना इत्यादि। वर्तमान व्यवस्था में मात्र आधुनिक विषयक ज्ञान (अकादमिक) ही बच्चों को दिया जाता है। बच्चे यह पढ़ कर नौकरी खोजते हैं जो मात्र शहरों में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दो मुख्य बदलाव करने जा रही है अब बच्चों को तीन साल की उम्र से ही पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और उनकी मातृभाषा अर्थात् आठवीं अनुसूची की भाषाओं में ही नहीं परंतु वैसी सभी भाषाएं जो बच्चे घरों-परिवारों में नित बोलचाल में काम में लाते हैं, उन भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका बड़ा लाभ गांव के बच्चों को मिलेगा। बच्चों के समय का सदुपयोग होगा और तीन वर्ष से छह वर्ष का कालखंड, जो व्यर्थ जाता था, बच्चे जीवन उपयोगी चीज सीखने में लगाएंगे।

दूसरा मुख्य कारण होता है उन ज्ञान या हुनर को विद्यालय में स्थान नहीं पाना जो उनके परिवारों में उपलब्ध हैं जैसे कृषि का ज्ञान, कपड़ा बनाने का हुनर, चमड़े का सामान बनाना इत्यादि। वर्तमान व्यवस्था में मात्र आधुनिक विषयक ज्ञान (अकादमिक) ही बच्चों को दिया जाता है। बच्चे यह पढ़ कर नौकरी खोजते हैं जो मात्र शहरों में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दो मुख्य बदलाव करने जा रही है अब बच्चों को तीन साल की उम्र से ही पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और उनकी मातृभाषा अर्थात् आठवीं अनुसूची की भाषाओं में ही नहीं परंतु वैसी सभी भाषाएं जो बच्चे घरों-परिवारों में नित बोलचाल में काम में लाते हैं, उन भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका बड़ा लाभ गांव के बच्चों को मिलेगा। बच्चों के समय का सदुपयोग होगा और तीन वर्ष से छह वर्ष का कालखंड, जो व्यर्थ जाता था, बच्चे जीवन उपयोगी चीज सीखने में लगाएंगे।

भारत में 1975 में जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी योजना शुरू की गई थी। आंगनवाड़ी योजना के तहत आज देशभर में तेरह लाख से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में प्रसवकाल में महिलाओं को आवश्यक दवा एवं जन्म से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना होता है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियुक्त कर्मचारी को शिक्षा प्रदान करने का प्रशिक्षण नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से सेविका के रूप में ही काम करती हैं। इनका काम अशैक्षणिक ही होता है। ये सेविका कई बार दसवीं या उससे भी कम पढ़ी-लिखी होती हैं।

आंगनवाड़ी योजना समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत 1975 में शुरू की गई थी। आज तक कई जगहों पर ये केंद्र टूटे-फूटे मकानों से या पेड़ के नीचे चल रहे

हैं। इन केंद्रों पर पैसा तो खर्च हुआ लेकिन इनका पूरा लाभ नहीं लिया जा सका। आंगनवाड़ी केंद्रों पर समाज के पिछड़े तबके के बच्चे ही आते हैं परंतु इन्हें पढ़ने-लिखने या विद्यालय के लिए तैयार करने की प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाता है। सेविका को न ही इसका ज्ञान है न प्रशिक्षण। करोड़ों बच्चों यहां अपना दिन बिताते हैं परंतु सीखते कुछ भी नहीं। सेविका को स्वयं भी इसका प्रशिक्षण नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उस कमी को दूर करने का एक बड़ा प्रयास करने जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों को पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया से जोड़ने का मुख्य कारण है कि 2015 में जब एक नई शिक्षा नीति पर काम शुरू हुआ तो तत्कालीन राज्य शिक्षा मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा जी की अध्यक्षता में एक समिति "आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन" की समस्या अर्थात् जो बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के दशकों के बावजूद विद्यालय नहीं पहुंचे या विद्यालय छोड़ गए, उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए बनी थी। ऐसा पता चला कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग साठ लाख बच्चे और दूसरे अध्ययनों के अनुसार लगभग दो करोड़ बच्चे, जिनकी उम्र छह से चौदह वर्ष थी, विद्यालय के बाहर थे। ये बच्चे मुख्यतः अशिक्षित माता-पिता के, समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के थे। आंगनवाड़ी की व्यवस्था इन्हीं बच्चों के लिए की गई थी। परंतु इन बच्चों को पूरा लाभ नहीं मिला और ये बच्चे उन्मुख नहीं हुए क्योंकि आंगनवाड़ी की सेविका; विद्यालय के लिए तैयार नहीं कर सकीं; सेविकाओं की स्वयं की भी शिक्षा-दीक्षा इतनी नहीं थी कि बच्चों को वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएं।

इसी कालखंड अर्थात् 2015-16 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति पर काम शुरू किया था। तेरह विषय विद्यालयी शिक्षा के लिए रखे गए थे। कुशवाहा समिति की रिपोर्ट और मंत्रालय के अध्ययन से ये बात सामने आयी कि वे बच्चे जो विद्यालय छोड़ गए, वे इस कारण कि उनको छह साल में जब वे विद्यालय में दाखिला लेते हैं, ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जो उनकी भाषा नहीं है। जो बच्चे समृद्ध एवं पढ़े-लिखे परिवारों से आते हैं, उन्हें समझने में परेशानी नहीं होती। जो बच्चे अशिक्षित परिवारों से आते हैं वे कुछ भी नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस कमी को दूर करने का वादा करती है। हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध होगी।** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हीं बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बीच की ज्ञानोपार्जन एवं हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं पर जोर देते हुए अवधारणात्मक समझ का विकास करेगी ताकि ये भाषा के विकास की कमी के कारण न पिछड़ जाएं एवं जब यह बच्चे विद्यालय अर्थात् कक्षा एक में प्रवेश करें तो दूसरे बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

दूसरा बड़ा परिवर्तन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाया है, वो यह कि अकादमिक विषयों के साथ-साथ बच्चे सह-अकादमिक का भी अध्ययन कर सकेंगे और उसमें अपनी विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

2011-12 के सत्र से महाविद्यालयों में बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी परंतु जिन विषयों में बी.वाक. की पढ़ाई शुरू हुई उनमें विद्यालयों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे बी.वाक. में बिना किसी पूर्व ज्ञान के दाखिला ले रहे थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि विद्यार्थी बी. वाक. करने के बाद भी अपना व्यवसाय स्थापित करने अथवा व्यवसाय-मूलक क्षेत्र में अच्छी समझ का परिचय नहीं दे पाए। महाविद्यालयों में बी. वाक. शुरू करने का लाभ समाज को नहीं मिल पाया।

हमारी विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया विद्यार्थियों को व्यवसाय से अर्थात् हाथ से काम करने की प्रक्रिया से न सिर्फ दूर करती है परंतु उसके प्रति तिरस्कार का भाव भी पैदा कर देती है। बच्चा जैसे-जैसे पढ़ता जाता है तो उसमें नौकरी वो भी सरकारी नौकरी पाने की लालसा बढ़ती जाती है।

यहां यह याद दिलाना समीचीन होगा कि टी. बी. मेकौले ने 1835 में भारतीय शिक्षा के भविष्य की रूपरेखा खींची थी तो उसके मन में यही विचार था कि भारत का पढ़ा-लिखा व्यक्ति केवल अंग्रेज शासकों एवं भारतीय जनता के बीच की कड़ी बने और अंग्रेजी शासन को भारत में लंबे समय तक चलाने में मदद करे। आज भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति देश हित से ज्यादा स्वहित एवं सत्ताधारी के हित की सोचता है। शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव में लचीलापन देती है। अभी तक विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव में खास ग्रुप से ही विषय चुनने होते थे अर्थात् विज्ञान, कला एवं वाणिज्य। विज्ञान के विद्यार्थी

कला एवं वाणिज्य नहीं ले सकते थे उनकी रुचि हो तो भी। उसी प्रकार कला के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय और वाणिज्य के विद्यार्थी विज्ञान एवं कला के विषय नहीं ले सकते थे। हमारी परम्परा में विषयों का समन्वय करने का प्रावधान था, उसी परम्परा की पुनः स्थापना का प्रयास 2020 की नीति करती है। नीति 4.7 में स्पष्ट कहती है कला समन्वय (आर्ट इन्टीग्रेशन) एक क्रॉस- करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का प्रयोग किया जाता है। अनुभव-आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला-समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा। "आगे नीति 4.9 में कहती है-" विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव में विकल्प दिए जाएंगे- इसमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा

व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे, ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सकें।

यह स्पष्ट है कि कला समन्वय को आधार बना के कला, संस्कृति एवं विषयों के चुनाव में लचीलापन दे उन्हें जीवन की योजना बनाने में मदद मिले न कि नौकरी की तलाश उनका उद्देश्य हो। इस लचीलेपन का प्रभाव ये होगा कि बच्चा गणित के साथ अर्थशास्त्र एवं कृषि विषय लेकर अपने जीवन की योजना के तौर पर कृषि आधारित कोई व्यापार गांव में रहते हुए शुरू कर सकता है। आज किसान का काम वही



करता है जो शिक्षा से वंचित है। ऐसे किसान का उत्पादन साहूकार ले जाता है। परन्तु जब किसान विद्यालय में कृषि विषय का ही अध्ययन करेगा तथा साथ में अपने उत्पाद के रखरखाव के विभिन्न तरीकों का भी अध्ययन करेगा तो छोटा कुटीर उद्योग लगाकर अपने उत्पाद का व्यापार भी कर पाएगा। नीति इन विसंगतियों को तो दूर करेगी ही, साथ में शिक्षक की कमी को भी दूर करेगी।

योग्य एवं समाज से जुड़े शिक्षक : गांवों के विद्यालयों की दुर्दशा का एक और मुख्य कारण शिक्षकों की कमी रही है। गांधी जी के 1937 में बुनियादी शिक्षा की योजना में जो कहा था वो पुनः 2020 की नीति में दोहराया गया है कि **शिक्षकों के चुनाव में क्षेत्रीय या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी खासकर महिलाओं को।**

सत्तर से अस्सी प्रतिशत शिक्षक महिलाएं हैं। जब उन्हें घर छोड़कर दूसरे शहर या गांव में जाना पड़ता है तो वे या तो नौकरी छोड़ देती है या पढ़ाने में पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। नीति 5.2 स्पष्ट रूप से कहती है उत्कृष्ट विद्यार्थी ही— विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से — शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय बी. एड. कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मैरिट—आधारित छात्रवृत्ति देशभर में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ विशेष मैरिट—आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों (विशेषकर छात्राओं) के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी। ये शिक्षक स्थानीय भाषा बोलेंगे और स्थानीय व्यवसायों की उपादेयता भी जानेंगे। गांव के शिक्षकों की एक बड़ी समस्या आवास की रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास नहीं मिलता। इस समस्या का भी निराकरण नीति करने का प्रयास करती है। नीति

2020, 5.2 में कहती है— ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आसपास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि होगी।

हम यदि नीति के प्रावधानों को देखें तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं को देखें तो लगेगा कि नीति उस बच्चे को सोचकर बनाई गई है जो वंचित रह गया है।

निष्कर्ष में, गांव के बच्चे जो संपूर्ण बच्चों की आबादी के लगभग साठ प्रतिशत है, उन्हें उचित एवं बराबरी का बर्ताव नहीं मिला। उनका अधिगम धीमा हुआ चूंकि शिक्षण का माध्यम उनकी भाषा में नहीं था, विषयों का चुनाव उनकी रुचि एवं जीवन से जुड़ा हुआ नहीं था; शिक्षक या तो उपलब्ध नहीं थे या उपलब्ध थे तो पढ़ाने में इनकी रुचि नहीं थी क्योंकि वे बच्चों के समाज से अपने को जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। अब शिक्षक संवेदनशील होकर बच्चों से जुड़कर जीवन उपयोगी शिक्षा देंगे। ये सही मायने में अन्त्योदय की शिक्षा नीति है।

संदर्भ

शर्मा, चंद्रभूषण एवं पवन शर्मा (2017) सा विद्या या विमुक्तये, नई दिल्ली : कौटिल्य पब्लिकेशन।

शाडकरभाष्यार्थ (सं. 2066)—‘प्रश्नोपनिषद्’; (इशादि नौ उपनिषद्), गीता प्रेस, गोरखपुर। भारत सरकार (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

(लेखक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू), नई दिल्ली में प्रोफेसर (शिक्षा) हैं; इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग के अध्यक्ष रह चुके हैं; इग्नू—मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम परियोजना के निदेशक भी रह चुके हैं।)

ई-मेल : cbsharma01@gmail.com

किसानों के लिए हितकारी नए कृषि विधेयक

—जे. पी. मिश्रा

कृषि बाज़ार में सुधारों के होने से निजी निवेश बढ़ सकता है जिसके कारण मूल्य आश्वासन और उत्पादन के केंद्र से उपभोग के प्रमुख केंद्र तक खाद्य पदार्थों का निर्बाध प्रवाह संभव है। सुधारों से विपणन के वैकल्पिक चैनल बनेंगे और लेन-देन में अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी जिससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी।

भारतीय कृषि की विशेषता है कि देश की 14.1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खरीफ, रबी और जायद (ग्रीष्म) के तीन अलग-अलग मौसमों में देश भर में 200 से अधिक खेत, बागवानी और बागान फसलों की खेती करने वाले लाखों किसान हैं। इससे 100 करोड़ टन से अधिक कृषि उपज होती है जिसमें खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना और रेशेदार फसलें शामिल हैं। गन्ने के अलावा, अन्य सभी उपजों का घरेलू-स्तर पर कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) की विपणन प्रणाली के माध्यम से विपणन होता है। कुछ उपजों जैसे बासमती चावल और अंगूर तथा प्याज व फूलों का एक छोटा-सा हिस्सा निर्यात किया जाता है।

कुछ समय से सभी वस्तुओं का विपणन अधिशेष अनुपात (एमएसआर) इतना बढ़ गया है कि सूरजमुखी और कुसुम जैसी फसलों का बाज़ार में अधिशेष अनुपात 100 और कपास और जूट का 100 (भारत सरकार, 2019)¹ के करीब है। अन्य फसलों में भी

हाल के वर्षों के दौरान एमएसआर में काफी वृद्धि हुई है। भारत में कृषि उपज विपणन की अन्य विशेषताएं यह हैं कि ये उत्पाद बहुत कम समय में बाज़ार में भारी मात्रा में पहुंच जाते हैं जो कई बार घरेलू मांग की अवशोषण क्षमता और मौजूदा बाज़ार के वुनियादी ढांचे की प्रबंधन क्षमता और प्रणाली से परे होते हैं। ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) के बाज़ारों के अलावा एपीएमसी के अन्य बाज़ारों में मूल्य निर्धारण अपारदर्शी है और उस पर चुनिंदा संग्राहकों और कमीशन एजेंटों का भारी एकाधिकार है।

विगत में प्रयोग किए गए उन्नत प्रयास जैसे पूर्व-निर्धारित और पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर पंजाब, राजस्थान और कई अन्य स्थानों में टमाटर, आलू, जौ इत्यादि फसलों की अनुबंध खेती के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रही और अधिकांश किसानों को अनुबंधों में प्रवेश करने में संदेह था। आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) को बार-बार लागू करने के कारण निवेश और सक्रिय



1. GOI भारत सरकार 2019, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, 2019 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

निजी भागीदारी बेहद कम रही क्योंकि इससे भंडारण सीमित हो जाता है जो अक्सर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मौजूदा स्टॉक या निजी व्यापारियों की गोदाम क्षमता से बहुत कम होता है। ईसीए को पूरी तरह से सोचे-विचारे बिना लगाया जाता था। इससे बड़े निजी निवेश में कटौती हुई और यह सुविधा के बजाय निषेधात्मक साबित हुआ।

2000 के बाद से भारत में कृषि विपणन प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रयास किए गए थे। 2003 में मॉडल एपीएमसी अधिनियम तैयार किया गया था और राज्यों के साथ साझा किया गया था। इसके बाद कृषि विपणन सुधारों के लिए महाराष्ट्र के कृषि और विपणन मंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्यों के कृषि मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। आगे की कार्रवाई के रूप में फलों और सब्जियों को एपीएमसी नियमों से बाहर लाया गया और 20 राज्यों ने इसे अपनाया। 2014 के बाद और अधिक ठोस प्रयास शुरू हुए। नतीजतन कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा), 2017 मॉडल, कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2018 मॉडल सरकार द्वारा तैयार और लांच किया गया। यह गौरतलब है कि ये मॉडल अधिनियम राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और विशेषज्ञों तथा संस्थानों के साथ गहन विचार-विमर्श और चर्चा के बाद तैयार किए गए थे। ये मॉडल अधिनियम राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और शर्तों के उपयुक्त अपने कानूनों को लागू करने की सुविधा के लिए तैयार किए गए थे लेकिन उनके प्रति प्रतिक्रिया बहुत ही उदासीन रही।

जून, 2020 को सरकार ने किसानों के उपज व्यापार और वाणिज्य; मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता; और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सहित तीन अध्यादेशों को लागू किया। इसके बाद, तीन विधेयक अर्थात् कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तीकरण) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को 20 सितंबर, 2020 को संसद द्वारा पारित किया गया और अध्यादेशों के स्थान पर लागू किया गया। इन विधेयकों को बहुत से पथ-प्रदर्शक ऐतिहासिक मान रहे थे जो कृषि में उस तरह से बदलाव लाएंगे जिस दिशा में हम अग्रसर थे और इसे देख रहे थे। लेकिन किसानों, किसान निकायों और विशेषज्ञों के एक छोटे से भाग ने इन विधेयकों के बारे में गंभीर आशंका व्यक्त करना शुरू कर दिया। इन विधेयकों के तथाकथित दुष्परिणाम को किसानों के बीच बड़े पैमाने पर काल्पनिक आधारों पर प्रचारित किया जा रहा है कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की



नए कृषि कानूनों का स्पष्टीकरण

सुधारों से पूर्व	सुधारों के बाद
एपीएमसी मंडी में केवल अधिसूचित कृषि उपज को बेचा जा सकता है	एपीएमसी मंडी में बेचने या किसी अन्य विक्रेता को चुनने की स्वतंत्रता
कुछ का एकाधिकार	बिक्री के अनेक विकल्प
व्यापारियों के मूल्य संघ कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रख सकते हैं	प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्ति

समाप्त होगी, किसानों को बड़े निजी व्यवसायियों के हित में भूमि से वंचित किया जाएगा और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी होगी। इन आशंकाओं ने, जो हालांकि कपोल कल्पित हैं, किसानों के उस वर्ग में गहरे पैठ बना ली है जो एपीएमसी के वर्चस्व वाली सरकारी खरीद और मूल्य प्राप्ति के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। एक और आशंका वर्तमान कृषि विपणन को कमजोर करने के बारे में है जिससे लाखों किसानों को मिलने वाले लाभों पर असर पड़ेगा। हालांकि इस तरह की वैचारिक दलीलें जारी रहेंगी, लेकिन हमें कुछ बुनियादी तथ्यों को समझना चाहिए जिनमें किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लाभ के लिए इस तरह के बदलावों की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020

1991 के उदारीकरण के बाद से किसानों और गैर-कृषि श्रमिकों की आय में अंतर व्यापक रूप से बढ़ रहा है जो यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में सुधार बहुत कम और कभी-कभार हुए थे और किसानों की आय को बढ़ा नहीं सके थे। भारत में अगले 10 वर्षों (नीति आयोग, 2018)² में कृषि जिनसे के विशाल अधिशेष का उत्पादन होने की संभावना जताई गई है जो घरेलू बाजार की अवशोषण क्षमता से बहुत अधिक है। आधारभूत संरचना और मौजूदा कृषि विपणन प्रणाली की अपर्याप्तता इस अधिशेष को संभालने में

2 नीति आयोग (2018) रिपोर्ट आफ द वर्किंग ग्रुप ऑन डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शंस : क्रोप, लाइवस्टॉक तथा एग्रीकल्चरल इनपुट, पेज 209



नए कृषि कानूनों का स्पष्टीकरण

सुधारों से पूर्व	सुधारों के बाद
उपज मूल्य में कई हिस्सेदारियां	उपभोक्ता के भुगतान में किसानों की अधिक हिस्सेदारी
बिचौलियों की लंबी शृंखला	बिचौलियों का कम से कम होना या न होना
कृषि से जुड़े ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि वस्तुओं के व्यापार का कोई अवसर नहीं	कृषि से जुड़े ग्रामीण युवाओं को व्यापार करने और आपूर्ति शृंखला के संचालन का अवसर मिलेगा

सक्षम नहीं हो सकती है। हमें विकसित और विकासशील देशों में वैश्विक निर्यात स्थलों से संबंधित प्रबंधन, भंडारण, गुणवत्ता मानकों के मामले में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने की आवश्यकता है। इसके अलावा खाद्य तेलों, फलों और मेवों तथा अन्य कृषि वस्तुओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और संभार तंत्र के लिए निवेश की आवश्यकता होती है जो एपीएमसी के प्रतिबंधात्मक नियमों के कारण नहीं मिल पा रहा है। उत्पादन स्थलों के करीब एक बाज़ार या एकत्रीकरण केंद्र, जिनमें मूल्य आश्वासन की कोई प्रणाली हो, छोटे और सीमांत किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि सड़क नेटवर्क के विकास के कारण उत्पादन से बाजारों तक पहुंचने का समय घट गया है फिर भी कृषि बाज़ार बहुत कम और बिखरे हुए हैं जिससे कुछ बाजारों में उत्पाद की अधिकता हो जाती है और दाम घट जाते हैं जबकि प्रमुख मांग केंद्रों पर उत्पाद में कमी हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। कृषि बाज़ार में सुधारों के होने से निजी निवेश बढ़ सकता है जिसके कारण मूल्य आश्वासन और उत्पादन के केंद्र से उपभोग के प्रमुख केंद्र तक खाद्य पदार्थों का निर्बाध प्रवाह संभव है। सुधारों से विपणन के वैकल्पिक चैनल बनेंगे और लेन-देन में अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी जिससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और किसानों को

उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी।

कृषि जनगणना 2015-16 में छोटे और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को रखा गया है जिनमें लगभग 68.5 प्रतिशत खेतिहर परिवारों की औसत जोत 0.38 हेक्टेयर है। इसका मतलब यह है कि बिक्री के लिए उनके पास संभावित अधिशेष इतना कम होता है कि वे किसी भी एपीएमसी मंडी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर पाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि देश में लगभग 2560 प्रमुख बाज़ार यार्ड और 4393 उप-यार्ड हैं। औसतन एक मंडी का सेवा क्षेत्र एक बाज़ार यार्ड के मानदंड, जो लगभग 80 वर्ग किमी. क्षेत्र है, की बजाय लगभग 472 वर्ग किमी. है। एग्रीगेटर या कुंजडा छोटे उत्पादकों के लिए आगे आते हैं लेकिन वे उत्पादकों को बहुत कम कीमत देते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि टमाटर, आलू, बैंगन, हरी मटर जैसी सब्जियों और आम, अमरूद जैसे फलों आदि के लिए कमीशन एजेंटों के प्रतिनिधि हैं। ग्रामीण बाजारों में बसे समृद्ध गांव के व्यापारी दशकों से मुख्य उपज के संग्राहक हैं और यही एक ही प्रणाली कुछ राज्यों को छोड़कर आज भी जस की तस मौजूद है। कुछ राज्यों में कम से कम चावल और गेहूं की सार्वजनिक खरीद सीधे गांवों से हो रही है। हाल के समय में उ.प्र., म.प्र. और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य

हैं। केरल, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्य और बिहार जैसे राज्यों में क्या हो रहा है, सभी जानते हैं। हमें और अधिक बाजारों की आवश्यकता है जिससे उपज स्थलों से खरीद केंद्रों के बीच लेन-देन का समय घटे और कमीशन एजेंट के माध्यम की बजाय जैसा एपीएमसी में होता है, किसानों से सक्रिय और सीधे बिक्री हो। उत्पाद की कीमतों में किसी भी हेरफेर की संभावना को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों से लैस एक मज़बूत और जवाबदेह बाज़ार सूचना प्रणाली स्थापित करना क्या अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। एफपीटीसी अधिनियम देश में किसी भी स्थान पर कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ई-कॉमर्स को बढ़ावा देता है और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। अगर नई प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम करने में विफल रहती है, यह सरकार को प्रणाली को विनियमित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्रदान करता है। एफपीटीसी अधिनियम, 2020 उन सभी लेन-देन को वैध बनाता है जिन्हें पहले एपीएमसी द्वारा नियमों और प्रतिबंधों के तहत रखा गया था। किसानों से उनके खेत से सीधे खरीद का प्रावधान एफपीटीसी अधिनियम, 2020 में प्रदान किया गया है जिससे उन्हें अपनी उपज की कीमत तय करने का अधिकार मिलेगा। राज्य को एफपीओ को एग्रीगेटर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए

जिससे कुछ समय में वे एपीएमसी मंडियों में कमीशन एजेंटों द्वारा तय किए गए मूल्य के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय मूल्य निर्धारण में सक्रिय भागीदार बन जाएंगे।

मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तीकरण) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (एपीएफएस) बिल 2020 पर समझौते के बारे में प्रमुख आशंका यह है कि व्यवसायी समझौते में हेरफेर करके किसानों की ज़मीनों को जबरन छीन लेंगे। यह अत्यधिक काल्पनिक और तथ्यहीन आशंका है। उल्लेखनीय है कि पुराने अनुबंध कृषि अधिनियम को 20 राज्यों ने अपनाया था। एपीएफएस बिल 2020 पुराने अधिनियम का परिष्कृत रूप है। यह बिल किसानों को उनकी उपज के लिए एक सुनिश्चित मूल्य की सुविधा देगा जैसाकि उत्पादन कार्यों के शुरू होने से पहले किसानों और प्रायोजकों के बीच परस्पर सहमति से स्वीकृत होता है और साथ ही, दोनों के बीच वांछित गुणवत्ता वाले उत्पाद के उत्पादन के लिए पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और इनपुट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रायोजक की भूमिका पूर्व-निर्धारित मूल्य पर उपज खरीदने और अनुबंध के अनुसार किसानों को गुणवत्ता आदानों और सेवाओं की आपूर्ति तक सीमित है जिस पर पहले से सहमति होगी। अधिनियम के अनुसार प्रायोजक को न तो किसानों की भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति है, न ही वह किसानों की भूमि पर किसी भी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण कर सकता है या उसमें बदलाव

ला सकता है या उसका स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकता है। किसानों की ज़मीन का वास्तविक सीमा क्षेत्र और मालिकाना हक बरकरार रहेगा। किसान सभी उत्पादन कार्यों के एकमात्र संरक्षक भी होंगे। वास्तव में एपीएफएस इस मायने में ऐतिहासिक है कि किसानों को उत्पादन से पहले न केवल उनकी उपज की कीमत के लिए मोल-तोल करने का अधिकार दिया गया है बल्कि भारतीय कृषि के इतिहास में पहली बार एक किसान खरीददार से मूल्य निर्धारण के लिए अपनी शर्तें रखेगा। दूध के लिए नेस्ले का 1961 से पंजाब के मोगा ज़िले के साथ अनुबंध खेती उल्लेखनीय उदाहरण है। एक लाख से अधिक किसान इस अनुबंध से जुड़े हैं। नेस्ले दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन, चारा, टीके और पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती रही है। दूध में वसा और ठोस सामग्री को ध्यान में रखते हुए पूर्व-घोषित साप्ताहिक मूल्य के आधार पर एक बड़े आर्डर वाली आपूर्ति शृंखला स्थापित की गई है। किसानों की संपत्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नहीं हथियाई गई है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम (ईएसीए) 2020 ईएसीए में कृषि और खाद्य सामग्री के लिए बदलाव लाया गया है। ईसीए में सूचीबद्ध वस्तुएं जैसे अनाज, खाद्य तेल और अन्य तेलों की आपूर्ति को केवल युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में विनियमित किया जा सकता है। स्टॉक सीमाएं लगाने या विनियमित करने के लिए पारदर्शी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें सरकार की कार्रवाई में अंतर्निहित पूर्वानुमेयता मूल्यों के कारण होती है न कि किसी धारणा पर आधारित, जैसा पहले हुआ करता था। सरकार संशोधित अधिनियम के तहत मूल्य नियंत्रण के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप भी कर सकती है। अक्टूबर 2020 में प्याज पर स्टॉक सीमा लगाने की हालिया कार्रवाई इस तरह के प्रावधान का प्रमाण है। स्टॉकिस्टों और बाज़ार को अपनी मनमर्जी से नियंत्रित करने वालों को खुली छूट देने की आलोचना बेबुनियाद है। इसके अलावा, उर्वरकों और बीजों जैसी वस्तुएं, जो किसानों के लिए बहुत हितकारी हैं, उन्हें संशोधनों ने छुआ तक नहीं है। ईसीए में संशोधनों से गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और लॉजिस्टिक्स जैसे बहुत ज़रूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि पैक हाउस में आवश्यक और मौजूदा बुनियादी ढांचे के बीच अंतर 70 प्रतिशत है, प्रशीतित (रीफर) वाहनों में 98 प्रतिशत और राईपनिंग (फल पकने वाले) कक्षों (एनसीसीडी, 2015)³ में 94 प्रतिशत है। इन अवसरचनाओं



✗ मिथक

बड़ी कंपनियां अनुबंध के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी।

✓ तथ्य

अनुबंध समझौता किसानों को निर्धारित मूल्य प्राप्त करने की गारंटी देगा।
किसान बिना किसी जुर्माने के किसी भी समय अनुबंध से हट सकता है।

³ रिपोर्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर कोल्डचेन डेवलपमेंट (2015), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

कृषि बिलों से जुड़े मिथकों को तोड़ना

❌ मिथक

बड़ी कंपनियों को फायदा,
किसानों को नुकसान

✅ तथ्य

कई राज्यों में किसानों ने सफलतापूर्वक बड़ी कंपनियों के साथ गन्ना, कपास चाय, कॉफी जैसी फसलों का उत्पादन किया। अब छोटे किसानों का प्रौद्योगिकी और उपकरणों से लाभ उठा कर सुनिश्चित मुनाफा कमाने का समय आ गया है।

को बनाने से किसानों की आय में बहुत बढ़ोत्तरी होगी जो अति आवश्यक है।

किसानों की चिंता

20 सितंबर, 2020 को संसद द्वारा पारित तीन विधेयकों पर पिछले कुछ महीनों में हरियाणा और पंजाब और अन्य राज्यों में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। इन विरोधों ने दो प्रमुख परिणाम तय किए हैं। पहला, कृषि में उदारीकरण को किसानों तक, बेबुनियाद तथ्यों और काल्पनिक आधारों की वजह से, भली-भांति पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, सरकार और सभी संस्थानों को किसानों के साथ गंभीरता से संवाद की आवश्यकता है जो ऐसे नाजुक मोड़ पर है जिसने स्थापित प्रणाली और आढ़तियों-कमीशन एजेंट और किसानों के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत गहरे संबंधों की बुनियाद हिला दी है। वर्षों से ये संबंध उपज की कीमत से परे बने रहे हैं और एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में पुख्ता हुए हैं। आढ़तियों को संकट में डूबे किसानों के तारणहार के रूप में पेश किया जा रहा है हालांकि किसान आढ़तियों के इस तथाकथित भले काम के बदले भारी भुगतान करते थे। एक और तर्क यह है कि एपीएमसी के तहत आने वाले प्राथमिक बाजार यार्ड और उपयार्ड भी लाखों भूमिहीन और बेरोजगार अर्ध-प्रशिक्षित और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते रहे हैं। किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता

है कि भारत में एपीएमसी के नेतृत्व में कृषि विपणन की मंडी प्रणाली अपारदर्शी और एकाधिकारवादी रही है। किसानों को मूल्य निर्धारण और सीधे लेन-देन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। यह सब विचौलियों और कमीशन एजेंटों के चंगुल में था। कृषि विपणन, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु के लिए तीन विधेयकों को लागू करके सरकार ने हानिकारक और शोषणकारी नियमों और पद्धतियों को खत्म करने की कोशिश की है। एपीएमसी न केवल कृषि उपज के विपणन के लिए एक मंच के रूप में कार्यरत बनी हुई है बल्कि इसे और मजबूती जाएगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से और अधिक पारदर्शी बनेगी जो एक हितकारी बाजार के लिए पहली आवश्यकता है। सरकार विपणन के लिए वैकल्पिक प्लेटफार्मों के लिए मौजूदा से बेहतर प्लेटफार्मों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है जैसाकि नए अधिनियमों में प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों को सख्ती और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

राज्यों को इन पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करनी होगी और केंद्र को वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर उपयुक्त अनुदान देना चाहिए। हालांकि ई-नाम और अन्य पहलें आने वाले समय में सकारात्मक प्रभाव के साथ आगे बढ़ेंगी, लेकिन तत्काल कार्रवाई के तहत किसानों में सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के वार्षिक या व्युत्पन्न आंकड़ों द्वारा पक्ष रखने की बजाय, किसान जो अज्ञात कारणों की वजह से सरकार की मंशा पर विश्वास पैदा करने में असमर्थ रहे हैं, संशोधनों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए जिसमें कुछ मौजूदा उदाहरणों और स्वयं किसानों को हासिल वास्तविक सीखों के आधार पर होने वाले फायदे शामिल हों। भा.कृ.अ.प.-रा.कृ.वि. प्रशासन के तहत 721 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हैं, प्रत्येक जिले में एक, जो अपने आईसीटी प्लेटफार्मों और अन्य संचार साधनों के माध्यम से किसानों को जोड़ने में असाधारण सेवा प्रदान कर सकते हैं। हमें हाल के बाजार सुधारों के बारे में कृषि और किसान कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त केवीके के माध्यम से जागरूकता के लिए एक अभियान तैयार करने और लागू करने की योजना बनानी चाहिए।

(लेखक वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ओएसडी (पॉलिसी, प्लानिंग एंड पार्टनरशिप) हैं; नीति आयोग में सलाहकार (कृषि) रह चुके हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)
ई-मेल : jpmishra67@gmail.com

कृषि-आधारित उद्यमिता विकास से आत्मनिर्भरता

—प्रेम नारायण


देश के कुल निर्यात में 13 प्रतिशत हिस्सा कृषि संबंधित उद्योगों से प्राप्त होता है। अन्य गैर-खाद्य कृषि उत्पादों की मांग आकर्षक मूल्यों पर तैयार करने में दूरगामी भूमिका निभाएंगे। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रमुख निर्यात उद्योग बनाने से कामगारों के लिए रोजगार के बहुत अवसर उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि यह श्रम की गहनता वाला उद्योग है।

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। आर्थिक सर्वे 2019 के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15.96 प्रतिशत का योगदान करता है बल्कि भारत की लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। यह क्षेत्र द्वितीय उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हेतु 1,42,762 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया है। वर्ष 2019-20 का संशोधित बजट 1,09,750 करोड़ रुपये था।

सिंचाई की नई तकनीक से फसल का उत्पादन 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा है। आगामी खरीफ ऋतु से सभी अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना करने का फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और लोग खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कृषि से संबंधित बाजार की समस्या के समाधान के लिए 585 मंडियों को ई-नाम योजना के तहत एकीकृत करने की बात की गई है। इसके अलावा, 22,000 ग्रामीण मंडियों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। मेगा फूड पार्कों के अलावा कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध जिलों को क्लस्टर के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। कृषि क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कृषि संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। इसके तहत मत्स्यकी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन से जुड़े किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने की बात की गई है। इसके अलावा, मत्स्यकी तथा पशुपालन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 'मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष' तथा 'पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा विकास कोष' का निर्माण किया गया है। पशुओं की खेती के

साथ-साथ इत्र उत्पादन जैसे लघु उद्योगों पर भी बल दिया गया है। देश के कुल निर्यात में 16 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। आज भी देश की लगभग आधी श्रमशक्ति कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ही लगी हुई है।

किसी समय में आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज 285 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 25.43 मिलियन हेक्टर था एवं उत्पादन 311.71 मिलियन टन हुआ जो कुल टन खाद्यान्नों के उत्पादन से अधिक है। इस वर्ष 2020 मार्च-जून में महामारी के कारण व्यवधान के बावजूद कृषि निर्यात 23 प्रतिशत बढ़कर 25,553 करोड़ रुपये हो गया। हमने मूल्यवर्धित उत्पादों और हेल्थकेयर खाद्य उत्पादों के निर्यात में अपना ध्यान केंद्रित किया है। कृषि क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम खाड़ी देशों में भी अपनी पैठ और मजबूत करना चाहते हैं, जो पहले से ही भारत के लिए एक मजबूत बाजार है, हालांकि भारत अपने कुल आयात का केवल 10-12 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा करता है। भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यह सालाना 5,638 करोड़ रुपये के 8.23 लाख टन फल और 5,679 करोड़ रुपये की



31.92 लाख टन सब्जियों का निर्यात करता है। हालांकि, फलों और सब्जियों का विश्व व्यापार 208 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और भारत का हिस्सा न्यूनतम है। हमें बागवानी उत्पादों के निर्यात पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने उत्पाद विशिष्ट निर्यात संवर्धन फोरम बनाया है जिसमें आठ कृषि और संबद्ध उत्पाद जैसे अंगूर, आम, केला, प्याज़, चावल, मोटे-अनाज, अनार और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार के अवसरों में वृद्धि से लोगों के जीवन-स्तर में सुधार होगा एवं रोज़गार के बेहतर अवसरों का सर्जन होगा।

1. मधुमक्खी पालन से शहद बनाने का बिज़नेस शुरू करना
2. परंपरागत खेती की अपेक्षा फल, फूल, सब्जियों की खेती से अधिक आय
3. मशरूम की खेती से अधिक आय
4. डेयरी उद्योग लगाना
5. मत्स्य पालन या पोल्ट्री फॉर्म शुरू करना।

महत्वपूर्ण स्टार्टअप मधुमक्खी पालन

इस योजना को 'मीठी क्रांति योजना' का नाम दिया गया है। सरकार ने मधुमक्खी पालन संबंधी पहल हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा है। जो निम्नलिखित के लिए योजना का कार्यान्वयन करेगी जैसे एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्यवर्धन सुविधाओं आदि से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास; मानकों का कार्यान्वयन और ट्रेसबिलिटी सिस्टम का विकास करना, महिलाओं पर बल देने सहित क्षमता निर्माण; गुणवत्ता नूक्लीअस भंडार और मधुमक्खी पालकों का विकास होगा। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शहद की प्राप्ति होगी। किसानों का चयन मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा एवं प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से किसानों को मधुमक्खी पालन और उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

भारत में शहद का बाज़ार 2018 में 15.579 मिलियन टन था, 2012-18 के दौरान 10.9 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया गया। बाज़ार को 2019-2024 के दौरान 10.2 प्रतिशत के सीएजीआर पर 2024 तक 28,057 मिलियन के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है। शहद विभिन्न बीमारियों में अलग-अलग प्रयोग होता है जैसे अगर शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर उपयोग किया जाए तो उसका खून में लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) की संख्या पर लाभदायक असर पड़ता है। लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न अंगों तक खून में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। शहद और गुनगुने पानी का मिश्रण खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ावा देता है, जिससे एनीमिया या खून की कमी की स्थिति में लाभ होता है। इससे रक्त की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता प्रभावित होती है।

मधुमक्खी पालन भारत की सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक रहा है। यह इसे दुनिया के अग्रणी शहद बाज़ारों में से एक बनाता

है जिसने नवाचार और लागत के मामले में एक गहन प्रतियोगिता बनाई है। मधुमक्खियां न केवल शहद पैदा करती हैं बल्कि फसलों की पैदावार बढ़ाकर प्रदेश एवं देश को आर्थिक पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी मदद करती हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालन स्वरोज़गार के तहत सब्सिडी देने की योजना बनाई। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 80 फीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। झारखंड में शहद का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। मधुपालकों को मधुमक्खी पालन के लिए सरकार 80 प्रतिशत राशि सब्सिडी देगी एवं 20 प्रतिशत लाभार्थी को देनी होगी। इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र एवं अन्य अधिसूचित एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।

भारतीय शहद उद्योग में लाभ कमाने के लिए बड़ी कंपनियां जैसे डाबर, पतंजलि, बैधनाथ, आदि सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। ग्रामीण रोज़गार की समस्या के समाधान के लिए मधुमक्खी पालन बहुत सुनहरा स्वरोज़गार है। मधुमक्खी पालन बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है जो कोई भी किसान या बेरोज़गार व्यक्ति कर सकता है। इस व्यवसाय की खासियत ये है कि इसे कम पैसों में शुरू कर सकते हैं और इससे अधिक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। इसको महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, पुरुष सभी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में अधिक जानकारी या योजना के अपने गृह ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

फल एवं सब्जियों की खेती से अधिक आय एवं बेहतर रोज़गार के अवसर

सरकार ने फल एवं सब्जियों की खेती (टमाटर, प्याज़ और आलू) के लिए बजट 2020-21 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित "ऑपरेशन ग्रींस" को टमाटर, प्याज़ और आलू से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। यह योजना कोल्ड स्टोरेज सहित सरप्लस से घाटे वाले बाज़ारों में परिवहन और भंडारण पर 50-50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी और इसे अगले 6 महीनों के लिए प्रायोगिक रूप से लांच किया जाएगा तथा इसे और विस्तारित किया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर कीमत प्राप्त होगी, बर्बादी में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को किफायती उत्पाद मिलेंगे। भारत में बागवानी उत्पादन में भी सार्थक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 25.43 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रफल से बागवानी फसलों का उत्पादन 311.71 मिलियन टन था। सब्जियों का उत्पादन 2001-02 में 88.6 मिलियन टन से बढ़कर 2018-19 तक 185.5 मिलियन टन हो गया एवं फलों का उत्पादन 43 मिलियन टन से बढ़कर 98.8 मिलियन टन हो गया है। बागवानी फसलों की खेती से रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही, लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। सब्जियां अन्य फसलों की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र से कम समय में अधिक पैदावार देती हैं। साथ ही, ये कम समय में तैयार हो जाती हैं।

पत्तेदार सब्जियों की खेती तुड़ाई, कटाई, छंटाई के बाद सब्जियां

सब्जियों की खेती से प्राप्त होने वाले उत्पादों की तुड़ाई, कटाई, छंटाई श्रेणीकरण, पैकिंग से लेकर विपणन तक के अधिकतर कार्यों में मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है जो किसानों/उद्यमियों को आय एवं रोजगार देने में सक्षम है। शहर के नज़दीकी छोटे किसान भी कम समय में आने वाली एवं वर्ष में कई बार उगाई जा सकने वाली फसलों जैसे धनिया, मेथी, पालक, मूली, गाजर, हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर आदि उगाकर दैनिक मंडी में परिवार के 4-5 लोगों को अच्छा रोजगार और अच्छी आमदनी हो सकती है। धनिया, हरी, मिर्च के दाम बरसात में 100 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम होते हैं। मेथी, पालक से भी अच्छी आय होती है। एक बार बोआई पर तीन-चार बार कटिंग की जा सकती है। इनके दाम भी 40-60 रुपये प्रति किलोग्राम मंडी में प्राप्त हो जाते हैं। अनाज की फसलों से दुगुने-तीन गुने दाम और पैदावार दुगुनी-तीन गुनी एवं उनसे कम समय में फसलें तैयार हो जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र से ग्रामीणों को रोजगार मिलने की भी अधिक संभावना है। रोजगार मिलने के साथ-साथ फल-फूलों व सब्जियों की छंटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग आदि से इन उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाकर अधिकतम लाभ भी कमाया जा सकता है। बागवानी फसलों के बारे में किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी/मदद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा से प्राप्त की जा सकती है।

मशरूम की खेती : हमारे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन में प्रोटीन की विशेष महत्ता है। मशरूम इसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाज़ार में मशरूम की मांग तेज़ी से बढ़ी है, जिस हिसाब से बाज़ार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तीन तरह के मशरूम का उत्पादन होता है— सितंबर महीने से 15 नवंबर तक ढिगरी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, इसके बाद आप बटन मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, फरवरी-मार्च तक ये फसल चलती है, इसके बाद मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं जो जून-जुलाई तक चलता है। इस तरह, आप साल भर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेतीबाड़ी आसान और सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई जैसे महानगरों में इसकी बड़ी मांग है। इसलिए विगत तीन वर्षों में इसके उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई है। तमिलनाडु और उड़ीसा में तो यह गांव-गांव में बिकता है। कर्नाटक में भी इसकी खपत काफी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी ओईस्टर मशरूम की कृषि लोकप्रिय हो रही है। मशरूम की खेती के लिए न तो ज़्यादा ज़मीन की और

सदाबहार आम की खेती

कोटा के एक किसान ने आम की एक किस्म खोज निकाली है। इन्होंने ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसका साल के तीनों ऋतुओं में उत्पादन होता है। यानी पूरे साल भर ये प्रजाति फल देती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 'सदाबहार'। कोटा में बागवानी करने वाले गिरधरपुरा गांव के किसान किशन सुमन के बाग से उत्पादित होने वाले सदाबहार आम अल्फांसो आम की तरह हैं। अल्फांसो भारत का सबसे खास किस्म का आम है। इसे आम का 'सरताज' कहा जाता है। बस इसी सरताज से मिलती-जुलती चीजों जैसा सदाबहार आम है। आम की ये प्रजाति अपने आप में अलग तरीके की है, लोगों के बीच इसकी बहुत मांग है।

न ही अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। मात्र छप्पर के शेड में भी मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। पौष्टिकता की दृष्टि से मशरूम की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस कारण मशरूम की खेती से रोजगार प्राप्त करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। हालांकि इस व्यवसाय के लिए तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है जिससे कि खाद्य मशरूमों की पहचान के साथ-साथ उन्हें अवांछनीय मशरूमों व अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सके। मशरूम की खेती के लिए स्पॉन बीज की जानकारी हेतु बागवानी भवन एन.एच.आर.डी.एफ 47 पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 फोन 011-28522211 से संपर्क करें या स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय मशरूम केंद्र चम्बाघाट, सोलन-173213 हिमाचल प्रदेश फोन 01792-230451 या वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। www.nrcmushroom.org

भारत में फलों की खेती

फलों की खेती में आम, सेब, अनार, अमरुद, कटहल, जामुन, केला, नींबू व पपीता तथा फूलों सब्जियों एवं पान की खेती के लिए अपेक्षाकृत, कम ज़मीन की आवश्यकता होती है। अपने क्षेत्र की जलवायु, ज़मीन एवं बाज़ार सुविधाओं फल फसलों का चुनाव कर सकते हैं। आम की इस समय 1500 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर कुल फलों के क्षेत्रफल 6.64 मिलियन हेक्टेयर आम की एक तिहाई की हिस्सेदारी 2.29 मिलियन हेक्टेयर जबकि उत्पादन 20.79 मिलियन टन है। सभी किस्म अपने आप में अच्छा-खासा महत्व रखती है। अपने क्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से आम की किस्म एवं तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण किस्में जैसे हापुस (अलफांसो) महाराष्ट्र कर्नाटक में, वेगनपल्ली, नीलम एवं तोतपुरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में हरी, लंगड़ा चौसा उत्तर भारत में, केसर गुजरात में, हिमसागर मालदा आम मुख्यतः पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में होता है।

अनार : भारत विश्व में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में अनार की बेहतरीन किस्में पैदा होती हैं जिनमें नरम बीज, बहुत कम एसिड और फलों और अनाज का बहुत आकर्षक रंग होता है। विभिन्न प्रकार की नई किस्मों को अपनाने के साथ, भारत लगभग पूरे वर्ष अनार की आपूर्ति कर सकता है। व्यावसायिक

किस्मों भर्गवा, फूले अरकट, गणेश गुणवत्ता में काफी बेहतर हैं और निर्यात बाज़ार के लिए उपयुक्त हैं। अग्रिम तकनीकी दृष्टिकोण के माध्यम से अनार उद्योग का विकास बेरोज़गारी को कम करने और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करेगा। उत्पाद विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के माध्यम से अनार की मांग बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में अनार के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। अनार की वैज्ञानिक खेती के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जैसे अनार, शोलापुर, एमपीकेवी महाराष्ट्र में राहुरी और कर्नाटक राज्य में आईआईएचआर बेंगलूर में संपर्क कर सकते हैं अनार मुख्यतः महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश में पैदा होता है। देश की कुल खपत का लगभग 25 प्रतिशत अनार निर्यात होता है इससे किसानों को परंपरागत खेती की अपेक्षा 4-5 गुना अधिक लाभ होता है। इसके अलावा, इन वस्तुओं की दैनिक एवं नियमित मांग अधिक होने के कारण इनकी खेती लागत की तुलना में आमदनी अधिक होती है।

अमरुद की खेती : अमरुद की खेती के उत्पादक श्री सुभाष जैन किसान मंदसौर (मध्य प्रदेश) बताते हैं, "चार साल पहले बी एनआर किस्म के अमरुद के पौधे लगाए जिसे थाई ग्वावा भी कहते हैं। इसके एक एकड़ में 400 पौधे लगते हैं।" वो बताते हैं, "एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 12 फुट सामने और आठ फुट की दूरी पर बगल में पौधे लगाने चाहिए। एक एकड़ में पहली बार पौधे लगाने में कुल एक लाख रुपये का खर्च आता है।" एक पेड़ से 25 से 30 किलो ग्राम फल निकलते हैं जो 80 से 150 रुपये किलो तक बिकता है। आपने कभी डेढ़ से दो किलो का एक बड़ा अमरुद देखा है ? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा, हालांकि सभी फल इतने बड़े नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के किसान सुभाष जैन कई फसलों की खेती करते हैं लेकिन अमरुद की खेती उन्हें दूसरे किसानों से एक अलग पहचान दिलाती है। सुभाष 25 एकड़ ज़मीन पर खेती करते हैं, जिसमें से तीन एकड़ ज़मीन पर अमरुद की खेती करते हैं। इस तरह उनको 3-4 लाख प्रति हेक्टेयर की आय होती है।

डेयरी उद्योग लगाना : पशुपालन एवं डेयरी उद्योग भारतीय कृषि का अभिन्न अंग हैं। डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशुचारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2017-18 में भारत ने 176.3 टन दूध उत्पादन के साथ विश्व दुग्ध उत्पादन में 20 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर देश में कुल गाय और भैंसों की संख्या 302 मिलियन है। भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों व बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं के लिए पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय है। भारतीय कृषि

में खेती और पशु शक्ति के रिश्ते को अलग-अलग कर पाना अभी तक एक कल्पना मात्र ही थी। मगर आज के मशीनीकृत युग में इस कल्पना को भी एक जगह मिलने लगी है। अगर इसे रोज़गार की दृष्टि से देखें तो खेती और पशुपालन एक-दूसरे के अनुपूरक व्यवसाय ही हैं जिसमें कृषि की लागत का एक हिस्सा तो पशुओं से प्राप्त हो जाता है तथा पशुओं का चारा आदि फसलों से मिल जाता है। इस प्रकार खेती की लागत बचने के साथ-साथ पशुओं से दूध भी प्राप्त हो जाता है जिस पर पूरा डेयरी उद्योग ही टिका हुआ है; जिसमें दूध के परिरक्षण व पैकिंग के अलावा इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे दूध का पाउडर, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर आदि के निर्माण व विपणन में संलग्न छोटे स्तर की डेरियों से लेकर अनेक राज्यों के दुग्ध संघों एवं राष्ट्रीय-स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे संस्थानों द्वारा हजारों-लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। पशुपालन के विस्तार से रोज़गार बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं।

पशुओं से प्राप्त दूध एवं पशु शक्ति के विभिन्न उपयोगों के अलावा उनके गोबर से प्राप्त गोबर गैस को भी हम विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, पशुओं के बाल, उनके मांस, चमड़े एवं हड्डी पर आधारित उद्योगों द्वारा रोज़गार बढ़ाने की प्रबल संभावनाएं हैं। दूध के प्रसंस्करण व परिरक्षण से उसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है कम पूंजी लगाकर स्वरोज़गार किया जा सकता है। पशुपालन व डेयरी उद्योग के बारे में तकनीकी जानकारी व अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय; राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल; केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार; राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, बीकानेर; राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद तथा राष्ट्रीय पशु परियोजना निदेशालय, हैदराबाद व मेरठ से संपर्क किया जा सकता है।

मुर्गीपालन : वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर देश में कुक्कुट की संख्या 851 मिलियन है, कुक्कुट पालन में भारत विश्व में सातवें स्थान पर है। अंडा उत्पादन में भारत का चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। देश में लगभग 100 बिलियन अंडे का प्रति वर्ष उत्पादन हो रहा है। देश में 6 लाख टन मांस का कुक्कुट उद्योग उत्पादन करता है। मुर्गीपालन बेरोज़गारी घटाने के साथ देश की पौष्टिकता बढ़ाने का भी बेहतर विकल्प है। कुक्कुट उद्योग में कम जगह और कम पैसों का निवेश कर अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है क्योंकि देश में अंडे एवं चिकन की मांग बहुत है और पूरे वर्ष रहती है।

चिकन, मांस व अंडों की उपलब्धता के लिए व्यावसायिक-स्तर पर मुर्गी और बत्तख पालन को कुक्कुट पालन कहा जाता है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी कुक्कुट आबादी है जिसमें अधिकांश कुक्कुट आबादी छोटे, सीमांत और मध्यम वर्ग के किसानों के पास है। भूमिहीन किसानों के लिए मुर्गीपालन रोजी-रोटी का मुख्य आधार है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन से अनेक फायदे हैं जैसे

फिरसानों की आय में बढ़ोतरी, देश के निर्यात व जीडीपी में अधिक प्रगति तथा देश में पोषण व खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता आदि। कुक्कुट पालन का उद्देश्य पौष्टिक सुरक्षा में मांस व अंडों का प्रबंधन करना है। मुर्गीपालन बेरोजगारी घटाने के साथ देश में पौष्टिकता बढ़ाने का भी बेहतर विकल्प है।

चूंकि वर्तमान बाजार परिदृश्य में कुक्कुट उत्पाद उच्च जैविकीय मूल्य के प्राणी प्रोटीन के सबसे सस्ते उत्पाद हैं। लेकिन देश में अभी इनका सर्वथा अभाव सामने आ रहा है क्योंकि मांग के अनुपात में इनकी उपलब्धता बहुत कम है। निरंतर बढ़ती आबादी, खाद्यान्न आदतों में परिवर्तन, औसत आय में वृद्धि, बढ़ती स्वास्थ्य सचेतता व तीव्र शहरीकरण कुक्कुट पालन के भविष्य को स्वर्णिम बना रहे हैं।

आज के आधुनिक युग में मांसाहारी वर्ग के साथ-साथ शाकाहारी वर्ग भी अंडों का बेहिचक उपयोग करने लगा है जिससे मुर्गीपालन व्यवसाय के बढ़ने की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। इसके अलावा, चिकन प्रसंस्करण को व्यावसायिक स्वरूप देकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। कृषि से प्राप्त उप-उत्पादों को मुर्गियों की खुराक के रूप में उपयोग करके इस व्यवसाय से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए भूमिहीन ग्रामीण बेरोजगार बैंक से ऋण लेकर कम पूंजी से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं तथा अंडों के साथ-साथ चिकन प्रसंस्करण करके भी स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गीपालन के लिए स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय; मुर्गी परियोजना निदेशालय, हैदराबाद; केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर से संपर्क किया जा सकता है।

मछली पालन : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट 2020-21 में प्रावधान रखा गया है। सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय (इनलैंड) मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की है। समुद्री, अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपये तथा आधारभूत ढांचा - फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसलिबिलिटी (पता लगाने), प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड (जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है) में सहायता, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दोगुना होकर एक लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए 3427 सागर मित्र बनाएगी। भारत दुनिया का

दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो मछली पालन की देश के सकल घरेलू उत्पादन में करीब एक प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वर्ष 2015-16 में मछलियों का कुल उत्पादन 1.08 करोड़ टन था।

भारत में खारे जल की समुद्री मछलियों के अलावा ताजे पानी में भी मछली पालन किया जाता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पारंपरिक तरीके से छोटे-छोटे तालाबों में मछली पालन किया जाता है। मगर भूमि के एक छोटे से टुकड़े में तालाब बनाकर या तालाब को किराए पर लेकर भी व्यावसायिक ढंग से मछली पालन किया जा सकता है। अतः इस उद्योग में लागत की तुलना में आमदनी अधिक होती है। मछली उद्योग के बारे में तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय; ताजे जल वाली मछलियों के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर; केंद्रीय अंतर्स्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर; केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान संस्थान, मुम्बई तथा केंद्रीय मत्स्य तकनीकी संस्थान, कोचीन से संपर्क किया जा सकता है।

निष्कर्ष

खेती में बढ़ती उत्पादन लागत व घटते मुनाफे के कारण युवाओं का झुकाव भी खेती की तरफ कम होता जा रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े स्तर पर युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी व कम आमदनी की वजह से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में कृषि-आधारित व्यवसायों को रोजगार के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कृषि संबंधित स्वरोजगार हेतु कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया गया है। इसके तहत मत्स्यकी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन से जुड़े किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने की बात की गई है। इसके अलावा, मत्स्यकी तथा पशुपालन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु "मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष" तथा "पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा विकास कोष" का निर्माण किया गया है। फल एवं सब्जियों की खेती, मशरूम की खेती के साथ मुर्गीपालन जैसे लघु उद्योगों पर भी बल दिया गया है। देश के कुल निर्यात में 13 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। आज भी देश की लगभग आधी श्रमशक्ति कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ही लगी हुई है। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि-आधारित शहद, फल एवं सब्जियों, दूध एवं दूध के उत्पाद, मछली, चिकन एवं अंडों आदि कि दैनिक घरेलू मांग बहुत है। दूसरा, ये सभी निर्यात-उन्मुख वस्तुओं की श्रेणी में आती है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत गुंजाईश है।

(लेखक आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में मुख्य तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।)

ई-मेल : prem.narayan@icar.gov.in

“बच्चों की सोच का दायरा बढ़ाना जरूरी”

—रंजीत सिंह दिसाले

ग्लोबल टीचर 2020 पुरस्कार से सम्मानित रंजीत सिंह दिसाले से योजना अंग्रेजी की संपादक शुचिता चतुर्वेदी की बातचीत

“ग्लोबल टीचर 2020 पुरस्कार के विजेता रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं। शिक्षा क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों से उन्होंने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है और अपने जैसे हजारों-लाखों शिक्षकों के लिए एक मिसाल कायम की है। उनके अहम योगदान के लिए उन्हें 2016 में इनोवेटिव टिचर्स ऑफ द ईयर और 2018 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा इनोवेटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 32 वर्षीय रंजीत सिंह को दुनिया भर के 10 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से इस अवार्ड के लिए चुना गया। उन्हें पुरस्कार के रूप में एक मिलियन डॉलर यानी करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपये मिले हैं जिसे उन्होंने सभी 9 टॉप फाइनेलिस्ट के साथ शेयर करने का फैसला किया है।”

प्रश्न: अपने बचपन के बारे में बताएं। शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते थे और परिवार का कैसा सहयोग रहा?

रंजीत सिंह: मेरे लिए परिस्थितियां बहुत सामान्य—सी थीं, कक्षा में इतनी सारी भूमिकाओं में होना... कोई बौद्धिक छात्र जैसी बात नहीं थी। मेरा भाई पढ़ाई—लिखाई में काफी तेज था, दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में अब्बल रहा था। वह सचमुच होनहार था, परंतु मेरा रुझान हमेशा कम्प्यूटर की ओर था, बचपन से ही। मैं शिक्षा प्राप्ति के पारंपरिक तरीके से नहीं जुड़ा था, कक्षा में बैठना और बोरिंग लैक्चर्स सुनना। इस कारण कई बार मुझे मेरी महिला अध्यापक कक्षा से यह कहकर निकाल भी देती थीं कि रंजीत पढ़ाई में ध्यान नहीं देता...


प्रश्न: मूल्य शिक्षा प्रदान करने में क्या आपको उस समय और आज के बीच अंतर महसूस होता था?

रंजीत सिंह: लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि मैं डॉ. विजय भटकर से मिला... भारत के कम्प्यूटर वैज्ञानिक। वह हमारे स्कूल के सालाना समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित थे। उस समय मैंने अंडाकार कम्प्यूटर स्क्रीन डिजाइन की थी। उन्होंने वह देखी और

बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि रंजीत तुम्हें इस डिजाइन का पेटेंट कराना चाहिए। वह मेरे लिए प्रेरणा का समय था। उस समय मैंने कम्प्यूटर क्षेत्र में समाज के लिए काम करने का फैसला किया था। बचपन में जो टीचर मेरे लिए कहते थे कि रंजीत पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, उन्हें मेरी बेहतरी की चिंता थी। वह मेरे भाई को देखते थे कि वह अच्छा विद्यार्थी है, होनहार है, परंतु मैं औसत छात्र हूँ। इसलिए वह मेरे लिए चिंतित रहते थे। मैंने पांचवीं कक्षा से कम्प्यूटर साइंस का चुनाव किया, हालांकि, वह ऐच्छिक विषय था और हमें उसके लिए अतिरिक्त फीस देनी पड़ती थी, लेकिन मैं अपने अभिभावकों को लगातार कहता कि मुझे कम्प्यूटर सीखना है, हालांकि, उस समय वह बहुत नया विषय था। उस समय विंडोज 95 या डॉस वर्जन ही था, परंतु फिर भी मैं कम्प्यूटर साइंस सीखना चाहता था।

प्रश्न: हमें बताएं कि ऐसा कैसे हुआ, एक सरकारी टीचर बनने के बाद शिक्षा क्षेत्र के रूपांतरण पर काम करने का?

रंजीत सिंह: आपका कहना ठीक है। सरकारी नौकरी के बाद वेतन आदि की सुनिश्चितता होने के बाद ऐसा लगता है कि अब सब



ठीक है। परंतु एक टीचर को प्रतिदिन छात्रों के साथ काम करना होता है। वह छात्र जो देश का भविष्य होते हैं और अपने आप में बहुत नई सोच रखने वाले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इसलिए आपको भी उनके साथ पूरी ऊर्जा से ही जुड़ना पड़ता है। जब मैंने काम शुरू किया था, 5 जनवरी, 2009 को, पहले दिन से ही परिस्थितियां बहुत हिला देने वाली थीं क्योंकि मेरा क्लासरूम पहले एक गाय के बाड़े में होता था। चारों ओर गायें, भैंसें और बकरियां थीं। मैं यह देख सदमे में था कि भारत में आज भी ऐसे स्कूल हैं! मैं घर गया तो देर तक सोचता रहा, स्कूलों की हालत पर, शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता पर, मैं इस सच को आत्मसात नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मुझे वहां जाने में छह महीने लग गए। मेरी जगह जो टीचर था, वह ताकतवर राजनेता था और मेरा स्थान वापस नहीं देना चाहता था, इसलिए मुझे उससे लड़ कर अपनी कक्षा वापस लेनी पड़ी।

उन छह महीनों में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण किसी तरह बदलता है, वहीं से शुरुआत हो सकती है। इसलिए मैंने क्षेत्र का दौरा किया। लोगों के आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, जनसंख्या से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया और उसका आकलन किया। मैंने पाया कि उन गांवों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक पढ़ी-लिखी थीं, यह सचमुच रोचक खोज थी मेरे लिए। तो मैंने स्कूली शिक्षा में महिलाओं की मौजूदगी और उनके सशक्तीकरण पर अधिक जोर दिया। इसलिए मैंने कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। मैं अपने घर से यहां आ गया और किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगा। मैं उनके सामुदायिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगा... अभिभावकों पर उनकी कन्याओं को वहां भेजने के लिए जोर नहीं डाला जाता था, केवल उनके साथ मेल-मिलाप और यह बताना कि शिक्षा कैसे परिवर्तन लाती है। यदि आप शिक्षित हैं तो किस तरह के मौके आपको मिल सकते हैं, आप कैसी दुनिया देख सकते हैं! इसलिए यह सब प्रयास मेरे लिए मददगार साबित हुए।

उन्हें महसूस होने लगा कि यह व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा काम जो मैंने किया वह यह कि कक्षा में बच्चों को लगातार आने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि पहले केवल दो या तीन प्रतिशत बच्चे ही कक्षाओं में आते थे और बाकी खेत-खलिहानों में माता-पिता की मदद करते थे। इसलिए मैंने उनके पास जाना शुरू किया, उन्हें रोज़ घर से स्कूल लाने लगा। यह प्रक्रिया करीब छह-सात महीने तक चली। मेरा आधा समय उन्हें घर से स्कूल लाने में बीतता था। उसके बाद मैंने क्लासरूम में कुछ नया करने की सोची। चूंकि मेरी तनख्वाह सिर्फ तीन हजार रुपये थी, इसलिए मैं लैपटॉप नहीं खरीद सकता था, इसलिए मैंने अपने पिताजी से मदद मांगी। वह राज़ी हुए और मुझे लैपटॉप ले दिया। मैं विद्यार्थियों से पूछता था कि वह लैपटॉप पर क्या देखना चाहते हैं, वह किसी फिल्म या गीत का नाम बताते तो उन्हें वह दिखाया जाता। मैं बाद में अपने सहकर्मियों से इस संबंध में बात करता था कि आज हमने यह फिल्म देखी, कल वह देखेंगे। यह केवल विद्यार्थियों को साथ जोड़ने का प्रयास मात्र था। वह केवल मनोरंजन से जुड़ा पक्ष था, शिक्षा का नहीं। उसके कुछ समय बाद मैंने 'एंटरटेनमेंट को एजुकेशन से जोड़ कर एजुटेनमेंट' से जुड़ा प्रयास शुरू किया। यानी गैंग्स और ऐसी ही अन्य कुछ चीजें, जिनकी मदद से वह कुछ सीख

भी सकें। हमने कुछ छोटे-छोटे वीडियो बनाने शुरू किए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मराठी में यूट्यूब वीडियो जिनमें वह वॉयसओवर का काम करते। तो यह आरंभिक कदम थे जिन्हें मैंने गांव के स्कूल में शैक्षिक कार्यशैली में बदलाव के लिए आरंभ किया था।

प्रश्न: क्या समाज के सबसे निचले स्तर के अनुभवों को दुनिया के अन्य अध्यापकों के साथ साझा करने का भी आपका विचार है जिससे यह यात्रा आगे चल सके?

रंजीत सिंह: जी, इसीलिए मैंने पुरस्कार की राशि बांटने का निर्णय किया। उस राशि से वह अपने नवीन प्रयास जारी रख सकेंगे और यदि दूरदराज के बच्चों के पास कोई नए विचार हैं तो मैं उन्हें अपनी कक्षा से परिचित करा सकूंगा। यह विकास करने के साझा प्रयास की तरह होगा। हमारे पास ऐसे टीचरों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है और अब मैं उनके बीच परस्पर विमर्श के विषय में सोच रहा हूँ। ऐसा एक प्रोजेक्ट 'लैट्स क्रॉस द बॉर्डर' है जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी विद्यार्थी आपस में मिलें, इराक और ईरान तथा अन्य देशों के बच्चे भी हों। यह अनुभव मुझे बतौर टीचर और इंसान विकसित होने में भी मदद देगा। इससे हमारे बच्चों की सोच-समझ का दायरा भी विस्तृत होगा, वह केवल अपने गांव या शहर से आगे सोचना आरंभ करेंगे। आखिर हम वैश्विक नागरिक हैं और यदि वैश्विक नागरिक की भूमिका में रहना है तो जानना होगा कि अन्य स्थानों के लोग कैसे सोचते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। तो मेरा मानना है कि यह गठबंधन मुझे और शिक्षा जगत के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

प्रश्न: क्यूआर कोड और पाठ्यपुस्तकें बेहद बुनियादी विचार था जो सचमुच व्यापक परिवर्तन लेकर आया। आपने यह शुरुआत कैसे की और एनसीईआरटी ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से जुड़ी नीति कैसे बनाई?

रंजीत सिंह: जैसाकि मैंने आपको बताया कि मैंने छात्रों को सर्वप्रथम कम्प्यूटर से जोड़ा। मैं प्रत्येक सप्ताह के अंत में जो भी डिजिटल कंटेंट तैयार करता था, उसे अपने कम्प्यूटर से छात्रों के मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर देता था। हालांकि, कुछ दिक्कतें भी थीं, जैसे कई बार फाइलें करप्ट हो जाती थीं, या उनके हैंडसेट्स के अनुरूप नहीं होती थीं। फिर ऐसे छात्र भी थे जो स्कूल नहीं आते थे, वह दूर रहते थे और मैं भी रोज उनसे संपर्क नहीं कर सकता था। उनके साथी कक्षा में जो पढ़ते थे, उनकी उस तक पहुंच कैसे हो, इस पर सोचना भी ज़रूरी था। किताबें उनको दी जा सकती थीं, परंतु उन्हें समझाने वाले की भी जरूरत होती थी। मैं एक बार एक दुकान में गया जिसका दुकानदार उत्पाद पर लगे क्यूआर कोड पर स्कैनर चलाता और उसकी कीमत डिस्ले हो जाती थी। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे होता है! इसके बाद मैंने गूगल पर खोज शुरू की। सबसे पहले मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या खोजना है, फिर मैंने इमेज के सहारे खोज की। क्यूआर कोड के बारे में जाना कि उसमें डाटा कैसे जोड़ा जाता है। मुझे अहसास हुआ कि हम भी यह कर सकते हैं। पहले मैंने कक्षा चार के अपने छात्रों के लिए सताइस क्यूआर कोड तैयार किए। उसमें पहले अभिभावकों के लिए निर्देश थे, जो सबसे पहले आते थे। उसके बाद बच्चों की मोबाइल डिवाइस पर उनके लिए कंटेंट दिखता था। मैं क्लास में वीडियो तैयार करता था, जिसे अपलोड किया जाता और उसे वह क्यूआर कोड से एक्सेस



प्रश्न: बेशक, जिन बच्चों के पास घरों में वैसी सुविधाएं हैं, उन्हें भी ऑनलाइन क्लासों के बावजूद दोतरफा संवाद प्राप्त नहीं हो रहा है।

रंजीत सिंह: यह अच्छा सवाल है। परंतु सच यह है कि अध्यापक इस संबंध में प्रशिक्षित नहीं हैं। उन्हें छात्रों के सामने पढ़ाने का प्रशिक्षण मिलता है। महामारी के कारण उन्हें ऑनलाइन टीचिंग में आना पड़ा है, और वह अपने पुराने तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, जिस कारण छात्रों को वह कमी दिखती है। ऑनलाइन अध्यापन फेस-टू-फेस टीचिंग से पूरी तरह भिन्न है। मैं इस दिशा में 2016 से काम कर रहा हूँ और जानता हूँ कि छात्रों को आधे घंटे की क्लास में वर्चुली कैसे साथ रखना है। अन्य अध्यापकों को इसका ज्ञान अक्सर नहीं होता। वह कैमरा शुरू करके ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं। मैं यहां उनको दोष नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उन्हें वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला...

करते थे। यह प्रयास एक वर्ष तक चला, जिसके बाद उनकी सीखने की क्षमता का आकलन करने के बाद मैंने अपनी राज्य सरकार से संपर्क किया क्योंकि वह पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करती है। मैंने कहा कि प्रयास आरंभ किया गया है जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, इसलिए आप पुस्तकों में क्यूआर कोड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?

उसके बाद पायलेट परियोजना के तहत छह पुस्तकों में यह पहल की गई, और फिर उसके नतीजों का आकलन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्यूआर कोड को किताबों में शामिल किया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने एनसीईआरटी को सलाह दी कि यह अद्भुत विचार है जिसके नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं और यह एनसीईआरटी के लिए भी लाभदायक रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर उस समय मानव संसाधन मंत्री थे और वह महाराष्ट्र से ही हैं। इस तरह आपसी समझबूझ के आधार पर यह कदम उठाया गया और बाद में एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों में क्यूआर कोड को शामिल किया।

प्रश्न: क्या आप ऐसे कुछ नवीन अनुभव साझा करना चाहेंगे जो आपके जैसे शिक्षकों को देश भर में लाभ पहुंचा सकें, विशेषकर महामारी के दिनों में जबकि निम्न वर्ग के बच्चों को समानता की आवश्यकता है।

रंजीत सिंह: महामारी के समय में मूल्य आधारित शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने का प्रश्न है। यदि आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं; यदि नहीं, तो आप उस दायरे से बाहर हैं। देश के दूर-दराज के इलाकों में तकनीकी पहुंच की कमी के कारण यह परिदृश्य दिखता है। दूसरी चीज, डिजिटल कंटेंट से जुड़ी है। अभी हम डिजिटल कंटेंट की ओर जाने की दिशा में शुरू ही हुए हैं और यह अभी प्रारंभिक चरण में है। यदि वीडियो देखकर विद्यार्थी कुछ समझता है, फिर भी उसके पास संसाधनों की कमी है, जो उसे रोकती है। घर पर उसे सुविधाएं चाहिए।

प्रश्न: फिर भी वह शिक्षा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, इस पर क्या सोचना है आपका?

रंजीत सिंह: जी बिल्कुल। यह हमारे नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती है कि यदि 2020 के बाद भी यह परिस्थितियां जारी रहती हैं तो हमारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, वह आज से बेहतर हो। इसलिए हमें अध्यापकों को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह ऑनलाइन टीचिंग के मुफीद हो सकें।

प्रश्न: नई शिक्षा नीति पर आपकी क्या राय है?

रंजीत सिंह: मेरी राय में नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाएगी। कई वर्ष बीत चुके हैं और हम पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। नई नीति विद्यार्थी केंद्रित नीति पर ध्यान दे रही है। और विद्यार्थियों के संबंध में अध्यापकों की सोच-समझ पर भी ध्यान दे रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि विद्यार्थी इक्कीसवीं सदी के हैं जबकि अध्यापक बीसवीं सदी के। उनका प्रशिक्षण, उनका पाठ्यक्रम, उनकी तकनीक पुरानी है। तो यह शिक्षा नीति शिक्षा का परिदृश्य बदलेगी, सशक्तीकरण का काम भी करेगी। इसमें कंटिन्युस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी हैं, जो मेरे जैसे अध्यापकों को नया ज्ञान, नया तौर-तरीका सीखने में मदद करेगी।

प्रश्न: बच्चों और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

रंजीत सिंह: मेरी राय में बच्चों को अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। उन्हें माता-पिता या साथियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, उसे समझें, जाने और उस पर कायम रहें। अपनी रुचि के क्षेत्र में ही सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने परंतु कोई भी बच्चे की आवाज सुनने को तैयार नहीं। मेरी क्लास में बच्चों की आवाज सुनी जाती है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी अंदर की आवाज सुननी चाहिए।

सतत ग्रामीण विकास में अवसंरचना क्षेत्र का महत्व

—अरविंद कुमार सिंह

28 अप्रैल, 2018 वह ऐतिहासिक दिन बना जब देश के सभी आबादी वाले गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया। बिजली गांवों में पहुंची तो कायाकल्प के रास्ते खुले। खेती की लागत कम करने, सिंचाई से लेकर पशुपालन, मुर्गीपालन और हर क्षेत्र में बिजली बेहद कारगर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव आया है। पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भारत ने शहरी और ग्रामीण भारत के बीच के डिजिटल अंतर को दूर कर दिया है। वहीं 'सबके लिए आवास' के तहत 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

भारत की करीब 70 फीसदी आबादी और श्रम शक्ति ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम योगदान है। ग्रामीण भारत हमारी खाद्य सुरक्षा के साथ तमाम क्षेत्रों को संबल देता है। देश के कुल कार्यबल में से 54.6 फीसदी कामगार कृषि और सहायक क्षेत्रों में गांवों में काम करते हैं। खेतीबाड़ी, पशुपालन, वानिकी, ग्रामोद्योग और कई दूसरी गतिविधियां ग्रामीण भारत के जीवन का आधार हैं।

एक विशाल देश होने के नाते अलग-अलग इलाकों में ग्रामीण संस्कृति ही भारत की विराट संस्कृति और परंपराओं की पोषक मानी जाती है। पहाड़ी गांव हों या मैदानी, तटीय इलाके के गांव हों या फिर द्वीपों पर बसे गांव या रेगिस्तान में रेत के टीलों की ओट में बसे गांव और ढाढियां, सबकी अलग परिस्थितियां हैं। उनकी बोलीबानी, रहन-सहन और खानपान का तरीका स्थानीय भूगोल और परंपराओं के हिसाब से चलता है। भारत गांवों का देश माना जाता है और आज भी सही अर्थों में शहरी इलाकों की तुलना में कई सोपानों में गांव हमारी असीमित ताकत के प्रतीक हैं।

ग्रामीण इलाकों का आधारभूत ढांचा कमजोर रहा। इस कारण काफी बड़ी संख्या में ग्रामीणों को शहरी इलाकों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। बेहतर सुविधाओं की ललक में गांवों से बहुत से लोग शहरों या आसपास के कस्बों में बसे। लेकिन बीते साढ़े छह सालों के दौरान ग्रामीण इलाकों में अवसंरचना विकास पर जिस तरह ध्यान किया जा रहा है, उससे कई सकारात्मक बदलाव अब दिखने लगे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज कई संभावनाओं के दरवाजे खोल रही है। सतत ग्रामीण विकास में अवसंरचना की बहुत अधिक अहमियत है।

केंद्र सरकार के नए भारत दृष्टिकोण का केंद्र ग्रामीण भारत और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कों, संचार सुविधाओं, पेयजल और सिंचाई, आवास, शौचालय, बिजली और रसोई गैस जैसी सुविधाओं की पहुंच व्यापक होने और इस पर विराट संसाधन लगने के कारण ग्रामीणों के जीवन-स्तर पर काफी असर पड़ा। वर्ष 2020-21 के आम बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक फोकस करते हुए



इसके लिए 16 सूत्री योजना तैयार कर व्यापक धन आवंटन किया गया। इसमें कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान हुआ। कोरोना संकट में ग्रामीण भारत को और अधिक संसाधनों के साथ सरकार ने एक नई ताकत देने की कोशिश की।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के साथ रोजगार संभावनाओं को भी गति देता है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी योजनाएं इसमें काफी मददगार बन रही हैं। कोरोना संकट में भी सुरक्षा हिदायतों के बीच इनकी बेहतरीन प्रगति बनी रही। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर गति बनाए रखी और कई अभिनव प्रयोग किए। इस साल ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 लाख करोड़ रुपये अपनी अहम योजनाओं पर खर्च कर रहा है। सरकार ने अपने कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी कर एक नई पहल भी की है।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने 31 जनवरी, 2020 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में ग्रामीण विकास के शानदार प्रदर्शन की सराहना की थी। उनका कहना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आने वाले वर्षों में सरकार 25 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करने जा रही है। देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हैं। जनधन-आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का उपयोग कर सरकार लगभग 450 योजनाओं को डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर से जोड़ चुकी है। साथ ही, शहरों और गांवों के बीच दूरी कम करने में तकनीक अहम भूमिका निभा रही है।

इन योजनाओं के साथ ही कोरोना संकट के दौरान विशेष लक्ष्य के साथ 20 जून, 2020 को आरंभ किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने भी ग्रामीण भारत में जल संरक्षण, आवास, मवेशियों के लिए शेड, ताल-पोखरे, और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में काफी मदद की है। काफी संख्या में ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इससे मुहैया करायी गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 पिछड़े जिलों में भारत सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों की ओर से चलाया गया 125 दिनों का यह अभियान प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान बना। विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों पर 50,000 करोड़ रुपये की जो राशि व्यय करने का खाका तैयार किया गया था, उससे काफी स्थायी परिसंपत्तियां भी बनीं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय-ग्रामीण भारत की धुरी

वैसे तो गांवों का समग्र विकास राज्यों का दायित्व है। लेकिन संसाधनों की कमी और कई कमजोरियों के कारण कई राज्यों में

अपेक्षित प्रगति नहीं हुई और व्यापक असंतुलन कायम रहा। इसे दूर करने में भारत सरकार की कई योजनाएं बेहद कारगर रहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले विभाग के रूप में अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय का हिस्सा बना। 18 अगस्त, 1979 को इसका नाम बदल कर ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय और 23 जनवरी, 1982 को ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। जनवरी 1985 में इसे फिर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग बनाया गया। लेकिन जुलाई 1991 में इसे फिर मंत्रालय बना दिया गया। इसी के तहत 2 जुलाई, 1992 को बंजर भूमि विकास विभाग भी बना। मार्च 1995 में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास और बंजर भूमि विकास विभाग के साथ इसे ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय नाम मिला। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में 1999 में तीनों विभागों को समाहित कर ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दिया गया। इसके तहत ग्रामीण विकास और भूमि संसाधन विभाग आते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास व्यापक दायित्व हैं। यह ग्रामीण भारत के आधारभूत ढांचे, ग्रामीणों का कल्याण और आजीविका, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा समेत कई पहलुओं पर काम करते हुए ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है। इस मंत्रालय के तहत आने वाली प्रमुख योजनाओं में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-ग्रामीण समृद्धि की आधारशिला

ग्रामीण भारत के कायाकल्प में ग्रामीण सड़कों की ऐतिहासिक भूमिका है। भारत के पास आज विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क तंत्र है। इनमें सबसे अहम भूमिका ग्रामीण सड़कों की है जो देश के कुल सड़क नेटवर्क का करीब 80 फीसदी हैं। ग्रामीण सड़कें आज देश की जीवनरेखा हैं। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेहद खास है। भारत सरकार ने दो चरणों में इस योजना की मदद से संपर्कविहीन बसावटों को नया जीवन दिया है। योजना का तीसरा चरण बेहद महत्वाकांक्षी है, जिसके तहत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण और सुधार समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके जरिए भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपर्क कायम हो सका है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई थी। इसके पहले चरण के तहत 6.46 लाख किमी. सड़क और 7238 पुलों की मंजूरी मिली। दूसरे चरण में 50 हजार किमी. सड़कों और 662 पुलों को मंजूरी दी गई। जब योजना आरंभ हुई तो देश की अधिकांश बसावटों में सड़क संपर्क दयनीय दशा में था। योजना के तहत 2010 से 2014 की अवधि में जहां 1.33 लाख

किमी. ग्रामीण सड़कों बनी, वहीं 2014 से 2018 के दौरान 1.69 लाख किमी. से अधिक सड़कों बनीं। कोरोना संकट के दौरान भी इनका विकास तेज़ गति से जारी रहा। इसकी कई खामियों को भी हाल के सालों में दूर किया गया। मेरी सड़क ऐप से खराब सड़कों को प्रशासन के संज्ञान में लाने और उसे ठीक कराने की दिशा में बेहतर प्रगति हुई। इस योजना का चरण 2024-25 तक साकार होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत में से केंद्रीय हिस्सा 53,800 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 26,450 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव आया है। ग्रामीण इलाकों में कृषि के काम आने वाले वाहनों के अलावा निजी वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। पहले 60 किमी. देहाती सड़क रोज़ बनती थी जो अब 133 किमी. से अधिक हो गई है। सड़कों के निर्माण में अपारम्परिक सामग्रियों जैसे बेकार प्लास्टिक, पलाई एश समेत कई धातुओं के बेकार हिस्सों का उपयोग भी किया जा रहा है। हरित प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए मास्टर ट्रेनरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों को प्रशिक्षण देकर व्यापक क्षमता विकास भी किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण— सम्मानजनक जीवन की गारंटी

आवास मानव जीवन की बुनियादी ज़रूरत है। इसमें तमाम अंचलों की सांस्कृतिक संपन्नता और रहन-सहन भी प्रतिबिंबित होता है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में गरीबों की आवासीय दशा दयनीय रही है। वैसे तो ग्रामीण आवास योजनाएं पहले भी चल रही थी, लेकिन उनमें बहुत खामियां थीं। इनको दूर करते हुए 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक बेहद महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की जिसमें कमज़ोर ग्रामीणों को नई ताकत दी। इसमें घरों में पानी, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल कर इसे और सार्थक बनाया गया है। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के साथ घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया।

इस योजना में मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी और कठिन इलाकों में लागत की सीमा 1.30 लाख रुपये की गई। मनरेगा से 90 से 95 दिन तक अकुशल श्रमिकों की मदद के साथ योजना में अनसूचित जाति और जनजाति पर खास ध्यान दिया गया है। 'सबके लिए आवास' के तहत 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाना है। इसके तहत अब तक 2.21 करोड़ मकानों को स्वीकृति मिल चुकी है और एक करोड़ 86 हजार आवास बनाए जा चुके हैं। सरकार ने 2020-21 के दौरान 70 लाख और 2021-22 के दौरान 65 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के लिए आईआईटी, दिल्ली, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जैसे संगठनों की भी मदद ली गई

है। इसके तहत व्यापक अध्ययनों के बाद 108 मकानों के डिज़ाइन 15 राज्यों के 64 आवासीय ज़ोनों के लिए तैयार किए गए, जिससे अपनी जरूरत के हिसाब से कई सम्मानजनक विकल्प सुलभ हुए हैं। कुछ राज्यों में इस योजना के तहत कलस्टर और कॉलोनियां भी बनाई गई हैं और भूमिहीनों को लाभ मिला है।

ग्रामीण विद्युतीकरण— रोशनी से दमकता ग्रामीण भारत
दशको तक बिजली को शहरों की ज़रूरत माना जाता था और ग्रामीण विद्युतीकरण की गति धीमी रही। भारत को आज़ादी मिली तो केवल 1500 गांव विद्युतीकृत थे और 6500 पंपसेट बिजली से चलते थे। ग्रामीण विद्युतीकरण 1950 के दशक में आरंभ किया गया लेकिन गति धीमी रही और 2011 की जनगणना में देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण घरों में से 9.28 करोड़ यानी 55 फीसदी ही विद्युतीकृत थे। सरकार ने सभी गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य 2009 तक रखा था लेकिन यह संभव नहीं हो सका। 28 अप्रैल, 2018 वह ऐतिहासिक दिन बना जब देश की सभी आबादी वाले गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया। बिजली गांवों में पहुंची तो कायाकल्प के रास्ते खुले। खेती की लागत कम करने, सिंचाई से लेकर पशुपालन, मुर्गीपालन और हर क्षेत्र में बिजली बेहद कारगर साबित हो रही है। आज ग्रामीण घर रोशनी से दमक रहे हैं जो पहले अंधेरे में डूबे हुए थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को लालकिले की प्राचीर से बिजली से वंचित रहे गांवों को एक हजार दिन में विद्युतीकृत करने का संकल्प लिया था। यह काम तय समय-सीमा से पहले हो गया। अब सरकार 2022 तक गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने सभी गांवों में क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी। दिसंबर 2014 में सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुंच के लिए यह योजना आरंभ की गई थी। इसके तहत बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। 28 फरवरी, 2018 तक सारे गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया। अक्टूबर 2017 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से मार्च 2019 तक 2.62 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया। इसके बाद छह राज्यों में फरवरी 2020 तक 11.54 लाख उन घरों को विद्युतीकृत किया गया, जो पहले अनिच्छुक थे।

मनरेगा— रोज़गार के साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण

बीते दशकों में मनरेगा सुर्खियों में रही है। दुनिया की इस सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी योजना ने न्यूनतम रोज़गार की कानूनी गारंटी के साथ तमाम स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया है। कोरोना संकट में भी मनरेगा बेहद मददगार रही। भारत सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर मनरेगा के बजट में 50 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की। इसके तहत अब तक करीब एक लाख 11 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 76



हजार करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। मनरेगा के इतिहास का यह सबसे अधिक आवंटन है। इससे अब तक 60.80 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन किया गया है और 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य दिया गया। चालू वित्त वर्ष में इसके तहत 10 लाख काम संपन्न हुए हैं। मनरेगा के 261 स्वीकृत कामों से 164 कृषि से संबंधित हैं। प्राथमिकता के आधार पर इसके कामों में जल-संरक्षण, सूखारोधी उपाय और वृक्षारोपण, लघु सिंचाई, बागवानी, भूमि सुधार, बाढ़ नियंत्रण, बारहमासी सड़कें, गांव पंचायत भवन, खेल मैदान, स्वच्छता सुविधा शामिल हैं।

मनरेगा की कई कमियां, जिसमें मजदूरी का देर से भुगतान भी शामिल है, को दूर किया जा चुका है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग से भी पारदर्शिता बढ़ी है। गांव में कौन-सी टिकाऊ परिसंपत्तियां बनानी हैं, यह काम आमसभा तय करती है जिससे उपयोगी काम संभव हो सके हैं। मनरेगा ने कई इलाकों में ग्रामीणों की दशा ऐसी बदली कि 43वें भारतीय श्रम सम्मेलन में इसकी तर्ज पर शहरी रोजगार योजना शुरू करने की मांग उठ चुकी है। विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति लाने वाला कार्यक्रम करार दिया है। तमाम स्वतंत्र अध्ययनों ने मनरेगा की कई सफलताओं को उजागर किया है। खासतौर पर अविकसित और आदिवासी इलाकों के कार्याकल्प में यह खास मददगार बना जहां 100 की जगह 150 दिनों का रोजगार मिल रहा है। संसद की ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने भी इसकी सराहना की है।

हर खेत को पानी- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

हर खेत को पानी देने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में आरंभ की गई थी। हर खेत को पानी के साथ इसमें सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के साथ भूजल स्कीम भी शामिल है। योजना के एक घटक पर वन ड्राप मोर क्राप का क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई का अत्यंत महत्व है और यही हरित क्रांति का आधार रही। लेकिन आज भी देश का 52 फीसदी क्षेत्र वर्षा सिंचित है। वर्षा सिंचित इलाकों में कुल कृषि उत्पादन का 40 फीसदी योगदान है और 60 फीसदी पशुधन यहीं है। इसी नाते यह योजना बनाई गई, जिससे 18 राज्यों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2016-17 के दौरान 99 चालू बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं को मदद कर 76.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाओं का विकास करने पर फोकस किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से जरूरी संसाधन दिए गए जिसके नाते कई अहम परियोजनाएं साकार हो सकी हैं। वर्ष 2018-19 के बजट में भूमि जल के उपयोग के लिए 96 अत्याधिक सिंचाई से वंचित जिलों के लिए हर खेत को पानी योजना आरंभ की। इसका भी एक सकारात्मक असर कृषि उत्पादन बढ़ने के रूप में भी दिख रहा है और भूमिगत जलस्तर में सुधार के रूप में भी।

जल जीवन मिशन-हर ग्रामीण घरों तक नल

सरकार ने 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को कार्यशील नल कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन आरंभ किया। इसके तहत पांच साल की अवधि के लिए परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से केंद्रीय अंश 2.08 लाख करोड़ रुपये है। इस परियोजना से पहले से ही लक्ष्य हासिल कर चुके ग्रामीण स्वच्छता अभियान को बनाए रख सकने में भी मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस योजना को साकार किया जा रहा है। इस योजना के तहत 15.81 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घरेलू जल नल कनेक्शन दिया जाना है। अभी केवल 3.27 करोड़ यानी महज 18.33 फीसदी के पास जल कनेक्शन या पाइप से जलापूर्ति मिल रही है। केवल छह राज्य सिक्किम, गुजरात, हिमाचल हरियाणा, पंजाब और पुडुचेरी ऐसे हैं जहां ग्रामीण घरों को 50 फीसदी से अधिक जलापूर्ति कनेक्शन हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर साल करीब 3.2 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए दैनिक आधार पर 88,000 नल जल कनेक्शन दिया जाना है। इसमें भी जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पीने लायक पानी की आपूर्ति मिशन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। इससे 2995 गांवों के सभी घरों में जल-नल कनेक्शन पहुंचेंगे और इनसे जिलों की करीब 42 लाख की आबादी को लाभ होगा। इस अभियान के तहत पिछले डेढ़ साल में दो करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया जा चुका है। इससे खासतौर पर महिलाओं का जीवन सरल हुआ है और गंदे पानी की वजह से गरीब परिवारों में होने वाली हैजा, टायफाइड, जैसी जलजनित बीमारियों को रोकने में मदद मिली है।

सूचना और संचार क्रांति की ताकत

कोविड-19 महामारी में संचार और आईटी क्षेत्र की क्रांति का असर शहरों की तरह ग्रामीण भारत में भी देखने को मिला। ऑनलाइन शिक्षा से लेकर सरकारी तंत्र और ग्रामीण मंडियों तक पहुंच में इससे उनको काफी मदद मिली। ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली भारतनेट परियोजना और उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दूरदराज के द्वीपों को जोड़ने वाली अन्य परियोजनाओं से आने वाले समय में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में काम जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 67वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। 2014 से पहले देश में केवल 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ी थीं। पिछले पांच वर्षों में देश में लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। दूरसंचार विभाग भारत के सभी गांवों



को चरणबद्ध तरीके से ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने में लगा है। हाल में अंडमान और निकोबार द्वीप को बेहतर इंटरनेट सेवा के लिए समुद्र तल केबल के साथ जोड़ा गया। इन प्रयासों से ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन व्यापार में सुधार के साथ पर्यटन तथा कौशल विकास को भी मदद मिलेगी। संचार और सूचना क्रांति का असर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे 1,31,113 शाखा डाकघरों में भी देखने को मिल रहा है। इसकी बदौलत ग्रामीणों को वैसी कई योजनाएं और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं जिनका फायदा शहर में रहने वाले लोग उठा रहे थे।

मोबाइल क्रांति हर इलाके में अपना असर दिखा रही है। सभी ढाई लाख पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्शन देने से अर्थव्यवस्था की गति और तेज़ होगी। खेतीबाड़ी से जुड़ी सूचना हासिल करना, मंडी में उत्पाद भेजना, ई-कामर्स, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य की सहज पहुंच इससे दूरदराज के इलाकों तक होगी जिससे ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर सुधरेगा। आकलन है कि किसी देश में ब्राडबैंड की पहुंच में 10 फीसदी वृद्धि होने पर जीडीपी में करीब एक फीसदी की वृद्धि होती है। सरकार अगले तीन वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड की फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी देने के काम में जुटी है। भविष्य में लंबी छलांग लगाने के लिए 5जी भी एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भारत ने शहरी और ग्रामीण भारत के बीच के डिजिटल अंतर को दूर कर दिया है। अब भारत में दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल टैरिफ उपलब्ध है। भारत अब दुनिया में मोबाइल डाटा के उपयोग के मामले में विश्व में अग्रणी है। बीते पांच सालों में भारत में मोबाइल क्रांति ने हर घर तक दस्तक दी है। संचार क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है।

मोबाइल क्रांति ग्रामीण डिजिटल क्रांति का आधार भी बन रही है।

अन्य योजनाएं

इन योजनाओं के साथ कई अन्य योजनाएं और राज्य सरकारों की अपनी पहल ग्रामीण भारत का कायापलट कर रही हैं। भारत सरकार ने 16 सितंबर, 2015 को 5142.08 करोड़ की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन को स्वीकृति दी थी। इसके तहत विकास की संभावनाएं समेटे तीन सौ सघन ग्रामीण बसावटों में आधारभूत, सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना का विकास करने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना शामिल है। इसी तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना भी आधारभूत ढांचे के विकास में प्रेरक का काम कर रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2014 को किया था। इसके तहत 71,725 परियोजनाओं में से मार्च 2020 तक 44,890 यानी 63 फीसदी पूरी हो चुकी हैं और 6709 प्रगति पर हैं। योजना में सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं। जैसे पाइप के जरिए स्वच्छ पेयजल, सड़क संपर्क, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, ब्राडबैंड और एटीएम वाले मिनी बैंक आदि शामिल हैं। इसमें कई तरह के अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। सतत ग्रामीण विकास में अवसंरचना विकास की ये सारी योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही हैं और नए भारत के निर्माण को नई दिशा दे रही हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा टीवी में संसदीय और कृषि मामलों के पूर्व संपादक रह चुके हैं; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चौधरी चरण सिंह कृषि पत्रकारिता पुरस्कार और भारतीय प्रेस परिषद के ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित, कई पुस्तकों के लेखक।)

ई-मेल : arvindk.singh.rstv@gmail.com

अक्षय ऊर्जा से संवरता ग्रामीण भारत

-डॉ. जगदीप सक्सेना

अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोत ग्रामीण विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने को तैयार हैं। देश भर में व्याप्त सफलता की कहानियां बताती हैं कि यदि उपयुक्त नीति और व्यावसायिक दृष्टि के साथ अक्षय ऊर्जा की परियोजनाएं लागू की जाएं तो यह सभी संबंधितों के लिए लाभकारी होता है। ग्रामीण विकास में अक्षय ऊर्जा की ऊंची छलांग के लिए एक बहुसूत्री नीति अपनाना आवश्यक है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों ने ग्रामीण भारत की तरकीब बदल दी है। देश के गांवों में चहुंमुखी विकास की एक नई लहर चल पड़ी है, जिसका ग्रामीण समुदाय के पारिवारिक-सामाजिक जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य और आर्थिक-स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। परिवर्तन के इस दौर को सफल और प्रभावी बनाने में अक्षय ऊर्जा ने एक अहम भूमिका निभायी है। अक्षय ऊर्जा के विभिन्न आयाग, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, जैव ऊर्जा, छोटी जलविद्युत परियोजनाएं और पवन ऊर्जा, ग्रामीण परिवेश और सामाजिक मांग के अनुरूप विकास को नई गति और बल प्रदान कर रहे हैं। अब दूरदराज के और पर्वतीय गांवों में भी सड़कें और पगडंडिया रोशन हैं, लोगों के घरों में दूधिया रोशनी का उजाला है, और कुटीर उद्योग-धंधों विजली की सहायता से प्रगति कर रहे हैं। ग्रामीण परिवारों की रसोई को लकड़ी-कोयले के धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। दूसरी ओर, किसानों के खेतों में सौर ऊर्जा ने सिंचाई का जिम्मा संभाल लिया है, फसल उपज को सुखाने

में सौर ऊर्जा मदद कर रही है, और किसान भाई खेतों में सौर ऊर्जा का उत्पादन कर अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। गांवों में स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाओं के सुधार में भी अक्षय ऊर्जा मददगार साबित हुई है। इन व्यापक उपयोगों के अलावा, कृषि व्यर्थ तथा फसल अवशेषों से ऊर्जा उत्पादन व वितरण एक छोटे व्यवसाय के रूप में भी सामने आया है। यह सब कुछ भारत सरकार की प्रभावी नीतियों और योजनाओं के कारण संभव हो रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता भी शामिल हैं। भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देशभर में अक्षय ऊर्जा के विकास, प्रसार और उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित कर रहा है। परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अक्षय ऊर्जा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता की नई कहानियां लिखी जा रही हैं।

घर-घर रोशनी, गांव-गांव उजाला

भारत सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास का एक प्रमुख स्थान है। छह लाख से अधिक



रोशनी की नई राहें

राजस्थान के ज़िला टोंक की सोडा पंचायत के अंतर्गत इंदिरा नगर एक छोटी-सी बस्ती है, जहां 13 घरों में लगभग 190 लोग रहते हैं। मुख्य रूप से ये खेती-किसानी करते हैं या कुछ लोग मजदूरी में संलग्न हैं। यहां पॉवरग्रिड से बिजली पहुंचना तकनीकी और व्यावसायिक रूप से कठिन था। इसलिए ग्राम पंचायत ने निजी क्षेत्र की एक कंपनी के साथ मिलकर एक माइक्रो सोलर ग्रिड लगायी, जिससे हर घर में बिजली पहुंच सके। इस सोलर प्लांट से हर घर में बिजली की रोशनी पहुंचाई गई और ऊर्जा कुशलता के लिए एलईडी बल्ब लगाए गए। बिजली की रोशनी के कारण अब यहां की महिलाएं शाम/रात को दालों की पिसाई का काम करती हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीनें दी गईं, जिससे अब वे अपनी शिक्षा के साथ पारिवारिक आमदनी बढ़ाने में भी सहयोग दे रही हैं। गांव के युवाओं के सहयोग से यहां एक सांध्यकालीन शिक्षा केंद्र भी खोला गया है, जिसमें महिलाएं व्यवहार-योग्य शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कंपनी द्वारा प्रत्येक घर से 150 रुपये मासिक शुल्क लिया जाता है, जो इनके पूर्व के कीरोसीन के मासिक खर्च से कम है। सौर ऊर्जा ने इस बस्ती के ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं, के जीवन को संवारने में केंद्रीय भूमिका निभायी है। बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर ब्लॉक में तीन गांवों के 51 घरों को भी लगभग इसी मॉडल पर बिजली पहुंचायी गई, जिसमें एलईडी बल्ब के प्रावधान के साथ मोबाइल चार्जिंग की सुविधा थी। इसके लिए ग्रामीण परिवारों से मासिक शुल्क भी लिया गया, जो उन्होंने सुविधाओं के कारण सहर्ष दिया। इन सफलताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर माइक्रो-ग्रिड की स्थापना की नींव मजबूत कर दी है, इससे प्रेरित होकर देश के अनेक भागों में छोटे और बड़े स्तर पर माइक्रो-ग्रिड लगायी जा रही है। व्यावसायिक संभावनाओं के कारण इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़े हैं।

गांवों और लगभग 90 करोड़ जनसंख्या वाला ग्रामीण क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। परंतु विकास की राह में हमारे गांव एक लंबे अर्से तक शहरी क्षेत्रों से पिछड़े रहे। इसका एक प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी या अभाव रहा। इसलिए भारत सरकार ने एक ओर गांव-गांव बिजली पहुंचाने का अभियान तेज किया, तो दूसरी ओर अक्षय ऊर्जा को एक मजबूत विकल्प के रूप में विकसित करने की पहल भी की।

ग्रामीण विकास की पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत थी सड़कों-पगडंडियों से लोगों के घरों और व्यवसायों तक को बिजली के उजाले से रोशन करना, ताकि जीवनशैली में सुधार हो, बच्चों की पढ़ाई तथा घरेलू कामकाज में आसानी हो और व्यवसाय में प्रगति हो। इस काम को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा यानी 'सोलर एनर्जी' को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में चुना गया क्योंकि देश के अधिकांश भागों में लगभग 300 दिन अच्छी धूप खिली रहती है। सूरज की रोशनी से बिजली बनाना एक सरल और व्यावहारिक तकनीक (एसपीवी यानी सोलर फोटो-वोल्टाइक प्रणाली) है, जिसका विश्व-स्तर पर व्यापक उपयोग हो रहा है। इस तकनीक के केंद्रबिंदु में 'सोलर सैल्स' हैं, जो एक इकाई के रूप में सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का काम करते हैं। इन्हीं 'सोलर सैल्स' की शृंखला 'सोलर पैनल' के नाम से लोकप्रिय है। सौर ऊर्जा के शुरुआती दौर में 'सोलर सैल्स' का विदेशों से आयात किया जाता था, इसलिए सौर प्रणालियों की लागत/कीमत अधिक थी।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के कारण देश में ही 'सोलर पैनल' कम लागत पर बनाए जाने लगे, जिससे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को तेज करने में मदद मिली। सन् 2010 में शुरु किए गए 'नेशनल सोलर मिशन' के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट, सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लैंटर्न,

सोलर स्टडी लैम्प, सोलर पंप, सोलर कुकर और सोलर ड्रायर जैसे अनेक उपयोगी उपकरणों के विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। साथ ही वित्तीय सहायता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इनके प्रसार को भी गति दी गई।

शुरुआत में सोलर स्ट्रीट लाइट में साधारण बल्ब या ट्यूब लाइट लगाए जाते थे, जिनसे रोशनी कम मिलती थी, परंतु ऊर्जा की खपत ज्यादा होती थी। तकनीकी विकास के साथ चलते हुए पहले सीएफएल और अब एलईडी के प्रयोग से सोलर स्ट्रीट लाइट की कार्यकुशलता और ऊर्जा दक्षता कई गुनी बढ़ गई है। यदि तीन-चार दिन तक बादल घिरे रहें तो भी रात में इनसे रोशनी मिलती रहती है। संसर की सुविधा के कारण अब सोलर स्ट्रीट लाइट को हाथ से 'ऑन या ऑफ' करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, ये अंधेरा घिरने पर अपने-आप रोशन हो जाती हैं और सुबह 'ऑफ' भी हो जाती हैं। इन खूबियों ने सोलर स्ट्रीट लाइट को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही कस्बों और छोटे नगरों में भी लोकप्रिय बना दिया है। भारत सरकार के प्रयासों से अब तक 6.80 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट देश के गांवों को रोशन कर रही हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, देर रात तक आवागमन संभव हुआ है और दैनिक कामकाज की अवधि को विस्तार मिला है।

सोलर स्ट्रीट लाइट की उपयोगिता को देखते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केवल एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट्स के प्रसार के लिए 2016 में एक विशिष्ट 'अटल ज्योति योजना' प्रारंभ की। इसके पहले दो-वर्षीय चरण में उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, और उड़ीसा के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में सात वाट की 1.34 लाख लाइट्स लगाई गईं। इनमें ज्यादातर दूरदराज के इलाके थे, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी

50 प्रतिशत तक सीमित थी। यहां की मुख्य सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों को रोशन किया गया, जिससे जीवन-स्तर में सुधार के साथ आर्थिक विकास के संकेत भी मिले।

योजना के दूसरे चरण में (2018-20) 12 वाट की सोलर स्ट्रीट लाइट्स उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अनेक द्वीपों में लगायी जा रही हैं। लक्ष्य तीन लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का है। इसकी 75 प्रतिशत लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जबकि 25 प्रतिशत राशि सांसद निधि या अन्य सरकारी फंड से प्रदान करने का प्रावधान है।

ग्रामीण घरों में रोशनी के लिए सोलर-पीवी तकनीक पर आधारित कई प्रणालियां विकसित और प्रसारित की गई हैं, जो 'सोलर होम लाइट सिस्टम' के नाम से लोकप्रिय हैं। छोटे और बड़े परिवारों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग वाट क्षमता की प्रणालियां विकसित की गई हैं, जिनमें एलईडी की रोशनी के साथ एक पंखा चलाने की व्यवस्था भी की गई है। पंखा ना चाहें तो टीवी चला सकते हैं। आधुनिक प्रणालियों में बैटरी की बिजली संग्रह क्षमता अधिक है, प्रणाली की सुरक्षा के लिए फ्यूज़ लगाए गए हैं, और अतिरिक्त सुविधा के रूप में मोबाइल का चार्जिंग प्वाइंट भी है। ग्रामीण भाई सोलर पैनल को छत पर रखते हैं या घर के आंगन में, जहां अधिकतम समय तक धूप रहती हो। अब तक 17.20 लाख से अधिक सोलर प्रणालियां अपनी रोशनी से ग्रामीण परिवारों के विकास का माध्यम बन चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक समस्या यह भी थी कि विशेष रूप से किसान भाई-बहनों को शाम-रात के अंधेरे में खेत-खलिहान तक आना-जाना पड़ता था। इसके समाधान के लिए 'सोलर लैंटर्न' (सोलर लालटेन) का विकास किया गया, जो आम लालटेन जैसी ही दिखती है, परंतु इसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में बैटरी मौजूद होती है, जिसे दिन में सोलर पैनल के माध्यम से चार्ज किया जाता है। रोशनी के लिए एलईडी लगी होती है। उजले प्रकाश के चलते-फिरते स्रोत ने ग्रामीणों की राह आसान कर दी है।

ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के महत्व और छात्रों के हितों को देखते हुए 'सोलर स्टडी लैम्प' तैयार किए गए, जो मूल रूप से सोलर लालटेन की तकनीक पर कार्य करते हैं। असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली छात्रों के बीच 'सोलर स्टडी लैम्प' वितरित करने की एक बड़ी योजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य 70 लाख सोलर-लैम्प स्कूली छात्रों तक पहुंचाना है, ताकि घर पर उनके पढ़न-पाठन में रोशनी का अभाव कोई बाधा ना बने। ग्रामीण परिवारों में अब तक 74.26 लाख से अधिक सोलर लालटेन और सोलर लैम्प भारत सरकार की सहायता से बांटे जा चुके हैं।

अक्षय ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए स्थानीय सहायता से महिलाओं को 'सोलर लाइटिंग

टेक्नीशियन' के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित और कुशल महिलाएं सोलर लैंटर्न और सोलर स्टडी लैम्प जैसे उपकरणों की 'असेंबली' और बाद में 'मेनटेनेंस' का काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर उपकरणों की बिक्री और मरम्मत की दुकानें भी तेजी से खुल रही हैं। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि देश में बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र की निर्माता कंपनियां सोलर उपकरणों का उत्पादन कर रही हैं और ये खुले बाजार के साथ ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध हैं। सोलर एनर्जी ने देश में रोजगार के नए अवसरों के अनेक द्वार खोल दिए हैं।

सुंदरवन के गांव विकास की मुख्यधारा से इतनी दूर और दुर्गम हैं कि यहां पॉवरग्रिड से बिजली पहुंचाना अत्यंत कठिन, दुष्कर और खर्चीला कार्य है। इसलिए कोलकाता के रामकृष्ण मिशन ने भारत सरकार और राज्य सरकार के अक्षय ऊर्जा मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से इन गांवों के घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया और तकनीकी व्यावहारिकता के कारण 'सोलर होम लाइट्स' प्रणाली को माध्यम के रूप में चुना। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रणाली की कुल कीमत (लगभग 14 हजार रुपये) का 40 प्रतिशत भारत सरकार से सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुआ, जबकि शेष भाग की व्यवस्था रामकृष्ण मिशन ने आसान ऋण के रूप में की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 300 सोलर प्रणालियां घरों में लगायी गईं। सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्लिनिक, प्रशिक्षण केंद्र और युवा क्लब में भी सौर बिजली की सुविधा प्रदान की गई। इस पहल के कारण पहली बार इन गांवों के लोगों के जीवन-स्तर में सार्थक सुधार देखा गया।

स्वच्छता, ऊर्जा और ग्रामीण विकास

हाल के वर्षों में ग्रामीण विकास के कार्यों में जैव-ऊर्जा यानी बायो-एनर्जी की भूमिका सशक्त और नए रूप में सामने आयी है। इसके दो रूप हैं, एक तो है परंपरागत बायोगैस उत्पादन और दूसरा कृषि आधारित बायोमास से गैसीफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा ईंधन गैस का उत्पादन। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का उत्पादन भारत सरकार का एक पुराना, प्रभावी और प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। शुरुआती दौर में बायोगैस का उत्पादन मुख्य रूप से पशुओं के गोबर से किया जाता था, जिस कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता था। बायोगैस का उपयोग मुख्य रूप से रसोई के ईंधन और रोशनी के लिए किया जाता था। तब से अब तक तकनीक में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिससे वर्तमान में पशुओं के गोबर के अलावा खेतों और बाग-बगीचों, उद्योगों और पोल्ट्री के व्यर्थ, शहरी ठोस कचरे और मानव मल से भी बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, जिसे एक उत्कृष्ट ईंधन के रूप में मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिक प्रक्रिया से व्यर्थ के उपचार के बाद बायोगैस के साथ तरल 'स्लरी' भी प्राप्त होती है, जो खेतों के लिए बढ़िया जैव उर्वरक है। इसके

उपयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरता भी टिकाऊ बनी रहती है।

वर्तमान में ग्रामीण विकास के उद्देश्य से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बायोगैस उत्पादन से संबंधित दो केंद्र-प्रायोजित योजनाएं चलायी जा रही हैं। पहली योजना 'नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम' के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत एक घनमीटर से 25 घनमीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। दूसरी योजना के अंतर्गत 30 घनमीटर से 2500 घन मीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले बायोगैस प्लांट मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। बायोगैस प्लांट की क्षमता के अनुसार इनसे तीन किलोवाट से 250 किलोवाट तक बिजली बनाई जा सकती है, जिसे अनेक उपयोग में ला सकते हैं। बायोगैस को अपनी ऊर्जा क्षमता के कारण डीज़ल इंजन में 80 प्रतिशत तक डीज़ल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि विशेष रूप से विकसित बायोगैस इंजन में 100 प्रतिशत बायोगैस का उपयोग किया जाता है। एक नवीन उपयोग के रूप में बायोगैस को 98 प्रतिशत तक मीथेन के रूप में परिष्कृत करके ईंधन गैस (एलपीजी) की तरह सिलेंडर में भर के उपयोग किया जा रहा है। इसे कम्प्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी कहा जाता है। इन नए उपयोगों के कारण बायोगैस की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए बायोगैस प्लांट के अनेक नए मॉडल तैयार किए गए हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बायोगैस प्लांट के चार बेसिक मॉडल और 10 डिजाइन को स्वीकृति प्रदान की है। बायोगैस के घरेलू और लघु स्तर पर उपयोग के लिए 0.5 घनमीटर से 1000 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस प्लांट तैयार किए गए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन या अन्य उद्योगों के लिए 15,000 घनमीटर से 20,000 घनमीटर तक की क्षमता वाले बायोगैस प्लांट उपलब्ध हैं। बायोगैस प्रसार के नए और पुराने कार्यक्रम को देखें तो अब तक 51 लाख से अधिक बायोगैस प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा चुके हैं। इनके प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्लांट के विभिन्न भागों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता में वृद्धि भी की गई है। अधिक (व्यावसायिक) क्षमता के बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल छोटे उद्योगों, डेयरी, पोल्ट्री आदि में ठंडा या गर्म करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार के 'थर्मल एप्लीकेशंस' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद बची हुई बायोगैस या बिजली को अन्य जरूरतमंदों को बेचकर अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है।

एक अध्ययन/आकलन के अनुसार बायोगैस प्लांट से कई प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे उपयोगकर्ता के जीवन और आजीविका की उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा पर होने वाले खर्च

सौर ऊर्जा से पेयजल

देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुलभ कराकर सौर ऊर्जा ग्रामीण विकास में अहम् योगदान कर रही है। राजस्थान की खारे पानी की प्रसिद्ध सांभर झील के आसपास के गांवों में पेयजल की विकट समस्या है। यहां पानी सीमा से अधिक खारा है, इसलिए लोग पीने के मीठे पानी के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। दूरदराज का इलाका होने के कारण यहां बिजली भी सुलभ नहीं थी। समस्या के समाधान के लिए एक स्थानीय सामाजिक संगठन 'मंथन संस्था' ने 'बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया की सहायता से कोटरी गांव में पहला सौर ऊर्जा संचालित आरओ प्लांट लगाया। इस प्लांट को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत एक संस्थान ने विशेष रूप से यहां के लिए बनाया था। यह प्लांट बड़ी कुशलता के साथ खारे पानी को मीठे पानी में बदलकर पीने योग्य बना देता है। आरओ प्लांट को निरंतर बिजली की आपूर्ति के लिए प्लांट की छत पर ही सोलर पीवी प्रणाली स्थापित की गई। इस प्लांट ने कॉलेज के कैंपस और गांव की पेयजल की जरूरत पूरी कर दी। इस सफलता से उत्साहित होकर अजमेर के तीन गांवों और जयपुर के दो गांवों में भी सौर ऊर्जा संचालित आरओ प्लांट लगाकर पीने के पानी की समस्या दूर की गई। आरओ प्लांट की देखभाल, रखरखाव और पानी व्यवस्था के संचालन के लिए गांव में 'पानी समिति' का गठन किया गया, और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा कम से कम एक सदस्य को आरओ प्लांट के तकनीकी संचालन के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। पानी समिति के निर्णय के अनुसार गांव के प्रत्येक परिवार ने पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एकमुश्त 500 रुपये जमा किए और मासिक शुल्क 20 रुपये तय किया गया, जिससे उन्हें हर रोज 20 लीटर पानी मिलता था। पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया, महिलाओं को पानी ढोकर लाने की मशक्कत से छुटकारा दिलाया, और ग्रामीण विकास में सफलता का एक नया आयाम जोड़ दिया। एक अन्य पहल में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए भूजल के दोहन हेतु सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की गई। एक सोलर पंप प्रतिदिन 20,000 लीटर पानी एकत्र करता है, जिसे टैंक में भंडारित करके घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का संचालन भी गांव में गठित 'पानी समिति' द्वारा किया जाता है।

की बचत, पर्यावरण में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी, परिवेश में स्वच्छता और रोगों के प्रकोप में कमी, स्तरी बेचने से आमदनी में वृद्धि, रोजगार के प्रत्यक्ष और परोक्ष अवसरों में वृद्धि। इन कारणों से बायोगैस प्लांट ग्रामीण विकास में अहम् भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। भारत सरकार ने बायोगैस उत्पादन को तकनीकी आधार देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में या इनके आसपास 'बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र' खोलने की पहल की है। यहां विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर बायोगैस टेक्नीशियन के रूप में तैयार किया जा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि बायोगैस उत्पादन की पूर्ण संभावना या क्षमता का इस्तेमाल कर ग्रामीण विकास को गति दी जाए। यदि देश में मौजूद 302 मिलियन से अधिक गाय-भैंसों की आबादी से केवल 75 प्रतिशत गोबर एकत्र किया जाए तो 33,000 मिलियन घनमीटर बायोगैस प्रतिवर्ष उत्पादित की जा सकती है। बायोगैस उत्पादन की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए संबंधित मंत्रालय व विभागों के अलावा राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग, खादी व ग्रामोद्योग आयोग और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर के अलावा कुछ अन्य जैविक पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनसे बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई, धान की भूसी, भूसा, कपास के डंटल, नारियल के छिलके, सोयाबीन की भूसी, तिलहनी फसलों की खली, कॉफी व्यर्थ, जूट व्यर्थ, मूंगफली के छिलके, लकड़ी का बुरादा और सूखी पत्तियों सहित अन्य कृषि व्यर्थ। इन व्यर्थों को सामूहिक और वैज्ञानिक रूप से 'बायोमास' कहा जाता है और इनसे ऊर्जा या बिजली उत्पादन के लिए एक व्यावहारिक व लाभकारी तकनीक उपलब्ध है। आमतौर पर 'गैसीफिकेशन' के नाम से लोकप्रिय इस तकनीक को केंद्रीय वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है, क्योंकि इस माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार देश में कृषि एवं वन व्यर्थ के रूप में बायोमास की प्रतिवर्ष उपलब्धता लगभग 120-150 मिलियन मीट्रिक टन है, जिससे 18,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव है। इसके अतिरिक्त, यदि देश की 550 चीनी मिलें गन्ने की खोई से बिजली बनाने लगे तो 7,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भारत सरकार के प्रयासों से अभी तक देश में बायोमास से बिजली उत्पादन की लगभग 900 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट से अधिक आंकी गई है। बायोमास से बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य अग्रणी हैं, जबकि चीनी मिलों में 'बगासे कोजनेशन' से बिजली उत्पादन करने में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आगे हैं।

बायोमास से बिजली उत्पादन देश के अनेक भागों में ग्रामीण विकास को गति दे रहा है। केंद्रीय हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार यानी चीड़ वृक्ष की सूखी पत्तियां (नीडल्स) अक्सर वन-अग्नि को बढ़ावा देने का काम करती हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है। इस समस्या के स्थायी, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल समाधान के लिए एक स्वैच्छिक संगठन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक 9 किलोवाट क्षमता का गैसीफायर संयंत्र लगाया, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए देवदार यानी चीड़ की पत्तियों का उपयोग बायोमास के रूप में किया गया। गैसीफायर में रासायनिक और तकनीकी प्रक्रिया के उपरांत प्रोड्यूसर गैस नामक ईंधन-गैस प्राप्त होती है, जिससे परिवर्तित डीजल इंजन के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। बिजली का उपयोग ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक कार्यों तथा घरों में रोशनी के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में उप-उत्पाद के रूप में चारकोल प्राप्त होता है, जिसे गांव के लोग खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस सफलता से उत्साहित होकर उत्तराखंड के कुछ अन्य गांवों में भी इस प्रकार के बायोमास गैसीफायर लगाए जा रहे हैं। बिहार के धान उगाने वाले क्षेत्र में लगभग 300 गांवों और बस्तियों के दो लाख से अधिक ग्रामीण धान की भूसी पर आधारित बायोमास गैसीफायर से उत्पादित बिजली से अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चावल मिलें मौजूद हैं, जिनके लिए धान की भूसी एक व्यर्थ के रूप में चिंता का कारण थी। एक व्यावसायिक कंपनी ने इस अवसर का लाभ उठाकर भूसी से गैसीफायर तकनीक द्वारा बिजली बनाने की तकनीक का स्थानीय दशाओं के अनुरूप मानकीकरण किया और ग्रामीणों के घरों तक बिजली पहुंचाने का एक 'व्यावसायिक मॉडल' विकसित किया। इसके अनुसार किसी गांव या बस्ती में बिजली पहुंचाने का काम तभी शुरू किया गया, जब कम से कम 250 परिवार इसके इच्छुक थे। प्रत्येक परिवार से 100 रुपये जमा शुल्क के रूप में लिए गए और 15 वॉट की प्रति सीएफएल लाइट के लिए 45 रुपये प्रति माह का निश्चित शुल्क तय किया गया। दुकानों और अन्य व्यवसायों के लिए यह दर 80 रुपये निर्धारित की गई। पंखा, टीवी या अन्य उपकरणों के लिए उनकी बिजली खपत के आधार पर शुल्क तय किया गया। गांव वालों के लिए यह बिजली वरदान स्वरूप थी, क्योंकि इसने उनके जीवन को खुशहाल बनाया, जीवन-स्तर में सुधार किया और संपन्नता की ओर अग्रसर होने के अवसर भी प्रदान किए। व्यवसायियों को भी बिजली की निश्चित आपूर्ति से प्रगति के अवसर मिले। साथ ही कंपनी को भी आकर्षक मुनाफा मिला। इस पहल ने गांव के स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए।

नई आशाएं, नई दिशाएं

अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोत ग्रामीण विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने को तैयार हैं। देश भर में व्याप्त सफलता की



कहानियां बताती हैं कि यदि उपयुक्त नीति और व्यावसायिक दृष्टि के साथ अक्षय ऊर्जा की परियोजनाएं लागू की जाएं तो यह सभी संबंधितों के लिए लाभकारी होता है। ग्रामीण विकास में अक्षय ऊर्जा की ऊंची छलांग के लिए एक बहुसूत्री नीति अपनाना आवश्यक है। भारत जैसे विशाल और विभिन्न भौगोलिक तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाले देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और प्रसार के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाना अक्सर प्रभावकारी नहीं हो पाता। राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में राज्यों की भागीदारी और स्थान विशेष के अनुरूप कुछ बदलाव करने की स्वतंत्रता से नीतियां अधिक कुशल और प्रभावी बन सकती हैं। अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं में वित्त का प्रबंध करना अभी भी चुनौती है। कुछ गिन-चुने व्यावसायिक समूह ही इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी ऋण का प्रबंध चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं पर अत्यंत सीमित निवेश/खर्च किया जा रहा है। इसलिए आवश्यक यह है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं और व्यावसायिक कंपनियां आपस में मिलकर अक्षय ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की राह को आसान बनाएं। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास संस्थाओं से भी सहायता ली जा सकती है। भारत में अक्षय ऊर्जा की अभी तक की विकास यात्रा से यह भी संकेत मिला है कि अक्षय ऊर्जा से जुड़े उपकरणों/यंत्रों/युक्तियों के व्यावसायिक उत्पादन में संलग्न निजी कंपनियों से सरकार के तालमेल को अधिक बेहतर बनाने

की आवश्यकता है। नियमों, निर्देशों और आवश्यक स्वीकृतियों की अधिकता से कई बार निर्माता कंपनियां इस सेक्टर में प्रवेश करने से विमुख हो जाती हैं। जबकि आवश्यक यह है कि सरकार की वित्त सहायता की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करके अधिक से अधिक निर्माता कंपनियों और उपयोगकर्ताओं को अक्षय ऊर्जा के प्रसार से जोड़ा जाए। विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा की संभावनाओं, ऊर्जा की आवश्यकता आदि से संबंधित प्रामाणिक आंकड़ों की कमी है, जिससे उपयुक्त नीतियां बनाने में कठिनाई होती है। इस ओर ज़मीनी-स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। देश के ग्रामीण विकास में अक्षय ऊर्जा की भूमिका को अधिक सशक्त करके गांव-गांव खुशहाली का सपना साकार किया जा सकता है।

खेतों में काम करती सौर ऊर्जा

कृषि क्षेत्र को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से विकसित तथा अधिक लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सही समय पर फसलों की सिंचाई करना प्रत्येक किसान की प्राथमिकता और फसल की आवश्यकता होती है। आधुनिक दौर में अधिकांश किसान कुएं, नहर, नदी आदि जल स्रोतों से पानी खींचने के लिए बिजली या डीजल से चलने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं। परंतु समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। डीजल का उपयोग स्वच्छ ग्रामीण वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है और इसकी कीमतों में भी अक्सर उछाल

फसल सुखाने में किसानों की मदद

अनेक ताजी कटी फसलों को भंडारण या बाजार में भेजने से पहले सुखाना पड़ता है, क्योंकि उनमें मौजूद नमी उपज को खराब कर सकती है। आमतौर पर किसान भाई उपज को धूप में सुखाते हैं, परंतु इसमें समय अधिक लगता है और उपज में गंदगी मिलने की संभावना भी होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने 'सोलर ड्रायर' की तकनीक और उपकरण तैयार किए हैं। इसमें धूप की गर्माहट को 'कलेक्टर्स' या 'कंसंट्रेटर्स' की मदद से किसी एक स्थान पर संकेंद्रित करते हैं, जिससे वहां की हवा गर्म हो जाती है। यही गर्म हवा उपज को सुखाने का काम करती है। सोलर ड्रायर दो प्रकार के होते हैं। पहले, 'इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर' में एक ही कैबिनेट या यूनिट में हवा गर्म होती है और उसी में उपज को सुखाया भी जाता है। कैबिनेट ड्रायर, रैक ड्रायर, टनेल ड्रायर, ग्रीनहाउस ड्रायर और मल्टीरैक ड्रायर इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी प्रकार के 'डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर' में सौर ऊर्जा से हवा गर्म करने की यूनिट और उपज या अन्य उत्पाद सुखाने की यूनिट अलग-अलग होती है। गर्म हवा को ब्लोअर्स की सहायता से उत्पाद या उपज पर प्रवाहित किया जाता है, जिससे सुखाई की क्रिया तेज़ हो जाती है। इनका इस्तेमाल कृषि उपज के अलावा कुछ उद्योगों में भी होता है। सोलर ड्रायर की तकनीक कृषि उपज या उत्पाद को सफाई के साथ और पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुखाती है। इसके रखरखाव का खर्च बहुत मामूली है और सोलर ड्रायर आमतौर पर 15 से 20 वर्ष तक कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। लगभग 50 किलोग्राम क्षमता तक के सोलर ड्रायर की कीमत 30 से 50 हजार रुपये तक हो सकती है और इसके लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध है। सोलर ड्रायर के इस्तेमाल से किसान को उपज की अच्छी कीमत मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अलग-अलग फसलों के लिए विशिष्ट डिज़ाइन वाले सोलर ड्रायर विकसित किए हैं। अंगूर, मिर्च, अंजीर और प्याज सुखाने के लिए सोलर ड्रायर के अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं। मछुआरों की मछली सुखाने की समस्या को देखते हुए मछली सुखाने के लिए सोलर ड्रायर के विशेष मॉडल तैयार किए गए हैं।

आता रहता है, जिससे कृषि लागत में वृद्धि हो जाती है। अक्षय ऊर्जा से इस समस्या के समाधान के लिए 'सोलर पंप' की तकनीक विकसित की गई और इसका व्यवसायीकरण तथा प्रसार किया गया। सोलर पंप की कार्यप्रणाली बिजली के पंप जैसी ही होती है, परंतु इसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा से बनी बिजली का उपयोग किया जाता है। सौर बिजली के उत्पादन के लिए सोलर पैनल या कहे सोलर पीवी मॉड्यूल्स लगे होते हैं, जो धूप में बिजली उत्पादन का काम करते हैं। आमतौर पर किसान भाई सोलर पंप चलाकर पानी को किसी टैंक या कुंड में इकट्ठा कर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से पानी का सिंचाई या पशुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कृषि कार्यों के लिए सामान्यतया 0.5 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर शक्ति तक के सोलर पंप लगाए जाते हैं। आमतौर पर दो हॉर्स पावर के सोलर पंप से दो एकड़ खेत की सिंचाई की जा सकती है, जबकि 10 एकड़ की सिंचाई के लिए 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। सोलर पंप के इस्तेमाल के कई लाभ हैं, जैसे बिजली या डीज़ल के खर्च की सीधी बचत, बिजली से जुड़ी हर समस्या का निदान, वायु प्रदूषण में कमी, रखरखाव का बहुत मामूली खर्च और लगाने तथा उपयोग करने में आसानी। इन लाभों के कारण सोलर पंप की मांग और लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। शुद्ध ग्रामीण विकास के नज़रिए से देखें तो सोलर पंप की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसने दूरदराज के इलाकों, दुर्गम क्षेत्रों और कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर उनकी आमदनी बढ़ाई है। परंतु सोलर पंप के साथ एक छोटी-सी सीमा थी, घने कोहरे या बादल घिरे रहने पर

इनसे बिजली उत्पादन संभव नहीं था। इसलिए जल्दी ही 'सोलर विंड हाइब्रिड पंप' बनाने की तकनीक विकसित की गई। इसमें सोलर पैनल के साथ 'विंड टर्बाइन' भी लगी होती है, जो खंभे पर लगे ब्लेड्स यानी पंखों के घूमने से बिजली बनाती है। यानी इस पंप में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का मेल होता है, दोनों एक-दूसरे के पूरक बनकर कार्य करते हैं। इससे किसानों को लगभग प्रतिदिन पंप चलाने के लिए बिजली मिलती रहती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनेक क्षेत्रों में 'सोलर-विंड हाइब्रिड पंप' के प्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सौर ऊर्जा की खेती

सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लक्ष्य में सौर ऊर्जा एक बड़ी मददगार बनकर उभरी है। इसके लिए भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान' यानी पीएम-कुसुम नाम से एक अभिनव योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत एक ओर तो सोलर पंप लगाने का महाअभियान संचालित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर किसानों को उनके बंजर खेतों या खाली ज़मीन में सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन दोनों ही मामलों में किसान भाई सौर बिजली को पॉवरग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए किसानों को केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किसानों के बैंक खातों में देय होगी।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ई-मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल

—पंखुडी दत्त

भारत की ज़्यादातर आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। स्वास्थ्य देखभाल का कार्य लोकहित का कार्य है जो देश की आर्थिक प्रगति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अगले 20–30 वर्षों में जब हम अपनी विशाल जनसंख्या का फायदा उठा रहे होंगे तो उसके साथ-साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश भर में लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं समय पर प्राप्त हो सकें।

औपनिवेशिक काल में भारत में जन-स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रयास, यहां रहने वाले ब्रिटिश लोगों और उनके अधीन कार्य करने वाले भारतीयों तक सीमित थे। परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद के दौर में भारत में मलेरिया, प्लेग, चेचक और हैजे जैसी बीमारियों का प्रकोप फैलना बड़ी आम बात थी। भारतीयों को बहुत ही सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थीं। इतना ही नहीं, उन्हें चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने और मुख्यधारा के डॉक्टरों के रूप में सेवा करने से भी दूर रखा जाता था। भारत की आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारम्परिक चिकित्सा प्रणालियों के वैद्यों और हकीमों की बेहद लंबे अरसे तक उपेक्षा की जाती रही और उन्हें धन की कमी से भी नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, वैद्यों और हकीमों को पश्चिमी चिकित्सकों की तुलना में हमेशा घटिया साबित करने की कोशिश की जाती थी। परिणामस्वरूप समय के साथ-साथ इन चिकित्सा पद्धतियों का व्यावहारिक महत्व भी घटता चला गया।

1930 के दशक में भारत की स्वतंत्रता के विचार के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य को लेकर सरोकार व्यक्त किए जाने लगे। औपनिवेशिक शासन में भारत में जन-स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा और पहली बार भारत के लोगों ने कल्याण और जन-स्वास्थ्य के कार्य में सरकार की भूमिका पर चर्चा करना शुरू किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रांतों को और अधिक अधिकार मिले और चिकित्सा देखभाल तथा बीमारियों की रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य

सेवाएं राज्यों का विषय बनीं। लेकिन एक बार फिर धन की कमी और क्षमता के अभाव से वास्तविक अमल पर असर पड़ा। वर्षों के प्रयासों और सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों के बावजूद 1983 में भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में यह बात स्वीकार की गई कि पश्चिमी पद्धतियों पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के प्रयासों का फायदा उच्च वर्ग के लोगों को ही मिल पाया है और शहरों के गरीब लोग या ग्रामीण भारत के लोग इसके लाभों से वंचित रह गए हैं। स्वास्थ्य नीति में विकेंद्रित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र को सहभागिता के लिए आमंत्रित करने की सिफारिश की गई। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता बढ़ती ही चली गई और महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों में मृत्युदर का स्तर ऊंचा बना रहा। व्यावहारिक प्रमाणों से भी यही संकेत मिलता है कि मामूली सामाजिक-आर्थिक हालात, शिक्षा का निम्न स्तर, मीडिया तक सीमित पहुंच और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे कारणों से भारत में बीमारियों से होने वाली मौत के आंकड़ों को कम करके बताया जाता रहा (घोष और अरोकियास्वामी, 2009)।

इस पृष्ठभूमि में 2005 में गंभीर विचार-विमर्श और चिंतन के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया। यों तो स्वास्थ्य देखभाल राज्यों की ज़िम्मेदारी है और केंद्र सरकार इसमें सिर्फ मददगार की भूमिका निभा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार



अपने प्रायोजित कार्यक्रमों से राष्ट्रीय-स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू कर सकती है। जिस समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई, लगभग उसी वक्त सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की भी घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने इस अवसर का फायदा उठाकर राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए और राष्ट्रीय-स्तर पर सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में मदद देने को कहा गया। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के परिणामों में असमानताएं कम करने में राज्यों से मदद मांगी गई (बर्मन और आहूजा 2008)। सभी स्तरों पर वित्तीय प्रबंधन ढांचे और लेखांकन प्रणाली को मजबूत करने को भी कहा गया (एनएएचसी 2013)। यह निचले स्तर से ऊपर को बढ़ने वाला तरीका था जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी और उसका केंद्रबिंदु गांवों से लेकर जिला-स्तर को बनाया गया। इसके पीछे जो सिद्धांत कार्य कर रहा था, वह यह था कि राज्यों का पर्याप्त और लचीले तरीके से वित्तपोषण किया जाए और उन्हें ग्रामीण भारत के लिए निर्धारित साझा लक्ष्यों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अपनी पहल पर स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने की अनुमति दी जाए। इसके पीछे जो सोच काम कर रही थी, वह सामुदायीकरण की थी। यानी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी, धनराशि और कार्यकर्ता स्थानीय सामुदायिक संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाएं; ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता और प्रबंधन में सुधार किया जाए; स्वास्थ्य के मानकों पर राज्यों की प्रगति की निगरानी की जाए; और स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश जैसे सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों (जिन्हें सशक्तीकृत कार्यसमूह राज्य कहा जाता है), उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को कार्यक्रम का केंद्रबिंदु बनाया गया। 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की छत्रछाया के तहत एक उप-मिशन का रूप दिया गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन नाम का एक और उप-मिशन भी गठित किया गया।


ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल का दायरा और पहुंच
ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों की त्रि-स्तरीय प्रणाली के जरिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं: उप-केंद्र (एस.सी.), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एस.सी.)। उपकेंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के अंतर्गत जन-समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से बीच संपर्क की पहली कड़ी कहे जा सकते हैं जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच संपर्क की पहली कड़ी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शल्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों, चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों के माध्यम से विशेषज्ञतापूर्ण इलाज की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

देश में पर्याप्त सुविधाओं से युक्त स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाकर जनसंख्या के और अधिक हिस्से को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाया गया है। 2005 और 2019 के बीच स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या में 7.8 प्रतिशत की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में 7 प्रतिशत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में 59.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। 30 मार्च, 2019 को ग्रामीण क्षेत्रों में एक उपकेंद्र औसतन 5,616 जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे थे जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन 35,567 लोगों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1,65,702 लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से बिहार में प्रत्येक उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दायरे में सबसे अधिक जनसंख्या आती है।

स्वास्थ्यकर्मियों तक पहुंच दूसरी बड़ी चुनौती थी जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए निपटा गया। 30 मार्च, 2019 को न्यून प्रदर्शन वाले 9 राज्यों में चार से अधिक डॉक्टरों वाले 700 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहे थे। इनमें से 15 राज्यों में 590 केंद्र ऐसे थे जिनमें कम से कम 3 डॉक्टर उपलब्ध थे और सभी राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम से कम दो डॉक्टर थे। ऐसे सभी राज्यों के 5,516 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक लेडी डॉक्टर भी काम कर रही थी। लेकिन अब भी ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें बिना डॉक्टर वाले (जैसे छत्तीसगढ़), या बिना तकनीशियन वाले (जैसे राजस्थान) या बिना फार्मासिस्ट वाले (जैसे उत्तर प्रदेश) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब भी मौजूद हैं।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) सबसे निचले स्तर के वे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिन्हें गांव की सेवा के लिए गांव से ही चुना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कई कार्यक्रमों की सफलता आशा कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के ऊपर निर्भर है। ये ग्रामीण समुदाय की शिक्षित महिलाएं हैं जिन्हें कई तरह

प्रत्येक उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली औसत ग्रामीण आबादी



स्रोत : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन




के प्रशिक्षणों और विकास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि वे ग्रामीण समाज की बेहतर सेवा कर सकें। वे स्वास्थ्य और आरोग्य के बुनियादी तौर-तरीकों के बारे में जानकारी देती हैं, महिलाओं को बच्चे के पैदा होने और इससे संबंधित मुद्दों पर सलाह देती हैं और बुनियादी स्वास्थ्य किट के लिए पहले भंडार गृह का कार्य करते हैं। 30 मार्च, 2019 को देश भर में 9.29 लाख आशा कार्यकर्ता काम कर रहे थे जो कि इन कार्यकर्ताओं की वांछित संख्या से 34,175 अधिक है। लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं की वांछित संख्या और वास्तव में उपलब्ध आशा कार्यकर्ताओं की संख्या में मामूली अंतर है।

ग्रामीण स्वास्थ्य के कुछ कार्यक्रम

जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव कराने के लिए महिलाओं को औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का इस्तेमाल करने को प्रेरित करने वाला नकद प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं, खासतौर पर ग्रामीण भारत की महिलाओं में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस कार्यक्रम के लिए जिन राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है (जिन्हें निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य कहा जाता है) उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। अन्य सभी राज्यों को उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य कहा जाता है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों की ऐसी सभी गर्भवती महिलाएं जो स्वास्थ्य उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराना चाहती हैं, वे इसका लाभ उठाने की पात्र हैं। उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में गरीबी-रेखा से नीचे/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सभी महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। न्यून प्रदर्शन वाले राज्यों के ग्रामीण इलाकों में नकद प्रोत्साहन राशि 1400 रुपये और उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में 700 रुपये है। इसके अलावा, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से 600 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ 2011 में किया गया था। इसका उद्देश्य संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल के लिए आने पर गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराना था। इस तरह के इलाज में होने वाले भारी खर्च की वजह से महिलाएं प्रसव के बाद या नवजात शिशु की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए औपचारिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने से झिझकती थीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें सामान्य प्रसव होने पर तीन दिन तक और आपरेशन से प्रसव होने पर 7 दिन तक आहार, नैदानिक सेवाएं, दवाएं, रक्त और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मी (मार्च 2019)



स्रोत : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) इसी तरह का एक कार्यक्रम है जिसे 2016 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में पहुंची महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में हर महीने की 9 तारीख को प्रसव-पूर्व देखभाल की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें निजी क्षेत्र के सहयोग से अभियान के बारे में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। अभियान के अंतर्गत गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में चल रही महिलाओं को प्रसव-पूर्व सेवाओं का न्यूनतम पैकेज उपलब्ध कराया जाता है जिसमें सरकारी अस्पतालों में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के स्वैच्छिक सहयोग से प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ/रेडियोलॉजिस्ट/चिकित्सा विशेषज्ञ की मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस अभियान के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान हर गर्भवती महिला जोखिमों से मुक्त रहे।

जननी सुरक्षा योजना और अन्य कार्यक्रमों के तहत किए गए प्रयासों से देश में संस्थागत प्रसवों की संख्या बढ़ी है और 2005 के 38.7 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 78.9 प्रतिशत हो गई है। लेकिन मातृ और नवजात शिशु मृत्युदर पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य या प्रसूति गृह गुणवत्ता सुधार पहल कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में की गई। इसका उद्देश्य प्रसूति गृह और गर्भवती महिलाओं के आपरेशन थियेटरों की प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ करना था ताकि कम से कम समय में निर्धारित लक्ष्य और नतीजे प्राप्त किए जा सकें।

विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसस.एन.सी.यू.) की स्थापना ऐसे जिला और उप-जिला-स्तर के अस्पतालों में की गई जहां साल में 3000 से अधिक शिशु जन्म लेते हैं। इसका उद्देश्य बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल करना है जिन्हें कृत्रिम श्वास या किसी बड़ी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर इस पहल के माध्यम से प्रसव गृह या आपरेशन थियेटर में ही नवजात शिशुओं की देखभाल की विशेष सुविधा

उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा, विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास भेजे गए नवजात शिशुओं के लिए कृत्रिम श्वसन, आक्सीजन देने, गर्म रखने जैसी चिकित्सा सुविधाएं प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों के माध्यम से दी जाती हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य देश के किशोर-किशोरियां हैं जो भारत की कुल आबादी का 22 प्रतिशत हैं। इस समूह में निवेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किशोर-किशोरियों का समुचित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास हो और उन्हें अपनी उम्र के अनुरूप, आवश्यक मनो-सामाजिक, व्यवहार संबंधी और यौन शिक्षा प्राप्त हो। इसका यह भी उद्देश्य है कि किशोर-किशोरियों को उनकी जरूरतों के अनुरूप पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करायी जाएं और चोट लगने, हिंसा, मादक पदार्थों की लत और गैर-संचारी रोगों से उनका बचाव किया जा सके।

इसी तरह, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चार जन्मजात कमियों के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जांच करता है। ये हैं-जन्म के समय हुए विकार, बीमारियां, कमियां, शारीरिक विकास अवरुद्ध होना और विकलांगता। इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल मृत्युदर में कमी लाने के साथ-साथ समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी लाने में भी मदद मिली है। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य हैं: बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी दर्जे का आकलन करना, जन्मजात विकारों, बीमारियों, पोषण की कमी और विकलांगता आदि का शुरु में ही पता लगाना, समस्याग्रस्त बच्चों के माता-पिता की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक-स्तर पर प्रबंधन, विशेषज्ञ सलाह की कारगर प्रणाली, समुचित और संपूर्ण फॉलोअप, माता-पिता और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा संबंधित विभागों (शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, महिला और बाल विकास और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता) के साथ तालमेल कायम करना।

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के तहत परिवार कल्याण संबंधी पहल भी शामिल है जिसके जरिए परिवार नियोजन प्रबंधन सेवाएं, शिक्षा और गर्भनिरोधकों के उपयोग, माहवारी संबंधी स्वच्छता कार्यक्रम, नसबंदी सेवाएं और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान शामिल हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने टीका एक्सप्रेस जैसी पहल की हैं। इसमें दूरदराज इलाकों, में चलती-फिरती वैन के जरिए टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, टीकों को रखने के लिए शीतभंडारों की शृंखला का निर्माण और उनका सुरक्षित तरीके से संचालन किया जाता है, सामान्य टीके लगाए जाते हैं और क्षेत्रीय स्वयंसेवकों और चिकित्साकर्मियों समेत अन्य लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

भारत के 514 जिलों में 6-59 महीने उम्र के 40 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसी तरह 139 जिलों में प्रजनन सक्षम उम्र की 40 प्रतिशत से

अधिक महिलाएं भी खून की कमी से पीड़ित हैं जबकि 65 जिलों में 15 से 49 उम्र वर्ग की गर्भवती महिलाओं में भी रक्ताल्पता पाई गई है। एनीमिया-मुक्त भारत अभियान में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों, स्कूली शिक्षा की उम्र के बच्चों, किशोर-किशोरियों, प्रजनन सक्षम उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, तथा शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को रक्ताल्पता की समस्या से छुटकारा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें छह उपाय किए गए हैं-फोलिक एसिड वाले पौष्टिक आहार की व्यवस्था, पेट के कृमियों से मुक्ति, पूरे साल व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान का संचालन, लिखित संदेशों के जरिए लोगों को जागरूक बनाना, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में फोलिक एसिड और पोषक तत्वों से भरपूर आहार के लिए जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रावधान करना और मलेरिया और फाइलेरिया (फीलपांव) की प्रबल आशंका वाले इलाकों में पौष्टिक आहार से इतर कारणों से खून की कमी की समस्या के समाधान करना शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को सुदृढ़ करने, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की संचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने, धन का प्रवाह बढ़ाने और जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने को समर्पित है।

शहरी इलाकों के गरीब लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का विस्तार किया जाना एक उचित कदम था क्योंकि शहरों के गरीब अल्पपोषित तो थे ही, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित होने के बावजूद इसमें ऐसी कई कमियां थीं जिन्हें दूर करना आवश्यक था। सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का फायदा प्रभावी तरीके से ग्रामीण समुदाय तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्साकर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, जल्दी-जल्दी नए कार्यक्रम शुरू करने के बजाय, मौजूदा कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र और बजट का विस्तार किया जा सकता है। इससे निधियों के बेहतर आबंटन और कर्मचारियों के बेहतर प्रबंधन के अवसर उत्पन्न होते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को अनुकूलतम मेहनताना दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। सेवाएं प्रदान करने और प्रबंधन सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

भारत की ज्यादातर आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। स्वास्थ्य देखभाल का कार्य लोकहित का कार्य है जो देश की आर्थिक प्रगति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अगले 20-30 वर्षों में जब हम अपनी विशाल जनसंख्या का फायदा उठा रहे होंगे तो उसके साथ-साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश भर में लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं समय पर प्राप्त हो सकें।

(लेखिका नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं।)

ई-मेल : pankhuri.dutt@nic.in

पंचायत योजना के माध्यम से नए भारत का निर्माण

-डॉ. के.के. त्रिपाठी

अभी हाल की कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण समुदाय और सामुदायिक स्व-सरकार की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों को जीवंत बनाने की है। यह योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है क्योंकि 2022 तक नए भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति बनाए रखना आवश्यक है। प्रस्तुत लेख के जरिए कुछ सार्वजनिक ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है एवं संकल्पित नवीन भारत के ग्रामीण जनों के जीवन-स्तर में पंचायत एवं उनके नियोजन की भूमिका की संभावनाओं को तलाशा गया है।

नीति आयोग के दस्तावेज "नया भारत@75 हेतु रणनीति" द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, बुनियादी ढांचे एवं उसके प्रभावी व कुशल प्रबंधन में विकास के माध्यम से एक जीवंत व नए भारत के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसका उद्देश्य अधिकतम नागरिक कल्याण के साथ-साथ 2022-23 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। हमें विदित है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है इसलिए सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विकास का लाभ समुदाय-स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। इस पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु सरकार की विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता की महती आवश्यकता है।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र द्वारा जिन विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जाता है, उन्हें रेखांकित किया गया है, विशेष रूप से संयोजन (कनेक्टिविटी), ग्रामीण एवं कृषि वित्त, पर्याप्त बीमा की पहुंच, सिंचाई सुविधा, उत्पादों की बाजार तक पहुंच, औद्योगिक निर्माण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, आपूर्ति शृंखला और कृषि-रसद, आदि। यह समग्र विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कृषि एवं ग्रामीण विकास के महत्व को रेखांकित करता है क्योंकि कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों का 2019-20 में मौजूदा कीमतों पर देश के सकल मूल्यवर्धन में 16.5 प्रतिशत का योगदान रहा है।

किसी भी विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता

में सुधार और मानव विकास को सुनिश्चित करना है। इस हेतु पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता अति आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने एक सुनियोजित विकास का दृष्टिकोण अपनाया है। इस रणनीति के मिश्रित परिणाम देखने को मिले। विभिन्न प्रकार के मूल आर्थिक घटकों के प्रभावी प्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हुई है। हालांकि, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता एवं आय, धन और अवसरों के असमान वितरण में असंतुलन ने भारत को मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई) के निचले स्तर पर ला खड़ा किया है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार 189 देशों में से भारत का 129वां स्थान है।

अभी हाल की कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण समुदाय और सामुदायिक स्व-सरकार की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों को जीवंत बनाने की है। यह योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है क्योंकि सरकार के जरिए 2022 तक नए भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के विकास की गति बनाए रखना आवश्यक है। प्रस्तुत लेख के जरिए कुछ सार्वजनिक ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है एवं संकल्पित नवीन भारत की ग्रामीण जनों के जीवन-स्तर में पंचायत एवं उनके नियोजन की भूमिका की संभावनाओं की तलाश करना है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना : स्थिति की समीक्षा

आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) को विकास के इंजन के रूप में माना जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति हेतु एक



बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। सड़कों, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और दूरसंचार जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, निवेश को बढ़ावा देते हैं, भावी उद्यमियों को आकर्षित करते हैं और प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों पर अगली व पिछली कड़ी के सकारात्मक प्रभावों द्वारा गरीबी और बेरोज़गारी की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देते हैं। इसी प्रकार, पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे से लाखों ग्रामीण-जनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।

देश के आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने देश में मौजूदा बुनियादी ढांचे के अंतर को भरने के लिए योजनाबद्ध और समन्वित रणनीति तैयार की है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर कई योजनाओं की शुरुआत की है। मिशनरी ढंग के साथ विभिन्न बुनियादी ढांचा संबंधी विकास की परियोजनाओं के तत्काल क्रियान्वयन के लिए सक्रिय और पारदर्शी, सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी की तलाश पर जोर दिया गया है।

सरकारी सहयोग प्राप्त करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सिंचाई, सड़क, पानी की आपूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल हैं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न केवल मौजूदा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढीकरण के द्वारा, बल्कि पारदर्शी तरीके से अतिरिक्त ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करके एक नया आकार देने का प्रयोजन रखते हैं। हालांकि, ये योजनाबद्ध तरीके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के नियोजन और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं जैसी ज़मीनी-स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

अब हम कुछ मूलभूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे की पहलों/प्रयासों के बारे में चर्चा करते हैं जिनके लिए उनके समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है।

सभी के लिए आवास : 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण को लागू किया गया है। मार्च 2022 तक बुनियादी सुविधाओं सहित 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। अप्रैल 2016 और सितंबर 2020 के बीच स्वीकृत 1.65 करोड़ घरों में से लगभग 1.15 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है। अपवर्जित घरों की पहचान और उन्हें शामिल कर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ घरों को समय-सीमा में पूरा करने के लिए पंचायत अधिकारियों द्वारा निर्माण गतिविधियों की सक्रिय और समय पर निगरानी की आवश्यकता होती है।

ग्रामीण संपर्क : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) मूल रूप से वर्ष 2000 में सभी मौसमों हेतु उपयुक्त ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी (संयोजन) प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। इसके बाद नवीन अंतःक्षेप अर्थात् पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन (अपग्रेड) करने और विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं को आवासों से जोड़ने के लिए समर्पित थे। पीएमजीएसवाई के तहत अब तक 6.31 लाख

किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है जिसमें 2.31 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। पीएमजीएसवाई द्वारा जारी परियोजनाओं की सफल पूर्णता हेतु सक्रिय जन भागीदारी एक महती आवश्यकता है। इसके द्वारा विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं, बाज़ार और रोज़गार के अनेक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण जनों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

ग्रामीण परियोजना : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ग्रामीण मजदूरी रोज़गार कार्यक्रम है। ग्रामीण मजदूरी सुनिश्चित करने के अलावा, यह कार्यक्रम विभिन्न ग्रामीण बुनियादी ढांचों के निष्पादन की अनुमति देता है। ग्रामीण स्वच्छता, खेल मैदानों का निर्माण, ग्रामीण सड़क संपर्क, गांवों के भीतर पक्की आंतरिक सड़कों या गलियों सहित सड़कों का निर्माण, महिला स्वयंसहायता समूहों के महासंघों, चक्रवात आश्रयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम हाट और गांव या ब्लॉक-स्तर पर श्मशान, अनाज गोदामों का निर्माण आदि कार्य इसके अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं। मनरेगा के तहत 1.57 लाख करोड़ के खर्च द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना के 1.75 लाख कार्य पूरे किए गए हैं। कार्य निष्पादन के दौरान उचित श्रम कार्ययोजना और कार्यों का उचित समन्वय सुनिश्चित करना आज के समय की महती आवश्यकता है एवं इस हेतु पंचायतों की सक्रिय भागीदारी अत्यावश्यक है।

सिंचाई : सिंचाई कृषि के महत्वपूर्ण आदानों (इनपुट) में से एक है एवं विगत वर्षों में इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की गिरावट का अनुभव किया गया है। बड़ी संख्या में सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं और इन परियोजनाओं में पहले से किए गए निवेश को अब "डूबते निवेश" के रूप में माना जाता है। एक आंकलन के मुताबिक 2016-17 के दौरान देश में 99 प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं। इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु प्रभावी और पर्याप्त संसाधनों का आवंटन होना आवश्यक है। इसके अलावा, 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार, खेती हेतु अनुप्रयोगित जल की दक्षता में सुधार एवं टिकाऊ जल-संरक्षण विधियों की शुरुआत करना था। इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने हेतु इसके नियोजन से शुरु होकर उनके अनुमोदन और कार्यान्वयन तक के चरणों में सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण बैंकिंग सेवा : प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को देश भर में बैंकिंग पैठ बढ़ाने एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसी भी न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता के बिना एक बचत खाता खोला जाता है। सितंबर 2020 तक देशभर में इस योजना के तहत कुल 40.63 करोड़ खाते खोले गए जिनमें कुल जमा राशि 1,29,811 करोड़ रुपये है। कुल 40.63 करोड़ खातों में से 26.66 करोड़ (65.61 प्रतिशत) खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए।

विद्युतीकरण : किसी भी देश के सतत आर्थिक विकास में बिजली का बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में

आम लोगों तक बिजली की पहुंच चिंता का विषय रही है क्योंकि इस क्षेत्र में क्षमता की वृद्धि लक्ष्य से कम रही है। विभिन्न राज्यों में बिजली क्षेत्र के निजीकरण ने बिजली उत्पादन, वितरण और प्रसारण क्षमता बढ़ाने में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं। भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एकीकृत बिजली विकास योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य और उदय के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती गांवों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति एवं खेतों हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण दूरसंचार : भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है। देश में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, परिणामस्वरूप सस्ती कीमत पर गुणवत्तायुक्त सेवाओं की सुनिश्चितता हुई है। दूरसंचार विभाग के सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) द्वारा ग्रामीण एवं दूरसंचार के क्षेत्रों में मोबाइल सेवा एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्षमता हासिल हुई है। संचार क्रांति से ग्रामीण लोगों को अपने जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में काफी मदद मिल सकती है।

अन्य पहल : श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, बुनियादी और डिजिटल सुविधाएं प्रदान करके चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को जीवंत बनाना है। इसके तहत देश भर में 300 रूबन समूह विकसित किए जा रहे हैं। इसमें डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रों में नवाचार कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)- महिला स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) को सहयोग प्रदान किया है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय लेनदेन में बैंकों और सार्वजनिक सेवा केंद्रों के व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में सेवाएं दे रहे थे।

विकेंद्रीकृत योजना और जीवन की गुणवत्ता : 'न्यू इंडिया@75' जीवन-स्तर के उच्च मानकों की स्थापना पर जोर देता है एवं सभी के लिए समुचित विकास के अवसरों हेतु आह्वान करता है। देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमारी विकास नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय, सामाजिक व आर्थिक विषमता समाप्त हो जाए; गरीब एवं सीमांत लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनें, और सभी विकास प्रक्रिया सहभागिता एवं सम्मिलन के साथ पूर्ण हो। विकास अंतःक्षेप एवं नागरिकों की जीवन गुणवत्ता के महत्व को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, आर्थिक कल्याण हेतु भारत सरकार की रणनीति 'तेज, समावेशी और सतत विकास' की ओर लक्षित है। यह तभी संभव है जब लोग, योजना और पंचायत एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाएं।

विकेंद्रीकृत विकास योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय मुद्दों की पहचान कर उनका समय पर समाधान, लोगों की समझ का विस्तार एवं उनकी भलाई करना है। बहु-क्षेत्रीय विकास की योजनाओं (20-25 वर्षीय दीर्घकालिक, अल्पकालिक एकीकृत योजना एवं परियोजना/विशिष्ट योजना आदि) को तैयार करने और लागू करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी के पीछे मूल विचार ग्रामीण क्षेत्रों

में लोगों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ लोकतंत्र को मजबूत करना व सेवा वितरण दक्षता को बढ़ावा देना है।

पंचायत-निजी भागीदारी : नया भारत निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी के लिए उचित लाभ और विभिन्न बुनियादी ढांचे मिशन के पूर्ण निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में उचित क्रियान्वयन और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट योजना और रणनीति की आवश्यकता है। चूंकि कार्यक्रमों के निष्पादन में ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा संसाधन हस्तांतरण शामिल है, अतः संसाधन वितरण मॉडल में कार्यक्रम की प्रगति की देखरेख करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के लिए भागीदारों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय नागरिकों के सहयोग से समय-समय पर अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के संभावित विस्तार और निर्माण की आवश्यकता के आंकलन हेतु समीक्षा कर सकती हैं। यह वर्तमान ग्रामीण बुनियादी ढांचे की पहल को एक मांग-आधारित ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम बना देगा।

निष्कर्ष : 2014 के बाद भारत सरकार ने केंद्र के जरिए प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की पहचान अंतर्भाग के रूप में की है, जो मुख्य रूप से योजना के मूल्यांकन, कार्यों की प्राथमिकता, नियोजन, निष्पादन और योजनाबद्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है।

इस प्रकार विभिन्न हितधारकों, मसलन त्रि-स्तरीय चयनित जन प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है जिससे कि पूर्ण विकास योजना दस्तावेज तैयार कर मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। इसके अलावा, इस विकेंद्रीकृत विकास योजना से न केवल समय पर समाधान के लिए स्थानीय मुद्दों की पहचान होगी, लोगों की समझ का दायरा विस्तृत होगा और जनकल्याण का दायरा बढ़ेगा, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने और स्थानीय क्षेत्रों में सेवा वितरण दक्षता को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो जमीनी-स्तर पर एक खुली और जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति प्राप्त कर सकती है। व्यक्ति और समूह अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, अपनी बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं और साधन तलाश कर सकते हैं ताकि उपयोगी और टिकाऊ सामुदायिक बुनियादी ढांचे की सम्पत्ति के सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार, जन भागीदारी के माध्यम से सहयोगात्मक निर्णय, मध्यस्थता, बुनियादी ढांचा निर्माण, ग्रामीण जनता के भविष्य को आकार देने और एक जीवंत ग्रामीण भारत के उदभव को सुनिश्चित करना है।

(लेखक वैकुंठ मेहता रा.स.प्र.सं. पुणे (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन) के निदेशक हैं। लेख में प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

ई-मेल : tripathy123@rediffmail.com

वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

नया भारत@75

—संतोष कुमार मिश्र, रेणु मिश्र

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से ग्रामीण भारत के निर्माण की नुगियाव रखी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ मिलकर समय स्थनीति के तहत मकानों के निर्माण को पूरा किया जा रहा है। निसंदेह प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2022 तक देश के हर परिवार के पास पक्का घर उपलब्ध होगा।

सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार देशभर में आवासविहीन परिवारों की संख्या 4.03 करोड़ थी। समुचित आवास का अभाव सामाजिक गरीबी का संकेत माना जाता है। हमारे देश में अधिकांश परिवार अर्ध-पक्के या कच्चे घरों में रहते हैं। आबादी में लगातार वृद्धि एवं उचित रखरखाव की कमी के कारण कच्चे मकानों के गिरने से आवास की मांग में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। समय मानव विकास एवं सामाजिक गरीबी के विषयों की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1987 "बेघरों के लिए आशय का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" घोषित किया था। परिणामस्वरूप कई देशों ने अपने राष्ट्रीय एजेंडे में 'आवास' को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखने वाले हमारे देश में सरकार के लिए 'सभी को पक्का घर' उपलब्ध कराना विशेष चुनौती रहा है।

आज़ादी के बाद सरकार के पास बहुत सारी अलग चुनौतियां थी जैसे भुखमरी, बेरोज़गारी, कृषि का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, रोड का निर्माण आदि। यही कारण है कि आवास निर्माण वरीयता में कहीं पीछे छूट गया। भारत सरकार ने सन् 1986 में आवास निर्माण हेतु एक व्यापक नीति बनायी। इंदिरा आवास योजना के नाम से सब्सिडी आधारित योजना का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनावरण किया गया। सरकार की नीति में सहमति हुई कि सभी को पक्का आवास मूलभूत आवश्यकता है। समुदाय किस तरह के आवास में रहता है, किसके घर में रहता है, यह कारक मानव विकास सूचकांक में एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत आज भी मानव विकास सूचकांक में निचले पायदान पर है। यदि हम कारणों का अध्ययन करे तो हमारे देश में पक्के घर का निर्माण परिवार अपनी बचत की निधि से ही करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण स्थानीय सामग्री की उपलब्धता के आधार पर होता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव

होता है एवं परंपरा सार्थपरि होती है। गृह निर्माण हेतु वित्त का प्रमुख स्रोत रतगं की बचत और श्रम है। इसके अलावा, छह अन्य संस्थागत स्रोत हैं— सरकार, बैंक, बीमा, भविष्य निधि (अग्रिम/ ऋण), वित्तीय निगम/संस्था और अन्य संस्थागत एजेंसियां और तीन गैर-संस्थागत स्रोत मनी लेंडर, मित्र और रिश्तेदार। एक अध्ययन द्वारा यह प्रकाश में आया है कि 81 प्रतिशत घरों को खुद के स्रोत द्वारा वित्तपोषित किया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण आवास

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) के दौरान सरकार को विभाजन के परिणामस्वरूप शरणार्थियों की आमद की चुनौती एवं प्रवासियों के पुर्नवास का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण आवास में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया जा सका। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त की कमी और सरकार की प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों में प्रवासी लोगों को बसाने की रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) में योजना जारी रखी गई। सामुदायिक विकास योजना 1957 में शुरू की गई थी जिसमें



सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सस्ते और टिकाऊ घरों के निर्माण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) के तहत सीडीएम योजना जारी रही और इसे बेहतर के लिए संशोधित किया गया। इस योजना के दौरान यह महसूस किया गया कि ग्रामीण आवास निर्माण में भूमि की कमी बाधा बन रही थी। यही कारण है कि सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवास स्थल प्रदान करने हेतु कानून बनाए। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान, सरकारी बैंकों और सहकारी समितियों को आवास निर्माण हेतु निर्देशित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान ग्रामीण आवास की कमी जो 1.6 करोड़ से बढ़कर 1.88 करोड़ हो गई, सरकार द्वारा पहली बार ग्रामीण आवास निर्माण हेतु नीतिगत कार्रवाई की गई। इसी परिवेश में इंदिरा आवास योजना 1986 में शुरू की गई। भारत सरकार के इस प्रमुख ग्रामीण आवास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, मुक्त बंधुआ मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी-रेखा के नीचे की आबादी को घर बनाने के लिए अनुदान प्राप्त कराना है। इंदिरा आवास योजना लोकप्रिय साबित हुई और 1985-86 के बाद से लगभग हर साल लक्ष्य को पार कर लिया। साल-दर-साल इस योजना में अपेक्षित प्रगति हुई। योजना आयोग द्वारा 1992-93 में इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन कराया गया। इस अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि 84 प्रतिशत परिवारों ने सरकारी अनुदान से प्राप्त घर के प्रति संतोष व्यक्त किया। इस योजना में राशि की कमी ना हो, इसके लिए 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य बेघरों को कम करना, आवासों का जीर्णोद्धार करना एवं सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इंदिरा आवास योजना के तहत, मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये और आईएपी जिलों सहित पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों में 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इंदिरा आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया। परंतु विभिन्न अध्ययनों से सी.ए.जी. की रिपोर्टों में क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निगरानी व्यवस्था सशक्त नहीं रहने के कारण राज्यों एवं केंद्र द्वारा प्रदत्त निधि का उपयोग सुचारु रूप से नहीं हो रहा था। यही कारण है कि भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करते हुए 2016 में इसे नए रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के रूप में प्रारंभ किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

भारत सरकार ने मई 2014 में संसद के संयुक्त सत्र में यह घोषणा की कि देश जब तक अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा कर लेता है अर्थात् 2022 तक देश के हर परिवार के पास पानी का कनेक्शन, शौचालय, 24 घंटे बिजली की सुविधा एवं पक्का घर उपलब्ध होगा। इस घोषणा से सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि

वह 2022 तक 'सभी को आवास' उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। इस लक्ष्य को पाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत सभी आवासहीन और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति इकाई सहायता को बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये एवं पहाड़ी राज्यों/कठिन क्षेत्रों/आईएपी जिलों में 1,30,000 कर दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सारे क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में राशि साझा की जाती है। घर का निर्माण लाभुक स्वयं करता है। इसमें किसी तरह की एजेंसी नहीं लगाई जाती है। 60 प्रतिशत अनु.जाति/जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक को एवं 5 प्रतिशत दिव्यांगजनों को दिया जाता है। लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों की अवधि में परियोजना को लागू करने में शामिल व्यय 81,975 करोड़ रुपये है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान परियोजना के तहत पक्के मकानों के निर्माण के लिए एक करोड़ परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। यह योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। घरों की लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाएगी।

योजना के प्रथम चरण में 2016 से 2019 तक एक करोड़ आवास बने हैं। इस योजना के द्वितीय चरण में 2022 तक 1.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। 2022 के बाद भी बजटीय आवंटन के जरिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 21,975 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने की योजना है। परियोजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय-स्तर पर तकनीकी सहायता एजेंसी की स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन

संविधान के अंतर्गत आवास क्षेत्र राज्य की सूची में आता है। आवास की समस्या के बहुद्देशीय आयाम को देखते हुए यह गरीबी उन्मूलन हेतु भारत सरकार का मूल कार्यक्रम है। सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरे देश के लिए एक डाटा बेस बनाया गया है, जिसमें उस आंकड़े को राज्यवार, जिलावार, प्रखंडवार, पंचायतवार एवं ग्रामवार फिल्टर करने की सुविधा है। इन्हीं के आधार पर आंकड़ों का ग्राम पंचायत, ग्रामसभा के माध्यम से लाभार्थियों के चयन हेतु वरीयता का निर्धारण करती है। भारत सरकार द्वारा राज्यों को बजटीय सहायता दी जाती है जिसमें राज्य सरकार अपना अंश मिला कर जिला को लक्ष्य आवंटित करती है।

ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रखंडों को पंचायतवार, कोटिवार लक्ष्य आवंटित करती है। पंचायतों में नियुक्त कर्मी लाभुक के कच्चे मकान की जियो टैगिंग करते हैं एवं आवास निर्माण का अनुसरण करने हेतु एनआईसी (NIC) द्वारा निर्मित आवास सॉफ्ट पर लाभुक के सभी विवरण जैसे आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक विवरणी आदि अपलोड करते हुए रजिस्ट्रेशन करते हैं। विभाग द्वारा डीबीटी से लाभार्थियों के खाते में आवास निर्माण हेतु राशि चरणवार दी जाती है। आवास निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्लैंथ, डोर लेवल, छत ढलाई की जियो टैग तस्वीरों का निरीक्षण और अपलोड आवास मोबाइल ऐप के ज़रिए किया जाता है। लाभार्थी ऐप के माध्यम से अपने भुगतानों की प्रगति को ट्रैक कर सकता है। लाभार्थी को मनरेगा से 90 दिनों के अकुशल श्रम का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के बीच भुगतान एक सर्वर लिंकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। लाभार्थी को घर के निर्माण के लिए अनुदान राशि के अतिरिक्त 70,000 रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा है, जो वैकल्पिक है। आवास इकाई का आकार मौजूदा 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर तक किया गया है, जिसमें हाईजिनिक खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र भी शामिल है। स्थानीय-स्तर पर घरों के लिए विभिन्न डिजाइनों का प्रचार-प्रसार लाभुकों के बीच किया जाता है। आवास निर्माण किफायती एवं मजबूत कराने हेतु ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तकनीकी सुविधा के लिए ज़िला और प्रखंड-स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है और घर के निर्माण में गुणवत्ता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्यों से समन्वय करते हुए आधुनिक तकनीक अपनाते हुए आवास योजना के अनुसरण हेतु एम.आई.एस. आधारित प्रणाली विकसित की गई है। यही कारण है कि मकानों के निर्माण की गति में वृद्धि सुनिश्चित की गई है जिसके परिणामस्वरूप 1.10 करोड़ मकानों के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। एन.आई.पी.एफ.पी. के अध्ययन में पाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य पूरा होने की औसत अवधि 114 दिन हो गई है जोकि पूर्व में 314 दिन थी।

आवास निर्माण का सामाजिक पहलू

घर एक आर्थिक संपत्ति है और व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक गतिविधि पर व्यापक प्रभाव डालता है। घर का प्रकार एवं रहने का ढंग सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख पैमाना है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से ग्रामीण भारत के निर्माण की बुनियाद रखी है। अब तक इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक आवास बन चुके हैं। इस योजना में प्राथमिकता के तौर पर आवास का आवंटन घर की महिला के नाम से किया जाता है एवं सौभाग्य योजना के माध्यम से उस घर में बिजली, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, जल जीवन से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की सुविधा

दी जाती है। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं से अभिसरण द्वारा गरीब परिवार के मकान को 'घर' बनाने का सार्थक प्रयास किया है।

एक तरफ जहां गरीबों में पक्का घर बनने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है वहीं घर में ही शौचालय, पेयजल एवं गैस-चूल्हा होने से महिलाओं के आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है। जो समय महिलाएं पानी लाने, ईंधन जुटाने में व्यतीत करती थी, अब उस समय का सकारात्मक उपयोग करने लगी हैं। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाओं को स्वयंसहायता समूह में जोड़ कर उनके जीविकोपार्जन के अवसर बढ़े हैं। निर्माण क्षेत्र भारत में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा अवसर पैदा करता है। इस क्षेत्र में 250 से अधिक सहायक उद्योग जनित करने की क्षमता है। ग्रामीण आवास का निर्माण ग्रामीण समुदाय में रहने वालों के लिए विभिन्न व्यवसायों जैसे निर्माण सामग्री की खरीद, कुशल और अकुशल श्रम की सेवाओं का उपयोग, परिवहन सेवाओं और वित्तीय संसाधनों में नई मांगों को पैदा करता है। परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों का एक सकारात्मक चक्र बन जाता है जिससे ग्रामीण इलाकों में विभिन्न रोजगारों का सृजन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की मांग बढ़ी है जिसके कारण ग्रामीण-स्तर पर कई तरह के स्वरोजगार के अवसर जैसे वसुधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, सैनेट्री मार्ट, हार्डवेयर, ईट-भट्टा, सीमेंट, छड़ आदि की दुकानें खुली हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण करने से जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत गरीबों को न केवल घर मिल रहा है बल्कि 90-95 दिन तक का काम भी मिला है। उनके मकान विद्युत मंत्रालय की मौजूदा योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के अलावा स्वच्छ भारत मिशन/ मनरेगा के अंतर्गत घरों में शौचालय और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन भी प्रदान करते हुए परिवारों के लिए सभी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1.82 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए उनकी आजीविका का विकास करने और उनके लिए अनेक प्रकार के आवासों का निर्माण करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ मिलकर जिस समग्र रणनीति के तहत मकानों के निर्माण को पूरा किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को मार्च 2022 तक प्राप्त करने में सक्षम होगी।

(संतोष कुमार सिंह, बुभरॉव (बक्सर) में प्रखंड विकास अधिकारी पद पर कार्यरत हैं; रेणु सिंह समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में शोधार्थी हैं।)
ई-मेल : santo.ac.in@gmail.com

स्वच्छता दूत बने बुजुर्गों ने कायम की मिसाल

-हरि विश्णोई

इलाका ग्रामीण हो या शहरी, उसे स्वच्छ रखना मुश्किल, गहंगा या नागुगकिन नहीं है। थोड़ा ध्यान देकर आसान उपायों से अपने आसपास के माहौल को कचरा-रहित व स्वच्छ बनाया जा सकता है। मेरठ में बुजुर्ग लोगों के एक क्लब की ऐसी ही एक पहल ने दूसरों के लिए मिसाल कायम की है। अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ-सुंदर बनाने के लिए बहुत लंबी-चौड़ी योजनाएं या भारी बजट होना जरूरी नहीं है। जरूरत है तो हर व्यक्ति की निष्ठापूर्वक भागीदारी की।

संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम खुद स्वच्छ रहें, साथ ही अपने घर, गली, मोहल्ले, सड़क व पार्क आदि को भी साफ रखें। स्वच्छता हमारे सभ्य, शिक्षित व समझदार होने की पहचान व हमारे देश की शान है। हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी कोशिश के साथ प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान में अपना फर्ज व जिम्मेदारी निभाएं ताकि हमारा देश गंदगी की समस्या से निजात पाकर उन्नति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सके।

देश के विभिन्न इलाकों में ऐसे लोग हैं जो 'स्वच्छता दूत' बन कर खुद मिसाल व दूसरों के लिए मशाल बन रहे हैं। एक की सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। अतः ऐसी गाथाएं नव-उत्साह का संचार करती हैं।

किया कमाल बुजुर्गों ने

आमतौर पर जीवन की संध्या में अधिकतर बुजुर्ग लोग आराम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 60 से 78 साल तक के 15 लोग सर्वहित के काम करते हैं। इनकी गतिविधियों में मुख्य रूप से स्वच्छता, जल-संरक्षण, कंपोस्टिंग, जीवदया व साधनहीन मेधावियों की शिक्षा में सहायता आदि शामिल हैं। रिटायरमेंट के बाद आए खालीपन को भरने, उब, उदासी व अवसाद से निजात पाने तथा सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रह कर अपना समय बिताने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2015 को एक रिटायर बैंक मैनेजर महेश रस्तोगी ने वरिष्ठ नागरिकों के इस समूह क्लब-60 का गठन किया था। इस संगठन के सदस्यों ने सामूहिक प्रयासों से पहले अपनी कालोनी व पार्क को स्वच्छ किया व फिर अपने आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी प्रेरित किया। परिणामस्वरूप वर्ष 2018 के स्वच्छ सर्वे में इनका वार्ड 26 पूरे मेरठ जिले में प्रथम स्थान पर रहा।

कचरा प्रबंधन

कूड़े-कचरे का बेहतर निपटारा करने के लिए इस समूह के सदस्यों ने सबसे पहले गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करने का तरीका अपनाया। फिर उसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाईकिल व रेवेन्यू के चार सूत्रों के सहारे कूड़ा कम करने, उसका पुनरोपयोग व उसे रिसाईकिल करने के आसान उपाय अपना कर अपने इलाके को स्वच्छ रखने में सफलता हासिल की। इनकी कोशिशें छोटी हैं, लेकिन उनके परिणाम बड़े साबित हुए हैं। सर्वविदित

है कि जूते-चप्पलों के साथ लग कर बहुत-सी धूल मिट्टी रोज़ घर में आ जाती है। अतः रोज़ सुबह को आम घरों से लगने वाली झाड़ू बुहारन में औसतन 10-20 ग्राम धूल मिट्टी होती है। क्लब-60 के सदस्य उसे इधर-उधर या कूड़ेदान में न फेंककर गमले या क्यारी में डालते हैं। इससे कूड़ा घटता है तथा पेड़-पौधों को जीवन मिलता है। यदि यह उपाय सभी लोग अपनाएं तो अंततः इससे कूड़ा उठान, लदान व डलाव में कमी आएगी।

कचरे से कंपोस्ट

पेड़-पौधों की पत्तियों व घास को बेकार छोड़ने से कचरा बढ़ता है। कई लोग उसे जला देते हैं, जो कि बेहद गलत है। हरे कचरे को रिसाईकिल करके घटाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर के घोल से बिना गड्ढा खोदे सिर्फ 140 दिनों में उससे वैदिक कंपोस्ट बना देते हैं। इस तैयार खाद का प्रयोग ओर्गेनिक फल-फूल व सब्जियां उगाने में किया जाता है। उद्यान से निकले हरे कचरे को निपटाने की यह युक्ति इतनी सरल, सफल व किफायती है कि मेरठ के नगर निगम ने इसे अपने 110 पार्कों में अपनाया। इस अभिनव प्रयोग के लिए नगर आयुक्त, जिला अधिकारी व उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने क्लब-60 को प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही, मेरठ की डिवीज़नल कमिश्नर ने क्लब-60 को प्रोत्साहन स्वरूप 3 लाख रुपये मूल्य की 200 होम कंपोस्टर यूनितें नगर निगम से निःशुल्क दिलाई, जिन्हें कॉलोनी के घरों में लगवाया गया।

किचन के कचरे का निपटान

होम कंपोस्टर यूनितें में फल-सब्जियों के छिलके व बची हुई



दाल-सब्जी व चावल-रोटी आदि किचन से निकले गीले कचरे को डाल कर उसे रिसाइकिल किया जाता है। इससे करीब 120 दिनों में वह कचरा घट कर एक तिहाई रह कर उम्दा कंपोस्ट में बदल जाता है। इस खाद का प्रयोग गमले व क्यारियों में उगे पौधों में तथा मित्र, पड़ोसी परिजनों को वितरित करके किया जाता है, जिनके पास होम कंपोस्टर यूनिट नहीं हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता अपनाया गया है। इसके तहत गौग्रास की रोटी, ब्रेड, बिस्कुट आदि खाद्य सामग्री कालोनी के गेट पर लगे एक बैग में एकत्र की जाती है तथा शाम को गौशाला भेज दी जाती है। इन दोनों उपायों से घरों से रोज़ निकलने वाला कूड़ा-कचरा काफी मात्रा में घट जाता है। साथ ही, जैविक खाद बनती है तथा पशुओं को मुफ्त में चारा भी मिल जाता है।

कचरा रहित जीवन

रददी कागज़, अखबार, गत्ता, कांच, लोहा, प्लास्टिक व लकड़ी आदि का सूखा कचरा इधर-उधर न फेंक कर हर रविवार सुबह 11 बजे कबाड़ी को दे दिया जाता है। अतः उसके निपटान के साथ कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। उसके बाद गली-मोहल्ले में निर्माण कार्यों से निकला हुआ रोड़े-पत्थर का मलबा ट्रैक्टर-ट्राली में भरवा कर गड्डों के भराव में डलवा दिया जाता है। अंत में बचती है पन्नी, पाउच व पॉलीथीन। उसे पानी व कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों में ठूस-ठूस कर भर कर रंग कर पार्क में पौधों की जड़ों के चारों ओर इको ब्रिक के रूप में या क्यारियों में ईंटों की जगह लगा दिया जाता है। व गीले कचरे के संग्रहण से लेकर पृथक करने व उसे जल्द ही इन्हें स्थानीय निकाय को रिसाइकिल करने तक का कार्य कैंपस के अंदर ही बखूबी सौंपने का अभियान चलाया जाएगा, ताकि सीमेंट फैक्ट्री को भेजने व सड़क निर्माण आदि में उसका उपयोग किया जा सके। फिलहाल पॉलीथीन का प्रयोग घटाने के लिए क्लब-60 ने अपनी कॉलोनी के सभी 200 घरों में कपड़े के थैले निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं।

कबाड़ से जुगाड़

कूड़े-कचरे व कबाड़ में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनका पुर्नचक्रण किया जा सकता है। 'वेस्ट टू आर्ट' के तहत पुरानी चीजों को कलात्मक रूप से संवार कर पुनरोपयोगी बनाया जाता है। क्लब-60 के सदस्य व रिटायर्ड इंजीनियर सुधीर शर्मा को निर्माण कार्यों के साथ आंतरिक तथा बाह्य साज-सज्जा में लंबा व गहरा अनुभव है। श्री शर्मा के मार्गदर्शन में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर पुराने टायरों से ट्री गार्ड, पाइपों से जेबरे, किवाड़ों से सुंदर हट, शादी के कार्डों से गिफ्ट के लिफाफे, घड़ों से घोंसले व सुंदर गमले व कलाकृतियां आदि अनेक आकर्षक चीजें बना कर टेगौर पार्क में सजाई गई हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर कचरे का कुशलतापूर्वक निपटारा कर देने से नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में फेंकने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता और देखते ही देखते जीवन कचरा-शून्य हो जाता है। खास बात यह है कि

मेरठ के इस इलाके में सड़क या पार्क में कूड़ा फेंकने व फैलाने पर सख्त पाबंदी है। अतः माहौल स्वच्छ हो रहा है।

स्वच्छता दूत: एक अनूठा प्रयास

जरूरत यह है कि स्वच्छता के प्रयासों की शुरुआत खुद से हो व फिर दूसरों को भी जागरूक व प्रेरित किया जाए। साथ ही, गंदगी फैलाने के आदी व मनमानी करने वालों को समझाया जाता है तथा स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को क्लब-60 द्वारा प्रोत्साहित व सम्मानित किया जाता है। अतः मेरठ नगर में स्वच्छता दूतों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इससे अन्य इलाकों में भी सुधारात्मक बदलाव की गति तेज़ हो रही है। क्लब-60 के सभी 15 सदस्यों ने औसतन अपने 3 मित्र, 3 पड़ोसी व 3 परिजनों सहित कम से कम 9-10 जनों को संकल्प दिला कर अपने आसपास साफ-सफाई रखने हेतु 150 लोगों को तैयार किया। ये सभी व्यक्ति इसी प्रकार आगे 10-10 लोगों को अपने साथ जोड़ कर 1500 लोगों की टीम तैयार करेंगे तथा यह क्रम इसी प्रकार आगे और आगे बढ़ता जाएगा।

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के इस समूह द्वारा स्वच्छता गोष्ठी, प्रेरक नारों के बैनर, स्टीकर लगा कर तथा ड्राइंग, कविता व निबंध प्रतियोगिताओं के आयोजन से भी जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। कचरा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित 15 पोस्टर की एक स्थायी प्रदर्शनी भी जयहिंद सोसायटी के टैगोर पार्क में लगाई गई है। इसमें बड़े ही रोचक ढंग से यह दिखाया गया है कि कूड़े-कचरे को बेतरतीब ढंग से फेंकना या फैलाना गलत है। यदि उसका निपटारा समुचित तरीके से किया जाए तो कोई भी कचरा निष्प्रयोज्य नहीं होता। कूड़े से कमाई के आसान उपाय इस प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं।

मेरठ बना मिसाल

कचरा निष्पादन के इस अनूठे प्रयोग से प्रभावित बहुत से लोग कंपोस्टिंग व रिसाइकलिंग के यही तरीके अपना कर स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। वाट्सएप, फेसबुक तथा ट्विटर आदि सोशल मीडिया पर क्लब-60 के कार्यों के वायरल होने से बीड-महाराष्ट्र, नोगांव-छत्तीसगढ़, नोएडा, उत्तर प्रदेश व जमशेदपुर आदि अनेक स्थानों पर वरिष्ठ जनों ने क्लब-60 बना कर सकारात्मक कार्यों में अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ की हैं। 30 जून, 2019 को प्रधानमंत्री जी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मेरठ के क्लब-60 द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की थी। आज हर गांव, कस्बे व शहर में ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है ताकि कचरे के पहाड़ों को काबू में रखा जा सके।

(लेखक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी रह चुके हैं।)

ई-मेल : Vishnoi.hari@gmail.com